



राजस्व क्षेत्र
पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-2

राजस्व क्षेत्र
पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		<i>v</i>
विहंगावलोकन		<i>vii-x</i>
अध्याय - I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.2	5
निर्धारणों में बकाया	1.3	6
विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन	1.4	6
प्रतिदाय मामले	1.5	7
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	7
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.6.2	8
प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया	1.6.3	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति	1.6.4	9
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई: राजस्व विभाग की विस्तृत स्थिति	1.7	9
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.7.1	9
स्वीकार किए गए मामलों की वसूली	1.7.2	10
विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा सिफारिशों पर की गई कार्रवाई	1.7.3	10
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.8	11
लेखापरीक्षा योजना	1.9	11
लेखापरीक्षा परिणाम	1.10	11
इस प्रतिवेदन की आवृत्ति	1.11	12
अध्याय - II: बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर		
कर प्रशासन	2.1	13
लेखापरीक्षा परिणाम	2.2	13
वस्तु एवं सेवा कर में परिवर्तित होने की तैयारी	2.3	15
"व्यापारियों को दी गई रियायत" पर लेखापरीक्षा	2.4	23
"विभिन्न प्राप्ति शीर्षों के अन्तर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग में बकाया राजस्व" पर लेखापरीक्षा	2.5	30
निवेश कर क्रेडिट की छूट	2.6	40
कर की गलत दर लागू करना	2.7	41
कुल बिक्री का गलत निर्धारण	2.8	42
बिक्री तथा स्टॉक को छिपाना	2.9	43
ऋग्रहण की अधिक छूट	2.10	44
ब्याज का अल्प उद्ग्रहण	2.11	45
मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना	2.12	45

अध्याय - III: राज्य आबकारी			
कर प्रशासन	3.1	47	
लेखापरीक्षा परिणाम	3.2	47	
लाइसेंस फीस की अल्प वसूली	3.3	48	
न्यूनतम गांरटीड कोटा कम उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का उद्ग्रहण न करना	3.4	49	
विलम्बित अदायगी पर व्याज का उद्ग्रहण न करना	3.5	50	
शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस की वसूली न करना	3.6	51	
एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल तथा रेक्टीफाइड स्पिरिट की बिक्री पर आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण न करना	3.7	51	
अध्याय - IV: स्टाम्प शुल्क			
कर प्रशासन	4.1	53	
लेखापरीक्षा परिणाम	4.2	53	
निर्मित ढाँचे पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प वसूली	4.3	54	
सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य का अल्प-निर्धारण	4.4	55	
पट्टा किराया में संशोधन न करना	4.5	56	
अध्याय - V: वाहन, यात्री एवं माल पर कर			
कर प्रशासन	5.1	57	
लेखापरीक्षा परिणाम	5.2	57	
विशेष पथ कर की गैर वसूली/अल्प वसूली	5.3	58	
सांकेतिक कर की गैर वसूली	5.4	60	
यात्री एवं माल कर की गैर वसूली	5.5	61	
आबकारी एवं कराधान विभाग के पास व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण न करवाना	5.6	63	
अध्याय - VI: बन प्राप्तियां			
कर प्रशासन	6.1	65	
लेखापरीक्षा परिणाम	6.2	65	
जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटान न करना	6.3	66	
बरोजा निःस्त्रवण हेतु वृक्षों को कम सौंपना	6.4	67	
विस्तार फीस का अनुद्ग्रहण	6.5	67	
बरोजा ब्लेजों का निःस्त्रवण न करना	6.6	68	

विवरण		संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ
अनुलग्नक			
I	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1.2	71
II	निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.7.1	72
III	स्वीकृत मामलों की वसूली	1.7.2	72
IV	अयोग्य घोषित फार्मों की स्वीकृति (फार्म-सी)	2.4.7.1	73
V	अयोग्य घोषित फार्मों की स्वीकृति (फार्म-एफ)	2.4.7.2	75
VI	परिचय (बकायों की वसूली की प्रक्रिया)	2.5	76

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम 1971 (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) के प्रावधान के अनुसार की जाती है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के राजस्व एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत वर्णित हैं जो 2017-18 की अवधि के दौरान की गई लेखापरीक्षा जांच में सामने आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सामने आए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे, जहां भी आवश्यक है, 2017-18 के पश्चात् की अवधि से सम्बन्धित दृष्टांतों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा तथा लेखा, 2007 विनियमनों तथा लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मूल्य वर्धित कर/ केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, यात्री एवं माल कर तथा रॉयलटी के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण से सम्बन्धित ₹330.87 करोड़ के राजस्व निहितार्थ दो विषयक लेखापरीक्षाएं तथा 23 परिच्छेद सम्मिलित हैं।

I सामान्य

वर्ष 2017-18 हेतु सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष के दौरान ₹26,264.34 करोड़ की तुलना में ₹27,367.06 करोड़ थी। वर्ष 2017-18 हेतु कुल ₹27,367.06 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में से, 35 प्रतिशत प्राप्तियां कर राजस्व (₹7,107.67 करोड़) तथा गैर-कर राजस्व (₹2,363.85 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई थी। शेष 65 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों के राजांश (₹4,801.31 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹13,094.23 करोड़) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त की गई। विगत वर्ष के प्रति राजस्व प्राप्तियों में ₹1,102.72 करोड़ की वृद्धि हुई।

(परिच्छेद 1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल एवं यात्री कर तथा वन प्राप्तियों की 178 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच संचालित की गई जिसमें अवनिर्धारण/अल्पोद्ग्रहण/राजस्व हानि के कुल ₹490.09 करोड़ के 863 मामले उद्घाटित हुए। वर्ष 2017-18 के दौरान सम्बद्ध विभागों ने 317 मामलों में ₹13.61 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया इसमें से 298 मामलों में ₹4.16 करोड़ की राशि वसूल की गई, उसमें से 296 मामलों में ₹4.15 करोड़ विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे एवं दो मामलों में ₹0.01 करोड़ की राशि वर्ष 2017-18 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थी।

(परिच्छेद 1.10)

II बिक्री तथा व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

सरकार/विभाग वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन हेतु इसकी तैयारी में तत्पर थे जिसे वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा अनुमोदित आदर्श कानून के अनुसार अधिनियमों एवं नियमों के अधिनियम के संदर्भ में देखा जा सकता है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर 1 जुलाई 2017 से नियमों/विनियमों में बारम्बार परिवर्तन किए गए थे। करदाताओं द्वारा कठिनाइयों का सामना करने के कारण रिटर्नों का फाईल करना स्थगित कर दिया था। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क रिटर्न फाईल करने से सम्बन्धित पूर्ण सूचना प्रोटोकॉल की हल प्रदान करने योग्य नहीं था। राज्य सरकार वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधान को लागू करने में पंगु थी क्योंकि इन मामलों में इसकी सीमित भूमिका थी। वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम के सफल कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित गति सहित एक पूर्ण नेटवर्क प्रणाली की प्रकल्पना आवश्यक है। विभाग को पिछले मुद्रे जैसे पूर्व वस्तु एवं सेवाकर मामलों का निर्धारण, बकाया वसूली तथा समयबद्ध तरीके से लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान को सुलझाने की आवश्यकता है। पूर्व वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के प्रतिदायों के लिए आवेदन करने हेतु व्यापारियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

(परिच्छेद 2.3)

विभाग ने उन व्यापारियों को रियायत दर पर कर अनुमत किया जिन्होंने निर्धारित सीमा में हिमाचल वासियों को नौकरी में नहीं रखा तथा अपात्र व्यापारियों को जिनका सामान नकारात्मक सूची के अंतर्गत आता है पर कर की गलत दर को लागू किया। घोषणा फार्म जमा न करने पर भी रियायत प्रदान की गई। विभाग में पर्याप्त विस्तार हेतु व्यापारियों को रियायत प्रदान करने की समीक्षा तथा सत्यापन हेतु कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। निर्धारण प्राधिकारियों ने फार्म का सत्यापन नहीं किया तथा दोषपूर्ण/अपात्र फार्मों को स्वीकार किया एवं कर की रियायत दर अनुमत की।

(परिच्छेद 2.4)

अनुश्रवण के अभाव, विस्तृत डाटाबेस के अनुरक्षण न करने तथा मिलान न करने के परिणामस्वरूप बकायों को गलत दर्शाया। व्यापारियों के निर्धारण को अंतिम रूप देने में असामान्य विलम्ब तथा फर्मों/व्यापारियों के प्रति अधिनियमों/नियमों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव के परिणामस्वरूप राजस्व हानि हुई क्योंकि व्यापारियों ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया। पंजीकरण के समय व्यापारियों से प्रतिभूति/जमानत को प्राप्त न करने, प्रतिप्रेषित मामलों का निर्धारण न करना तथा निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा विलम्बित निर्धारण के परिणामस्वरूप बकायों का संचय हुआ। जब सम्पत्ति को नीलाम नहीं किया था। जमानत से सम्बन्धित मामलों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप देय आबकारी शुल्क की अल्प वसूली हुई। प्रावधानों के विपरीत चूककर्ताओं को टोल पट्टा के अनियमित आवंटन ने देयों की अवसूली को बढ़ावा दिया।

(परिच्छेद 2.5)

निर्धारण प्राधिकारियों ने अंतशेष/कर मुक्त सामान की बिक्री/ शाखा हस्तांतरण को ध्यान में रखे बिना 160 मामलों में 138 व्यापारियों को निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2007-08 से 2015-16 की कर अवधि हेतु ₹7.01 करोड़ की कर देयता स्थगित हुई।

(परिच्छेद 2.6)

23 मामलों में 11 व्यापारियों की 2009-10 से 2015-16 की कर अवधि हेतु निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारी ने प्रयोज्य दर पांच से 13.75 प्रतिशत के बदले कर की गलत दर चार से पांच प्रतिशत प्रयुक्त की जिसके परिणामस्वरूप ₹11.56 करोड़ के कर की अल्प वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ब्याज के ₹5.73 करोड़ भी उद्ग्राहय थे।

(परिच्छेद 2.7)

वर्ष 2007-08 से 2014-15 हेतु निर्धारण प्राधिकारियों ने 44 मामलों में 37 व्यापारियों की सकल बिक्री/कर योग्य कुल बिक्री को वास्तविक प्राप्तियों की अपेक्षा कम पर निर्धारित करने के परिणामस्वरूप ₹5.47 करोड़ के राजस्व की हानि हुई, इसके अतिरिक्त, ₹4.61 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

(परिच्छेद 2.8)

28 मामलों में 26 व्यापारियों जिन्होंने 2005-06 से 2014-15 की कर अवधि के दौरान उनकी बिक्री एवं अंत शेष स्टॉक को कम करके बताया था, उनके निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रति-जांच नहीं की तथा उनके वार्षिक लेखाओं का उनकी वार्षिक विवरणियों के साथ मिलान नहीं किया। बुनियादी जांच को करने में विफलता के परिणामतः ₹1.08 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ₹71.35 लाख का ब्याज वसूल नहीं किया था तथा निर्धारित दर पर शास्ति भी वसूली योग्य थी।

(परिच्छेद 2.9)

आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 हेतु चुने गए तीन जिलों बिलासपुर, कागंड़ा एवं मण्डी में पंजीकृत 28 केबल आपरेटरों में से किसी से भी मनोरंजन शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कम से कम ₹3.78 करोड़ का राजस्व छोड़ा गया।

(परिच्छेद 2.12)

III राज्य आबकारी

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने 49 लाइसेंसधारियों से ₹38.90 करोड़ की कम जमा लाईसेंस फीस वसूलने या बिक्री केन्द्रों (शराब की दुकानों) को सील करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि इन बिक्री केन्द्रों के लाईसेंसधारी अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक मासिक किश्तों का भुगतान करने में दोषी थे।

(परिच्छेद 3.3)

विभाग ने 561 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारकों द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित वार्षिक न्यूनतम गांरंटीड कोटा के प्रति 40,58,893 प्रूफ लीटर शराब कम उठाने पर ₹12.74 करोड़ की अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण नहीं किया। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम गांरंटीड कोटा के 80 प्रतिशत तक कम उठाने पर ₹1.81 करोड़ शास्ति के भी उद्ग्रहण योग्य थे।

(परिच्छेद 3.4)

विभाग ने 156 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से वर्ष 2016-17 में लाईसेंस फीस/बोतलीकरण फीस/ फ्रैंचाइजी फीस का भुगतान विलम्ब से किए जाने पर ₹3.77 करोड़ की ब्याज की राशि को वसूल करने के लिए कोई मांग नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(परिच्छेद 3.5)

IV स्टाम्प शुल्क

नवम्बर 2013 एवं दिसम्बर 2016 के मध्य पंजीकृत 358 बिक्री विलेखों के प्रति उप पंजीयकों द्वारा आवासीय तथा गैर-आवासीय निर्मित ढाँचों के लिए पूर्व संशोधित बाजार दरों को अपनाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹3.64 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.3)

13 उप-पंजीयकों ने बिक्री विलेखों के पंजीकरण के समय क्रेताओं द्वारा सड़क से भूमि की दूरी के संदर्भ में दायर किए गए शपथ पत्र के आधार पर भूमि का गलत मूल्यांकन किया, परिणामस्वरूप ₹1.18 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.4)

पट्टा किराया जिसे प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पट्टा अनुबंध की शर्तों के अनुसार भूमि के प्रचलित बाजारी मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से संशोधित किया जाना था, उसे विभाग ने संशोधित नहीं किया, परिणामस्वरूप ₹3.59 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 4.5)

V वाहन, माल एवं यात्री कर

परिवहन विभाग ने विशेष पथ कर की राशि ₹23.38 करोड़ की मांग नहीं की जो कि 2016-17 की अवधि हेतु जारी किये गए रूट परमिटों के अनुसार हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं निजी स्टेज कैरिजों से वसूली योग्य थी।

(परिच्छेद 5.3)

परिवहन विभाग ने 2015-16 से 2016-17 के वर्षों हेतु 16,588 व्यावसायिक वाहनों से वसूली योग्य सांकेतिक कर ₹8.50 करोड़ की न तो मांग की और न ही व्यावसायिक वाहन मालिकों द्वारा कर का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप सांकेतिक कर की उस सीमा तक वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.4)

आबकारी विभाग ने 2015-16 से 2016-17 तक की अवधि हेतु 2,320 व्यावसायिक वाहन मालिकों से यात्री एवं माल कर के ₹1.74 करोड़ की राशि की मांग नहीं की और न ही व्यावसायिक वाहन मालिकों ने कर का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक यात्री एवं माल कर की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.5)

सम्बद्ध क्षेत्रीय लाईसेंसिंग प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के मध्य समन्वय के अभाव के कारण व्यावसायिक वाहन मालिकों ने आबकारी एवं कराधान कार्यालयों के पास अपने वाहनों को पंजीकृत नहीं करवाया था, जो कि 2015-16 एवं 2016-17 के मध्य क्षेत्रीय लाईसेंसिंग प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत किए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹1.23 करोड़ की राशि के यात्री एवं माल कर की वसूली नहीं की गई।

(परिच्छेद 5.6)

VI वन प्राप्तियाँ

2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 225.916 घनमीटर जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा नहीं किया गया था परिणामस्वरूप ₹1.18 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ तथा इमारती लकड़ी की निगरानी एवं इसके खराब होने पर भी व्यय हुआ।

(परिच्छेद 6.3)

विभाग ने वर्ष 2014 एवं 2015 के निःस्त्रवण मौसम के दौरान 1,22,618 वृक्षों को गणना हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को नहीं सौंपा, जिसके परिणामस्वरूप ₹82.90 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 6.4)

विभाग ने 62 इमारती लकड़ी के लॉट्स को दोहनार्थ हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम लिमिटेड को सौंपा जिन्हें पट्टावधि के दौरान दोहन नहीं किया था जिसके लिए ₹29.86 लाख की विस्तार फीस की न तो विभाग द्वारा मांग की गई और न ही हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा भुगतान किया गया।

(परिच्छेद 6.5)

अध्याय-I

सामान्य

अध्याय - I

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति


1.1.1 वर्ष 2017-18 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं गैर-कर राजस्व, राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

क्रमांक	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 ¹
		₹ करोड़ में				
राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व						
	कर राजस्व	5,120.91	5,940.16	6,695.81	7,039.05	7,107.67 ²
	गैर-कर राजस्व	1,784.53	2,081.45	1,837.15	1,717.24	2,363.85
	योग	6,905.44	8,021.61	8,532.96	8,756.29	9,471.52
भारत सरकार से प्राप्तियां						
	विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	2,491.53	2,644.17	3,611.17	4,343.70	4,801.31 ³
	सहायता अनुदान	6,314.11	7,177.67	11,296.35	13,164.35	13,094.23 ⁴
	योग	8,805.64	9,821.84	14,907.52	17,508.05	17,895.54
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)	15,711.08	17,843.45	23,440.48	26,264.34	27,367.06
4.	1 की 3 से प्रतिशतता	44	45	36	33	35

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व (₹9,471.52 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 35 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्तियों का शेष 65 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय के राज्यांश तथा सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था। राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,102.72 करोड़ की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

ग्राफ़ - 1.1



¹ राज्य सरकार के वित्त लेखे।

² इसमें मुख्य प्राप्ति शीर्ष '0006-राज्य वस्तु एवं सेवा कर' के अन्तर्गत प्राप्त ₹1,833.16 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

³ इसमें भारत सरकार से केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के रूप में प्राप्त ₹68.36 करोड़ तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के रूप में प्राप्त ₹484.84 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

⁴ इसमें वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण भारत सरकार से हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त ₹1,059 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

1.1.2 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है:


तालिका 1.2: कर राजस्व प्राप्तियों का विवरण

क्रमांक	राजस्व प्राप्ति के मुख्य शीर्ष	कर राजस्व प्राप्तियाँ (कुल कर राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)					2017-18 में 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों के ऊपर वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
1.	बिक्री एवं व्यापार पर वस्तु एवं सेवा कर/ मूल्य वर्धित कर	3,141.10 (61.34)	3,660.57 (61.62)	3,992.99 (59.63)	4,381.91 (62.25)	4,359.03 ⁵ (61.33)	0
2.	राज्य आबकारी	951.96 (18.59)	1,044.14 (17.58)	1,131.22 (16.89)	1,307.87 (18.58)	1,311.25 (18.45)	0
3.	मोटर वाहन कर	207.81 (4.06)	220.10 (3.71)	317.05 (4.74)	279.58 (3.97)	367.16 (5.17)	31
4.	स्टाम्प शुल्क	187.50 (3.66)	190.58 (3.21)	205.52 (3.07)	209.16 (2.97)	229.18 (3.22)	10
5.	विद्युत पर एवं शुल्क	191.36 (3.74)	332.82 (5.60)	551.06 (8.23)	371.67 (5.28)	360.79 (5.08)	-3
6.	अन्य	441.18 (8.62)	491.95 (8.28)	497.97 (7.44)	488.86 (6.94)	480.26 ⁶ (6.76)	-2
योग		5,120.91	5,940.16	6,695.81	7,039.05	7,107.67	1

स्रोत: वित लेखे

2013-14 से 2017-18 के दौरान कर राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति को ग्राफ में नीचे दर्शाया गया है:

ग्राफ़- 1.2



⁵ इसमें 1 जुलाई 2017 से उद्ग्राहय वस्तु एवं सेवा कर की ₹1,833.16 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

⁶ अन्य प्राप्तियाँ- भू-राजस्व: ₹16.96 करोड़, माल एवं यात्री पर कर: ₹111.69 करोड़ तथा अन्य वस्तु एवं सेवाओं पर कर एवं शुल्क: ₹351.61 करोड़।

2013-14 में ₹5,120.91 करोड़ से 2017-18 में राजस्व कर में ₹7,107.67 करोड़ की समग्र वृद्धि हुई।

1.1.3 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान जुटाए गए गैर-कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.3: गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का व्यौरा


क्रमांक	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ (कुल गैर-कर प्राप्तियों की प्रतिशतता)					₹ करोड़ में 2017-18 में 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों के ऊपर वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
1.	विद्युत	696.29 (39.02)	1,121.51 (53.88)	923.68 (50.28)	650.93 (37.91)	687.61 (29.09)	6
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	118.61 (6.65)	100.93 (4.85)	93.84 (5.11)	145.56 (8.48)	340.54 (14.41)	134
3.	अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग	114.08 (6.39)	161.52 (7.76)	155.08 (8.44)	176.22 (10.26)	441.46 (18.68)	151
4.	वानिकी एवं बन्य जीवन	357.83 (20.05)	115.78 (5.56)	34.47 (1.88)	18.50 (1.08)	46.87 (1.98)	153
5.	लोक निर्माण कार्य	34.75 1.95	34.13 (1.64)	43.00 (2.34)	54.60 (3.18)	55.87 (2.36)	2
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	25.95 (1.45)	35.57 (1.71)	32.81 (1.79)	42.63 (2.48)	40.45 (1.71)	-5
7.	पुलिस	34.65 (1.94)	39.83 (1.91)	48.53 (2.64)	50.50 (2.94)	63.33 (2.68)	25
8.	अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ ⁷	402.37 (22.55)	472.18 (22.69)	505.74 (27.53)	578.30 (33.68)	687.72 (29.09)	19
योग		1,784.53	2,081.45	1,837.15	1,717.24	2,363.85	38

स्रोत: वित लेखे

⁷ अन्य गैर-कर राजस्व के विवरण अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

2013-14 से 2017-18 के दौरान गैर-कर राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति को नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

ग्राफ़- 1.3



2016-17 में ₹1,717.24 करोड़ की समग्र गैर-कर राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹2,363.85 करोड़ हुईं (₹646.61 करोड़ या 38 प्रतिशत की वृद्धि)। यह वृद्धि 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों, अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग तथा विविध सामान्य सेवाओं से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि के कारण हुई।

सम्बन्धित विभागों ने वर्ष के दौरान भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताए।

- विद्युत:** 2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र के अन्तर्गत पिछले वर्ष की तुलना में विद्युत की प्रति यूनिट उच्चतर औसत बिक्री मूल्य के कारण प्राप्तियों में वृद्धि हुई।
- ब्याज प्राप्तियां:** उदय (यू.डी.ए.वाई) के अन्तर्गत डिस्कॉम (डी.आई.एस.सी.ओ.एम) को दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्तियों (₹231 करोड़) के कारण वृद्धि हुई।
- अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग:** यह वृद्धि खनन पट्टों के हस्तांतरण हेतु ₹194.20 करोड़ के अग्रिम प्रीमियम की अदायगी तथा मैसर्ज अल्ट्राईक लिमिटेड द्वारा रॉयल्टी पर ब्याज को विलम्ब से जमा करने के कारण हुई।
- वानिकी एवं वन्य जीवन:** वृद्धि मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बिक्री किए गए वृक्षों एवं अन्य वन उत्पाद से प्राप्त ₹10.13 करोड़ की राशि के कारण हुई।
- लोक निर्माण कार्य:** वृद्धि विगत वर्ष के दौरान 77 निर्माण कार्यों की तुलना में 2017-18 के दौरान 189 निर्माण कार्यों को शुरू करने के कारण हुई।

- पुलिस:** वृद्धि रेलवे पुलिस से अंशदान की वसूली, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन परिषद को उपलब्ध करवाए गए गार्ड, कर्मचारियों से वेतन के अधिक भुगतान की वसूली तथा शिमला में प्रतिबंधित सड़कों पर चलने के लिए वाहनों के परमिट जारी करने के कारण हुई।

अन्य विभागों ने विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए थे (अगस्त 2019)।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2018 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों में वसूली योग्य राजस्व बकाया की राशि ₹4,035.69 करोड़ थी, जिसमें से ₹373.23 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि नीचे में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

क्रमांक	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	31 मार्च 2018 को बकाया राशि	31 मार्च 2018 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	विक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर	3,086.23	118.61	₹2,610.10 करोड़ के बकाया को भू-राजस्व का बकाया की वसूली के रूप में संदर्भित किया गया था, ₹109.89 करोड़ की राशि की वसूली को न्यायालय द्वारा रोक दिया गया, ₹16.69 करोड़ सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्ड से वसूली योग्य थे। ₹27.88 करोड़ बट्टे-खाते में डालने के लिए प्रस्तावित थे, ₹27.19 करोड़ अपील के अन्तर्गत लम्बित थे एवं ₹294.48 करोड़ अन्यों से वसूली योग्य थे।
2.	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास व लघु सिंचाई	297.59	198.74	₹236.32 करोड़ का बकाया नगर निगम/समितियों से सम्बन्धित था, ₹58.87 करोड़ व ₹77.41 लाख क्रमशः गैर सरकारी निकाय एवं सरकारी विभागों से सम्बन्धित थे, ₹1.58 करोड़ अवियान प्रभार तथा ₹4.54 लाख आवास से सम्बन्धित थे।
3.	राज्य आबकारी	222.63	14.88	₹72.49 करोड़ के बकाया को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु संदर्भित किया था, ₹7.64 करोड़ न्यायालय द्वारा रोक दिए गए थे, ₹28.88 करोड़ सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डों से वसूली योग्य थे, ₹21.32 लाख बट्टे-खाते में डालने के लिए प्रस्तावित थे तथा ₹13.41 करोड़ बोली देने वाले/लाइसेंसधारियों/अन्यों से वसूली योग्य थे।
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	211.04	0.0	राशि हिमाचल प्रदेश सरकार से वसूली योग्य थी।
5.	वानिकी एवं वन्य जीवन	100.21	16.04	राशि हिमाचल प्रदेश राज्य विकास निगम लिमिटेड एवं ठेकेदारों से वसूली योग्य थी।
6.	वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	68.35	12.62	₹42.23 करोड़ के बकाया को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु संदर्भित किया था, ₹11.03 करोड़ को न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था, ₹2.27 करोड़ अपील में लम्बित थे तथा ₹12.82 करोड़ अन्य से वसूली योग्य थे।
7.	पुलिस	30.17	1.89	बकाया, वर्ष 1971-72 से संचित था। इसमें से, ₹22.89 लाख मैसर्ज पटेल इंजीनियर्स लिमिटेड कुलू से सम्बन्धित थे तथा रेष सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा रोक दिया गया था।
8.	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	0.23	0.13	बकाया, वर्ष 1989-90 से संचित था। बकाया शेड के किराये (ओद्योगिक सम्पदा), सरकारी आवास के किराये व शहरत के पौधों की बिक्री से प्राप्ति आदि से सम्बन्धित था।
9.	माल एवं चार्टी पर कर	6.89	6.87	कुल बकाया से, ₹3.29 करोड़ भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु संदर्भित थे, ₹12.00 लाख न्यायालय द्वारा रोक दिए गए थे, ₹11.17 लाख सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डों से वसूली योग्य थे, ₹38.32 लाख बट्टे-खाते में डालने के लिए प्रस्तावित थे एवं ₹2.99 करोड़ अन्यों से वसूली योग्य थे।
10.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	3.92	0.34	बकाया, वर्ष 1999 से संचित था। ₹59.08 लाख का बकाया राज्य परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अधियान, लालपानी, ₹26.56 लाख का बकाया निदेशक, हिमाचल प्रदेश महिला एवं बाल विकास, ₹23.31 लाख का बकाया प्रबन्ध निदेशक, नागरिक आपूर्ति निगम, ₹21.03 लाख निदेशक उद्योग तथा ₹2.62 करोड़ अन्य उद्योग/विभाग/निगम से वसूली योग्य थे।
11.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	0.80	0.59	बकाया, वर्ष 1970-71 से संचित था। बकाया खनन कार्बोलयों एवं भू-वैज्ञानिक विंग के निदेशालय के आहरण एवं संविररण अधिकारी (मुख्यालय) से रॉयलटी की वसूली एवं डिलिंग प्रभार आदि से सम्बन्धित थे।
12.	लोक निर्माण कार्य	0.58	0.15	बकाया आवासीय व गैर आवासीय भवतों से सम्बन्धित था।
13.	उद्योग	7.05	2.37	बकाया वर्ष 1980-81 से संचित था। बकाया भू-खण्ड (ओद्योगिक क्षेत्र) के प्रीमियम आदि से सम्बन्धित था।
योग		4,035.69	373.23	

स्रोत: विभागीय अंकड़े

1.3 निर्धारणों में बकाया

बिक्री कर, मोटर स्पिरिट कर, विलास कर तथा कार्य संविदाओं पर करों के सम्बन्ध में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित मामले, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय मामले, निपटाए गए मामले तथा वर्ष के अन्त में अंतिम रूप देने के लिए लम्बित मामलों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: निर्धारणों में बकाया

₹ करोड़ में						
राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	अथवेष	2017-18 के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय निर्धारण	2017-18 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अन्त तक शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	1,79,308	97,713	2,77,021	61,573	2,15,448	22
विलास कर	3,553	2,956	6,509	2,538	3,971	39
संविदा कार्यों पर कर	1,270	729	1,999	875	1,124	44
मोटर स्पिरिट पर कर	28	21	49	21	28	43

स्रोत: विभागीय आंकड़े

बकाये की विशाल तथा बढ़ती हुई मात्रा के कारण बिक्री एवं व्यापार पर करों/मूल्य वर्धित करों के मामले में निपटान (22 प्रतिशत) की निम्न प्रतिशतता एक गंभीर चिंता का मामला था।

विभाग राजस्व हित में लम्बित मामलों को कम करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाये गए कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग ने कर के अपवंचन हेतु सड़कों पर जांच एवं सर्वेक्षण किये तथा वर्ष के दौरान कर अपवंचन के 14,493 मामलों को लगाया। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उजागर किए गए कर अपवंचन के मामले, निर्णीत मामले तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों का विवरण जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, नीचे दर्शाया गया है:

तालिका - 1.6 कर का अपवंचन

क्रमांक	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	1 अप्रैल 2017 तक लम्बित मामले	2017-18 के दौरान उजागर मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई	31 मार्च 2018 तक अंतिम रूप देने हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या (राशि) (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	156	2,836	2,992	2,881	9.44
2.	राज्य आबकारी	62	1,375	1,437	1,410	1.56
3.	यात्री एवं माल कर	325	9,277	9,602	9,574	3.99
4.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	97	1,005	1,102	1,097	3.90
योग		640	14,493	15,133	14,962	18.89
						171

स्रोत: विभागीय आंकड़े

वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अंतिम रूप देने के लिए कुल 640 लम्बित मामले वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत तक घटकर 171 रह गए।

1.5 प्रतिदाय मामले

वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में लम्बित प्रतिदाय मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमति प्रतिदाय तथा वर्ष 2017-18 के अन्त तक लम्बित मामलों का विवरण नीचे में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7: लम्बित प्रतिदाय मामले

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	42	21.69	19	0.53
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	210	35.98	31	4.43
3.	वर्ष के दौरान किया गया प्रतिदाय	211	52.72	35	3.93
4.	वर्ष की समाप्ति पर अदत्त बकाया	41	4.95	15	1.03

स्रोत: विभागीय आंकड़े

वित्तीय वर्ष की शुरूआत में बकाया मामलों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्त तक बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर एवं राज्य आबकारी दोनों के बकाया मामलों की संख्या कम हो गई थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश लेन-देनों की नमूना-जांच करने एवं महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करता है जैसा कि नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित है। इन निरीक्षणों का अनुसरण ऐसे निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा किया जाता है जिनमें निरीक्षण के दौरान उजागर की गई अनियमिताओं को सम्मिलित किया गया किया है, तथा मौके पर निपटान नहीं किया गया जिन्हें निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को जारी किया जाता है तथा इनकी प्रतियों को अगले उच्चतर प्राधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु भेजा जाता है। कार्यालयाध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट अभ्युक्तियों की अनुपालन करना आवश्यक है। गम्भीर वित्तीय अनियमिताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

मार्च 2018 तक जारी किये गए निरीक्षण प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए, 2,660 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 7,924 परिच्छेदों में जून 2018 के अन्त में ₹1958.98 करोड़ की अन्तर्ग्रस्त राशि बकाया थी, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए तत्सम्बन्धी आंकड़ों सहित तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2016	जून 2017	जून 2018
निपटान हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,549	2,582	2,660
बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	7,512	7,764	7,924
अन्तर्ग्रस्त राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1,512.30	1,817.56	1,958.98

पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों, समायोजन हेतु लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा कुल धन मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई।

30 जून 2018 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि का विभागवार विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.9: लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	प्राप्तियों का स्वरूप	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	अन्तर्गत मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री तथा व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर	136	860	385.93
		राज्य आबकारी	67	314	281.43
		यात्री व माल कर	184	395	280.67
		पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	114	144	6.70
		मनोरंजन एवं विलास कर	58	113	12.63
2.	राजस्व	भू-राजस्व	219	413	169.05
		स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	644	1,412	55.04
3.	परिवहन	मोटर वाहन कर	695	2,598	299.78
4.	वानिकी एवं बन्य जीवन	वन प्राप्तियाँ	543	1,675	467.75
योग			2,660	7,924	1,958.98

वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किए गए 174 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 54 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में संबंधित विभागध्यक्षों से चार सप्ताह के अनुबंध समय के बाद लेखापरीक्षा में प्रथम उत्तर प्राप्त किये।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना है कि निर्धारित नियमों, कानूनों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है तथा गैर-अनुपालना, व्यवस्थात्मक कमियों एवं विफलताओं के मामलों को उजागर करना है। निरीक्षण प्रतिवेदनों की बड़ी संख्या तथा इसकी बढ़ती प्रवृत्ति एवं निपटान हेतु लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इसके प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया को दर्शाती हैं। इन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर कर्तवाई का अभाव जवाबदेही को कमजोर बनाती है तथा राजस्व की परिहार्य हानि के जोखिम को बढ़ावा देती है। लेखापरीक्षा द्वारा लगातार उठाए जा रहे मामले तथा लम्बित लेखापरीक्षा परिच्छेदों की बढ़ती प्रवृत्ति आवश्यक रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों के अनुश्रवण तथा निपटान में तीव्रता लाने के लिए लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए परिच्छेदों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.10: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

क्रमांक	विभाग	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	लम्बित पड़े परिच्छेदों की संख्या	निपटाये गये परिच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	राजस्व	1	1,270	42	0.50
2.	वन	1	1,659	21	6.48
योग			2,929	63	6.98

2017-18 के दौरान आयोजित राजस्व एवं वन विभागों की दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों में लम्बित पड़े 2,929 परिच्छेदों में से ₹6.98 करोड़ से अन्तर्गत 63 परिच्छेदों (2.15 प्रतिशत) का समायोजन किया गया। आबकारी एवं कराधान तथा परिवहन विभागों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

सरकार को सभी विभागों में नियमित अन्तराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना चाहिए।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करें। विभागों/सरकारों से उत्तरों की प्राप्ति न होने के मुद्दे को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे परिच्छेदों के अन्त में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाता है।

31 प्रारूप परिच्छेद जून तथा अगस्त 2018 के मध्य सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को भेजे गये थे, जिसमें से 23 परिच्छेदों को इस प्रतिवेदन में दिखाया गया है। सम्बन्धित विभागों ने छः प्रारूप परिच्छेदों के उत्तर नहीं दिए थे, तथा विभाग की प्रतिक्रिया के बिना इन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिये थे तथा उन्हें इस प्रतिवेदन में सरकार की प्रतिक्रिया के बिना सम्मिलित किया गया है। स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत धीमी थी जिसे परिच्छेद 1.7.2 के ग्राफ में दर्शाया गया है।

प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेद में उजागर तथ्यों की तार्किक पूर्णता सुनिश्चित करने तथा लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत मुद्दों की समग्र सराहना को सक्षम बनाने के लिए उत्तर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - सारांशित स्थिति

दिसम्बर 2002 में लोक लेखा समिति ने अधिसूचित किया कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई शुरू करेगा तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन मास के भीतर सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए। तथापि, इन प्रावधानों के बावजूद भी प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियों में असाधारण विलम्ब था। हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2013, 2014, 2015 तथा 2016 को समाप्त वर्षों के लिए प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 116 परिच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को 21 फरवरी 2014 तथा 31 मार्च 2017 के मध्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। तथापि, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु सम्बन्धित विभागों से इन परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां बहुत देर से प्राप्त हुई थी तथा इनमें क्रमशः 14, 10, सात एवं नौ मास का औसत विलम्ब हुआ था। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के दो परिच्छेदों पर, राजस्व विभाग से की गई कार्रवाई की टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई थीं (अगस्त 2019)।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित किसी भी परिच्छेद पर चर्चा नहीं की।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई: राजस्व विभाग की विस्तृत स्थिति

राजस्व विभाग के अन्तर्गत मुख्य प्राप्ति शीर्ष '0030-स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस' पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई के मूल्यांकन को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है तथा अनुवर्ती परिच्छेद 1.7.1 से 1.7.3 में विवरणित हैं।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षों के दौरान राजस्व विभाग से सम्बन्धित 31 मार्च 2018 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों की वस्तुस्थिति तथा उनकी संक्षिप्त स्थिति को अनुलग्नक-II में दर्शाया गया है:


वर्ष 2008-09 के प्रारंभ में 1,181 परिच्छेदों सहित 607 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति 2017-18 के अन्त तक 1,449 परिच्छेदों सहित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या बढ़कर 646 हो गई। निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई तत्सम्बधी मुद्रा मूल्य ₹15.43 करोड़ से बढ़कर ₹59.49 करोड़ हो गया।

1.7.2 स्वीकार किए गए मामलों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों, जो कि राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार किए गए तथा वसूल की गई राशि की स्थिति **अनुलग्नक-III** में दर्शायी गई है:

वसूली की प्रगति स्वीकृत मामलों में भी बहुत धीमी थी, क्योंकि 31 मार्च 2018 तक स्वीकृत परिच्छेदों में ₹269.49 करोड़ के कुल वसूली योग्य राजस्व के प्रति केवल ₹3.02 करोड़ (एक प्रतिशत) ही वसूल किए गये थे।

राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार किए गए मामलों की वसूली तथा वसूल की गई राशि को नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:



1.7.3 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार द्वारा संचालित की गई निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदन सम्बन्धित विभाग/सरकार को उनके उत्तर उपलब्ध करवाए जाने के अनुरोध के साथ अग्रेषित किया जाता है। अंतिम सम्मेलन में भी निष्पादन लेखापरीक्षा पर चर्चा की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय विभाग/सरकार के विचार सम्मिलित किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा सिफारिशों को मुख्य शीर्ष '0030-स्टाम्प शुल्क' के अन्तर्गत राजस्व विभाग पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था, जो राजस्व क्षेत्र पर वर्ष 2011-12 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई थी, को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.14: सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का शीर्षक	निष्पादन लेखापरीक्षा में की गई सिफारिशों की संख्या	टिप्पणियाँ
1.	2011-12	'यद्याविलेख पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क'	पांच सिफारिशें	विभाग ने सभी सिफारिशों को स्वीकार किया तथा बताया कि उनको लागू करने हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के प्रभार के अधीन आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष को अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी की गई विभागीय निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार निर्धारण के मामलों की नमूना जांच करना अपेक्षित था।

वर्ष 2017-18 के दौरान संचालित किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा योग्य कुल इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी
आबकारी एवं कराधान	13	13	04	09
राजस्व	परिवहन	विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया।		
वन		आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष नहीं था।		

आबकारी एवं कराधान विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी का कारण स्टॉफ की कमी बताया। आंतरिक लेखापरीक्षा से सम्बन्धित सूचना राजस्व एवं परिवहन विभागों द्वारा प्रदान नहीं की गई जबकि वन विभाग ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष का विभाग में गठन नहीं किया गया था।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा इकाइयों को उनकी राजस्व स्थिति, पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों तथा अन्य मानदंड के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है जिस में अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी राजस्व तथा कर प्रशासन के गंभीर मामले समिलित होते हैं जो कि बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय के सांस्थिकी विश्लेषण लेखापरीक्षा व्याप्ति से लिए होते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान 386 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों थी, जिनमें से 178 इकाइयों⁸ की लेखापरीक्षा की गई। दो विषयक लेखापरीक्षा "व्यापारियों को दी गई रियायतें" तथा "विभिन्न प्राप्ति शीर्षों के अन्तर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग में राजस्व बकाया" संचालित की गई। इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राप्तियों की वसूली में सम्बद्ध विभागों की प्रभावशीलता को जांचने के लिए "वस्तु एवं सेवा कर में परिवर्तित होने की तैयारी" पर भी लेखापरीक्षा संचालित की गई।

1.10 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से 386 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन, माल एवं यात्री कर तथा वन प्राप्तियों की 178 इकाइयों की लेखापरीक्षा संचालित की गई। विभागों की कार्यप्रणाली में बिक्री एवं खरीद के दमन का पता लगाने में विफलता; निवेश कर क्रेडिट का अवनिर्धारण/गलत छूट देना; कर की गलत दर को लागू करना; निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस तथा व्याज की अल्प वसूली; स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अल्प उद्घरण, उप-पंजीकरणों द्वारा

⁸ इन इकाइयों में तीन शीर्ष स्तर की इकाइयाँ आबकारी, परिवहन एवं राजस्व विभाग, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के कार्यालय की एक इकाई (ये चार निरीक्षण प्रतिवेदन जारी नहीं किए गए थे), विलासिता कर, मनोरंजन कर, टोल कर एवं बहुउद्देश्यीय बैरियर की इकाइयाँ शामिल हैं।

सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण; परिवहन विभाग द्वारा सांकेतिक कर, विशेष सड़क कर, समेकित फीस की अल्प वसूली; वन विभाग द्वारा रॉयल्टी एवं विस्तार फीस की अल्प वसूली की मुख्य कमियां पाई गई। 2017-18 के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा उजागर कमियों के कारण 863 मामलों में कुल ₹490.09 करोड़ की राशि के राजस्व की हानि थी।

वर्ष के दौरान, सम्बन्धित विभागों ने 317 मामलों में ₹13.61 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, जिसमें से 298 मामलों में ₹4.16 करोड़ की राशि वसूली गई जिसमें पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित 296 मामलों के ₹4.15 करोड़ तथा 2017-18 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित दो मामलों में ₹0.01 करोड़ थी।

1.11 इस प्रतिवेदन की आवृत्ति

इस प्रतिवेदन में ₹330.87 करोड़ के राजस्व निहितार्थ दो विषयक लेखापरीक्षा सहित 25 परिच्छेद हैं। विभाग/सरकार ने ₹87.87 करोड़ से युक्त 19 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जिसमें से 11 मामलों में ₹4.30 करोड़ वसूले गए थे।

अध्याय-II

बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

अध्याय-II

बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

2.1 कर प्रशासन

सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव (आबकारी) बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर की व्यवस्था करता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग का अध्यक्ष होता है जिसे दो अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, एक संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, छः उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। क्षेत्र में जिला स्तर पर 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हैं जिन्हें 69 आबकारी एवं कराधान अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित कर कानूनों तथा नियमों की व्यवस्था हेतु विभाग एवं अन्य कर्मचारियों की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए क्षेत्र में आबकारी एवं कराधान निरीक्षक होते हैं।

2.2 लेखापरीक्षा परिणाम


2017-18 के दौरान, 89 इकाइयों में से 33 इकाइयों जिनमें मूल्य वर्धित कर/वस्तु एवं सेवा कर, विलास एवं बहुउद्देशीय बैरियर के अंतर्गत ₹1865.44 करोड़ की प्राप्तियां सम्मिलित थी, के अभिलेखों की नमूना जांच से 300 मामले में ₹281.72 करोड़ से अंतर्गत कर के अवनिधारण एवं अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुईं जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा परिणाम

₹ करोड़ में			
क्रम संख्या	वर्ग	मामलों की संख्या	राशि
1.	"विभिन्न प्राप्ति शीर्षों के अन्तर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग में राजस्व बकाया" पर लेखापरीक्षा	01	185.69
2.	'व्यापारियों को दी गई रियायत' पर लेखापरीक्षा	01	13.89
3.	कर का अवनिधारण	24	5.22
4.	दोषपूर्ण सांविधिक फार्म-सी एवं एफ की स्वीकृति	19	9.97
5.	बिक्री/खरीद को छिपाने के कारण कर का अपवर्चन	47	12.27
6.	निवेश कर क्रेडिट की अनियमित/गलत/अधिक छूट	70	6.25
7.	कर की गलत दरें लागू करना	32	40.72
8.	अन्य अनियमितताएं	78	3.78
योग			272
अन्य कर एवं गैर कर			277.79
1.	मनोरंजन कर	03	3.78
2.	बहुउद्देशीय बैरियर्स	13	0.15
3.	विलास कर	12	
योग			28
सकल योग			300
सकल योग			281.72

लेखापरीक्षा के परिणाम की स्थिति नीचे ग्राफ में दर्शाई गई है:

ग्राफ- 2.1



वर्ष 2017-18 के दौरान, विभाग ने 75 मामलों में ₹2.74 करोड़ का अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 66 मामलों में ₹86.63 लाख की राशि वसूल की गई थी।

₹199.58 करोड़ की मुद्रा मूल्य युक्त दो विषयक लेखापरीक्षाएं तथा ₹29.74 करोड़ के मुद्रा मूल्य युक्त सात परिच्छेदों के रूप में महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा निम्नवर्त है:

2.3 वस्तु एवं सेवा कर में परिवर्तित होने की तैयारी

परिचय

वस्तु एवं सेवा कर परिषद् द्वारा अनुमोदित आदर्श कानून के अनुसार सरकार/विभाग, अधिनियम/नियमों के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए तैयारी में तत्पर था। वस्तु एवं सेवा कर परिषद् की अनुशंसाओं पर नियमों/विनियमों में 1 जुलाई 2017 से बार-बार होने वाले परिवर्तनों के कारण राज्य सरकार कई प्रक्रियाओं को लागू नहीं कर सकी। विभाग को पिछले मुद्राओं जैसे पूर्व वस्तु एवं सेवा कर के मामलों का निर्धारण, पूर्व वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था से सम्बन्धित कर के प्रतिदायों एवं बकायों की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करके शीघ्रता से समय सीमा में इन मामलों का हल ढूँढ़ने की आवश्यकता है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क भी पूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी हल उपलब्ध नहीं करवा सका।

वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वस्तुओं अथवा सेवाओं (मानव उपयोग हेतु शराब एवं पांच विशिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों¹ को छोड़कर) की अन्तरराज्यीय आपूर्ति पर वस्तु एवं सेवा कर² को अलगा से परन्तु संघों (केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर) तथा राज्यों (राज्य वस्तु एवं सेवा कर)/केन्द्र शासित प्रदेशों (केन्द्र शासित वस्तु एवं सेवा कर) द्वारा समवर्ती रूप से उद्गृहीत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं अथवा सेवाओं (आयात सहित) की अन्तरराज्यीय आपूर्ति पर उद्गृहीत किया जा रहा है तथा संसद को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पूर्व उत्तरोत्तर व्यापारियों द्वारा बिक्रियों की श्रृंखलाओं में वस्तुओं की अन्तरराज्यीय बिक्री पर हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसार मूल्य वर्धित कर उद्गृहीत किया जाता था तथा अन्तरराज्यीय कारोबार अथवा व्यापार के क्रम में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अनुसार वस्तुओं की बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर उद्गृहीत किया जाता था।

राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम के प्रावधानों को विनियमित करने का अधिकार दिया गया था जबकि माल एवं सेवा कर से सम्बद्ध प्रावधानों को वस्तु एवं सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर केन्द्र एवं राज्यों द्वारा विनियमित किया जा रहा है जिसका गठन वस्तु एवं सेवा कर से सम्बद्ध मामलों पर केन्द्र एवं सभी राज्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 को अधिसूचित किया (जून 2017)। वस्तु एवं सेवा कर में विभिन्न करों³ को समाविष्ट किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। यह मुख्यतया करदाताओं को पंजीकरण, कर भुगतान तथा रिटर्नों को जमा करने की आरम्भ से सिरे तक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं (फ्रंट-ऐण्ड) प्रदान करता है। अंतिम सिरे (बैक ऐण्ड) की सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं जैसे कि पंजीकरण अनुमोदन, कर भुगतानकर्ता विवरण देखना, प्रतिदाय करने की प्रक्रिया, एमआईएस रिपोर्ट, इत्यादि जानकारियां भी मॉडल-II⁴ राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा प्रदान की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश ने मॉडल-II को चुना है।

2.3.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

भारत के संविधान में 162 वें संशोधन अर्थात् सितम्बर 2016 से मार्च 2018 तक वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के सम्बद्ध में राज्य सरकार/वाणिज्यिक कर विभाग के क्रियाकलापों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, उपायुक्त

¹ पेट्रोलियम उत्पाद: कच्चा तेल, उच्च गति डीजल, पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन तथा प्राकृतिक गैस।

² केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर: सीजीएसटी तथा राज्य/संघीय क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर: एसजीएसटी/आईजीएसटी।

³ मूल्य वर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश शुल्क, विलास एवं मनोरंजन कर, इत्यादि।

⁴ मॉडल-I राज्य: केवल वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध करवाई गई फ्रन्ट ऐण्ड सेवाएं तथा मॉडल-II राज्य: फ्रन्ट ऐण्ड तथा बैक ऐण्ड दोनों सेवाएं वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध करवाई गई।

कार्यालय वाणिज्यिक करों के अभिलेखों तथा पिछले मुद्दों अर्थात् निर्धारण, वसूली/प्रतिदाय गलतियों का सुधार करना, घोषित प्रपत्रों का प्रस्तुतीकरण इत्यादि से सम्बन्धित विभागीय वैब आधारित ऐप्लीकेशन www.gst.gov.in में उपलब्ध डाटा की जांच की गई।

2.3.3 राजस्व की प्रवृत्ति

वस्तु एवं सेवा कर को जुलाई 2017 से लागू किया गया था तथा विगत वर्ष 2016-17 की उसी अवधि के दौरान पूर्व वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ₹4,381.91 करोड़ के प्रति अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित/असम्मिलित करों की कुल प्राप्तियां ₹4,843.86 करोड़ (₹484.84 करोड़ के अग्रिम एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर सहित) थी अर्थात् इनमें ₹10.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूर्व वस्तु एवं सेवाकर तथा वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष	बजट अनुमान	पूर्व वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्राप्तियां	राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्राप्तियां		पूर्व वस्तु तथा सेवा कर तथा वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां	गत वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (प्रतिशतता में)	प्राप्त क्षतिपूर्ति	कुल प्राप्तियां	₹ करोड़ में
			राज्य वस्तु एवं सेवा कर	एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर का बंटवारा					₹ करोड़ में
2013-14	3,232.90	3,141.10	-	-	3,141.10	-	-	3,141.10	3,141.10
2014-15	3,195.62	3,660.57	-	-	3,660.57	16.53	-	3,660.57	3,660.57
2015-16	3,937.01	3,992.99	-	-	3,992.99	9.08	-	3,992.99	3,992.99
2016-17	4,715.67	4,381.91	-	-	4,381.91	9.74	-	4,381.91	4,381.91
2017-18	5,135.48	2,525.87 ¹	-	-	4,843.86	10.54	1,059.00 ³	5,902.86	5,902.86
2017-18		1,833.15 ²	484.84						

राज्य हेतु जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संरक्षित ऑकडे ₹3,546 करोड़ हैं।

¹ अप्रैल से जून 2017 ² जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक

³ 2017-18 के दौरान ₹ 539.00 करोड़ तथा 2018-19 में ₹ 520 करोड़ प्राप्त हुए थे।

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट अनुमान

पिछले चार वर्षों के दौरान प्राप्तियों में बढ़ती प्रवृत्ति थी।

2.3.4 कानूनी/सांविधिक तैयारी

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 को (जून 2017) अधिसूचित किया। 27 मार्च 2018 से राज्य में अन्तरराज्यीय लेनदेनों तथा 31 मई 2018 से अन्तरराज्यीय लेनदेनों हेतु ई-वे बिल प्रणाली को लागू किया गया था। इसके आगे, राज्य सरकार ने राज्य में वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु समय-समय पर आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की थी। राज्य सरकार/वाणिज्यिक कर विभाग ने जून 2017 से मार्च 2019 तक वस्तु एवं सेवा कर के सम्बन्ध में 237 अधिसूचनाएं/परिपत्र/आदेश जारी किए थे।

2.3.5 सूचना प्रौद्योगिकी की तैयारी एवं विभाग द्वारा क्षमता निर्माण हेतु प्रयास

वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क करदाताओं को पंजीकरण, कर भुगतान एवं रिटर्न भरना नामक तीन फ्रंट ऐण्ड सेवाएं प्रदान करता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन हेतु, बैंक ऐण्ड ऐप्लीकेशन जैसे पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण देखना, वचन पत्र, प्रक्रिया, प्रतिदाय प्रक्रिया, प्रबन्धन सूचना प्रणाली रिपोर्ट इत्यादि हेतु मॉडल-II को चुना है इसलिए वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा वस्तु एवं सेवा कर प्रशासन को विकसित किया जा रहा था। विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार राज्य डाटा केन्द्र पर मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग के माध्यम से राज्य में बैंक ऐण्ड ऐप्लीकेशन हेतु पहुंच उपलब्ध थी।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए गए थे। वस्तु एवं सेवा कर पर अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्टूबर/नवम्बर 2015 के दौरान तीन बैचों में केरल स्थित तिरुअनन्तपुरम में आबकारी एवं कराधान अधिकारी स्तर के अधिकारियों हेतु आयोजित किया गया था। बैक ऑफिस मॉड्यूल तथा प्रतिदाय मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिसम्बर 2018 के दौरान उपायुक्त स्तर के अधिकारियों हेतु दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूनिट स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रत्येक वर्ष 20 कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। विभाग ने भी सूचित किया कि विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य को 517 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर पूर्णतः प्राप्त किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर से सम्बद्ध सूचना जैसे अधिनियम/नियम, अधिसूचना/परिपत्र/आदेश, ई-वे बिल आदि हेतु www.gst.gov.in नामक वेबसाइट प्रदान की गई है। एक केन्द्रीकृत कॉल सेंटर करदाताओं की समस्याओं/पूछताछ हेतु भी स्थापित किया गया था।

2.3.6 वस्तु एवं सेवाकर को लागू करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने में मुख्य रूप से पंजीकरण, स्थानांतरण, करदाताओं का आंबटन, रिटर्नों को भरना, कर भुगतान, अन्तर्वर्ती क्रेडिट, प्रतिदाय, इत्यादि जैसी समस्याओं/चुनौतियों का सामना किया। राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से नियमों व विनियमों में किए गए परिवर्तनों सहित समस्याओं पर लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

2.3.7 कर दाताओं का पंजीकरण

प्रत्येक व्यक्ति जो वस्तु एवं सेवा कर के पूर्व किसी भी कानून के तहत पंजीकृत था तथा जिसके पास स्थाई लेखा संख्या है, उसे अस्थाई आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। अंतिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर ही प्रदान किया जाना है। इसके अतिरिक्त, करदाता जिसकी कुल बिक्री ₹10 लाख की सीमा रेखा से अधिक हो, को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है। यह सीमा 31 जनवरी 2019 तक रही तथा 1 फरवरी 2019 से इस सीमा को संशोधित करके ₹20 लाख कर दिया।

2.3.8 वाणिज्यिक कर विभाग के विद्यमान करदाताओं का स्थानांतरण

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत, सम्मिलित करों के किसी भी विद्यमान कानून के अंतर्गत पंजीकृत तथा स्थाई लेखा संख्या रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नम्बर को मान्य करके सार्वजनिक पोर्टल पर नामांकन करेगा। ऐसे व्यक्ति को अस्थाई आधार पर पंजीकरण अनुमत किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसे अस्थाई पंजीकरण प्रदान किया गया है, वह अपने आवेदन में विनिर्दिष्ट सूचना व दस्तावेजों सहित सार्वजनिक पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि आवेदन में भरी गई सूचना एवं विवरण सही व पूर्ण होगा तो पंजीकृत व्यक्ति का पंजीकरण प्रमाणपत्र इलेक्ट्रोनिक रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा।

विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वाणिज्यिक कर विभाग में विद्यमान पंजीकृत व्यापारियों के अस्थाई पंजीकरण एवं अंतिम पंजीकरण की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: विद्यमान कर दाताओं का स्थानांतरण

30 जून 2017 तक विद्यमान व्यापारियों की कुल संख्या	वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क से प्राप्त अस्थाई आईडी की कुल संख्या (कॉलम- I सम्बन्ध में प्रतिशतता)	पूर्ण किए गए नामांकन (कॉलम- II के सम्बन्ध में प्रतिशतता)	वस्तु एवं सेवाकर के अन्तर्गत अनुकित नहीं किए व्यापारियों की संख्या
1	2	3	4
73,520	72,688 (99 प्रतिशत)	53,537 (72.82 प्रतिशत)	19,151

स्रोत: विभागीय आंकड़े

99 प्रतिशत विद्यमान व्यापारियों ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क से अस्थाई आईडी को प्राप्त कर लिया था परन्तु केवल 72.82 प्रतिशत विद्यमान व्यापारियों ने ही स्थानांतरण प्रक्रिया को पूर्ण किया था तथा उन्हें अंतिम रूप से वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

व्यापारियों के कम नामांकन का कारण विभाग ने बताया कि मूल्य वर्धित कर व्यवस्था में ₹5.00 लाख की सकल कुल बिक्री वाले व्यापारियों को पंजीकृत किया जाता था जबकि वस्तु एवं सेवा कर में ₹10 लाख तक की सकल कुल बिक्री वाले व्यापारियों को पंजीकरण से छूट प्राप्त है।

2.3.9 केन्द्र एवं राज्य के मध्य करदाताओं का बंटवारा

(क) वाणिज्यिक कर विभाग एवं केन्द्रीय आबकारी विभाग में विद्यमान पंजीकृत करदाता

वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों के अनुसार 90 प्रतिशत विद्यमान पंजीकृत करदाताओं जिनकी कुल बिक्री ₹1.50 करोड़ तक तथा 50 प्रतिशत विद्यमान पंजीकृत करदाता जिनकी कुल बिक्री ₹1.50 करोड़ से ऊपर थी, को राज्य को आबंटित किया गया। तदनुसार, राज्य को 48,506 विद्यमान पंजीकृत करदाताओं का क्षेत्राधिकार आबंटित किया गया (नवम्बर 2017) जैसा कि निम्नवतः वर्णित है:

तालिका 2.4: विद्यमान पंजीकृत करदाता

विद्यमान पंजीकृत करदाता			
विवरण	₹1.50 करोड़ से ऊपर सकल बिक्री	₹1.50 करोड़ से नीचे सकल बिक्री	जोड़
केन्द्र	3,799	4,968	8,767
राज्य	3,798	44,708	48,506
कुल	7,597	49,676	57,273

स्रोत: विभागीय आंकड़े

(ख) नये करदाता

वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल द्वारा राज्य तथा केन्द्र को नए पंजीकृत करदाताओं का क्षेत्राधिकार, करदाताओं द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन जमा करने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से आबंटित किया जा रहा है। 31 मार्च 2019 तक राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नये पंजीकरण की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: नए पंजीकृत करदाता

मार्च 2019 तक प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या
63,789	9,504	53,747	538

स्रोत: विभागीय आंकड़े

इस प्रकार, मार्च 2019 तक पंजीकरण के विभिन्न चरणों पर 538 आवेदन लम्बित थे। इसमें वे मामले भी शामिल हैं जो नियम बनाने की तिथि से प्राप्त हुए थे अर्थात् 22 जून 2017।

2.3.10 रिटर्न को फाईल करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार कम्पोजिशन करदाताओं के अतिरिक्त अन्य करदाताओं को फार्म जीएसटीआर-1⁵ में वस्तुओं या सेवाओं की बहिर्गमी आपूर्ति के विवरण, फार्म जीएसटीआर-2⁶ में वस्तुओं या सेवाओं की आंतरिक आपूर्ति के विवरण तथा फार्म जीएसटीआर-3 में (जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-2 के माध्यम से प्रतिमाह प्रस्तुत जानकारी के आधार पर सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न) रिटर्न फाईल करना आवश्यक है। कम्पोजिशन अनुदग्रहण के अन्तर्गत करदाताओं को जीएसटीआर-4 में त्रैमासिक रिटर्न फाईल करना अपेक्षित है।

⁵ जीएसटीआर-1: (क) पंजीकृत व्यक्तियों को किए गए सभी अन्तरराज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय आपूर्ति का चालान वार विवरण तथा अपंजीकृत व्यक्तियों को किए गए ₹2.50 लाख से अधिक चालान मूल्य सहित अन्तरराज्यीय आपूर्ति, (ख) अपंजीकृत व्यक्तियों को किए सभी अन्तर्राज्यीय आपूर्तियों तथा अपंजीकृत व्यक्तियों को किए गए ₹2.50 लाख तक के चालान मूल्य सहित राज्य-वार अन्तरराज्यीय आपूर्तियों का समेकित विवरण तथा (ग) महीने के दौरान जारी किए गए डेबिट एवं क्रेडिट नोट्स, यदि कोई हो।

⁶ जीएसटीआर-2: (क) पंजीकृत व्यक्तियों अथवा अपंजीकृत व्यक्तियों से सभी अन्तरराज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय आपूर्ति का चालान वार विवरण प्राप्त किया, (ख) माल एवं सेवाओं का आयत तथा (ग) आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त डेबिट एवं क्रेडिट नोट्स, यदि कोई हो।

नई कर व्यवस्था की प्रारम्भिक अवधि में करदाताओं के सामने आई समस्याओं को सुलझाने के लिए रिटर्न फाईल करने की निर्धारित प्रक्रिया को संशोधित किया गया। जीएसटीआर-2 एवं जीएसटीआर-3 को फाईल करना स्थगित कर दिया गया एवं सभी करदाताओं को आगामी मास की 20 तारीख तक कर भुगतान सहित फार्म जीएसटीआर-3ख⁷ में साधारण मासिक रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, करदाता जिनकी कुल बिक्री ₹1.50 करोड़ से कम थी, को त्रैमासिक आधार पर जीएसटीआर-I फाईल करना था। ऐसे करदाता जिन्होंने अपनी रिटर्न को जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान फाईल (जीएसटीआर-3ख) किया है, का विवरण तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: फाईल की गई रिटर्नों का माह वार विवरण

मास/वर्ष	कुल करदाता	कर दाताओं की संख्या जिन्होंने रिटर्न को फाईल किया	कर दाताओं की संख्या जिन्होंने रिटर्न को फाईल नहीं किया	कर दाताओं की प्रतिशतता जिन्होंने रिटर्न को फाईल किया
जुलाई 2017	50,631	49,701	930	98
अगस्त 2017	56,145	53,445	2,700	95
सितम्बर 2017	60,003	55,881	4,122	93
अक्टूबर 2017	58,024	52,223	5,801	90
नवम्बर 2017	59,612	52,163	7,449	88
दिसम्बर 2017	60,836	52,440	8,396	86
जनवरी 2018	62,906	53,455	9,451	85
फरवरी 2018	65,080	54,457	10,623	84
मार्च 2018	67,654	55,316	12,338	82

यह देखा जा सकता है कि रिटर्न फाईल करने की प्रतिशतता 98 प्रतिशत से 82 प्रतिशत तक घट गई है। अतः कर दाताओं द्वारा देय कर को समय पर जमा किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु इन रिटर्नों का अनुश्रवण आवश्यक है।

2.3.11 कम्पोजिशन के अन्तर्गत व्यापारियों द्वारा कर भुगतान

कर भुगतान करने योग्य कोई व्यक्ति जिसकी सकल कुल बिक्री किसी वित्तीय वर्ष में ₹75 लाख से कम है वह सिम्पलीफाईड कम्पोजिशन स्कीम को अपना सकता है जहां निवेश कर क्रेडिट लाभ के बिना राज्य में कुल बिक्री पर एक प्रतिशत की रियायत दर से कर भुगतान योग्य होगा। इस सीमा को अक्टूबर 2017 से संशोधित करके एक करोड़ कर दिया गया था। त्रैमासिक रिटर्न जीएसटीआर-4⁸ को देय कर के भुगतान के पश्चात फाईल करना अपेक्षित है।

रिटर्न फाईल करने की स्थिति को नीचे दिया है:

तालिका 2.7: करदाताओं एवं रिटर्न फाईल करने वालों का विवरण

तिमाही	जीएसटीआर-4 को फाईल करने के पात्र करदाता	कुल फाईल की गई रिटर्नों	प्रतिशतता
जून 2018	21,482	19,471	91
सितम्बर 2018	21,691	18,949	87
दिसम्बर 2018	21,360	18,075	85

यह देखा जा सकता है कि रिटर्न फाईल करने की प्रतिशतता 91 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक घट गई। अतः करदाताओं द्वारा देय कर को समय पर जमा किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु इन रिटर्नों का अनुश्रवण आवश्यक है।

2.3.12 परिवर्ती क्रेडिट

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार धारा 10 (कम्पोजिशन उद्ग्रहण) के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में पंजीकृत करदाता, वस्तु एवं सेवा कर के पूर्व

⁷ जीएसटीआर-3ख: कम्पोजिशन अनुद्ग्रहण करदाताओं को छोड़कर अन्य सभी करदाताओं द्वारा अपेक्षित मासिक रिटर्न फाईल

⁸ जीएसटीआर-4: कम्पोजिशन व्यापारियों द्वारा रिटर्न फाईल की जानी है।

की कर व्यवस्था के निवेश कर क्रेडिट की लाभ न उठाई गई राशि का दावा आगे अप्रेषित करने के लिए पात्र है। इसमें वैट रिटर्न में आगे अप्रेषित नहीं किए गए पूँजीगत वस्तुओं के संदर्भ में लाभ न उठाए गए निवेश कर क्रेडिट भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, करदाता स्टॉक में रखे निवेशों के संदर्भ में तथा स्टॉक में रखी अर्ध-निर्मित अथवा पूर्ण निर्मित वे वस्तुएं, जिन क्रेडिट पर पहले कानून के अंतर्गत दावा नहीं किया गया था, उन पर मूल्य वर्धित कर का क्रेडिट लेने के लिए भी पात्र है तथा करदाता हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन निवेशों जैसे निवेश कर क्रेडिट के लिए पात्र है। पंजीकृत करदाताओं को निर्धारित टीआरएन-1 फार्म में रिटर्न फाईल करना आवश्यक है। तथापि, वस्तु एवं सेवा कर के पूर्व कानून के अंतर्गत आवश्यक सभी रिटर्न नियत तिथि से छः माह की अवधि में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तुरन्त नहीं करने पर करदाता को क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्रासंगिक डम्प डाटा (मार्च 2019) की छानबीन तथा करदाता द्वारा अप्रैल से 30 जून 2017 की अवधि हेतु फाईल की गई मूल्य वर्धित कर रिटर्न (वैट-XXV) की प्रति जांच करने से उद्घाटित हुआ कि 14,367 करदाताओं ने टीआरएन-1 फाईल किया था तथा ₹558.89 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। लेखापरीक्षा ने 580 मामलों की नमूना जांच की जहां परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था तथा मूल्य वर्धित कर रिटर्न (वैट-XXV) के साथ प्रति जांच की। लेखापरीक्षा में निम्नवत पाया गया:-

- 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही के अन्त में व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत रिटर्नों के अनुसार 25 करदाताओं ने ₹78.06 लाख के उपलब्ध निवेश कर क्रेडिट के प्रति टी.आर.ए.एन-1 में ₹1.27 करोड़ के निवेश कर क्रेडिट का दावा किया। इस प्रकार व्यापारी के पास उपलब्ध बिना बिके स्टॉक/पूँजीगत वस्तुओं इत्यादि के प्रति ₹48.94 लाख के अधिक निवेश कर क्रेडिट का दावा किया गया था।
- 33 करदाताओं ने टी.आर.ए.एन-01 में ₹3.73 करोड़ के निवेश कर क्रेडिट का दावा किया था जबकि 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही के अन्त में इन व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिटर्नों के अनुसार कोई भी निवेश कर क्रेडिट उपलब्ध नहीं था।

विभाग द्वारा इन करदाताओं के विरुद्ध की गई करवाई को अभिलेखों में नहीं लिया गया था।

2.3.13 वस्तु एवं सेवाकर के अंतर्गत प्रतिदाय

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के अंतर्गत प्रतिदाय मॉड्यूल परिचालन में नहीं था, अतः आवेदकों को हस्तचलित प्रणाली के माध्यम से प्रतिदायों की अनुमति दी जा रही है। विशेष कर अवधि के अंत में अप्रयुक्त निवेश कर क्रेडिट अथवा इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही में शेष राशि के प्रतिदाय हेतु विशिष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। कर की अदायगी के बिना की गई शून्य दर आपूर्तियों के मामले में, या जब निवेशों पर कर की दर उत्पादन आपूर्तियों पर कर की दर से अधिक होने पर क्रेडिट जमा हो जाए तो अप्रयुक्त निवेश कर क्रेडिट का प्रतिदाय अनुमत है।

विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार प्रतिदाय की स्थिति निम्नवत् थी:-

तालिका 2.8: अनुमत प्रतिदाय का विवरण

						₹ करोड़ में
मार्च 2019 तक प्रतिदाय हेतु प्राप्त आवेदन	निर्धारित अवधि में अनुमत प्रतिदाय		निर्धारित अवधि के उपरांत प्रतिदाय		अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	
करदाताओं की संख्या	राशि	करदाताओं की संख्या	राशि	करदाताओं की संख्या	राशि	
773	196.59	617 (79.81 प्रतिशत)	167.04	5 (0.70 प्रतिशत)	6.08	151

यह पाया गया कि साठ दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर विभाग ने पंजीकृत करदाताओं के 79.81 प्रतिशत प्रतिदायों की अनुमति दी तथा 151 आवेदन अस्वीकृत किए।

2.3.14 पिछले मुददे

मूल्यांकन, बकायों की वसूली तथा इनसे सम्बन्धित अन्य मामलों के संदर्भ में पिछले मुददे जिनका लेखापरीक्षा में निर्धारण किया गया, जैसा कि निम्नवत् है:

2.3.14.1 बकायों की वसूली

विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2018 को लम्बित कुल बकाया (मूल्य वर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर) ₹3,086.23 करोड़ था। विभाग ने बकायों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। ₹2610.10 करोड़ के बकायों को भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु संदर्भित किया गया था, ₹109.89 करोड़ को न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था, ₹16.69 करोड़ सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डों से वसूली योग्य थे, ₹27.88 करोड़ को बट्टे खाते में डालने के लिए प्रस्तावित किया गया था, ₹27.19 करोड़ अपील के अन्तर्गत लम्बित थे तथा ₹294.48 करोड़ अन्य से वसूली योग्य थे।

2.3.14.2 व्यापारियों का कर निर्धारण

व्यापारियों का पंजीकरण हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 तथा वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के पूर्व अन्य लघु करों जैसे प्रवेश कर, विलास कर, मनोरंजन कर इत्यादि के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए 30 जून 2017 तक पुरानी कर व्यवस्था के तहत पंजीकृत व्यापारियों का कर निर्धारण विभाग द्वारा निर्धारित अवधि⁹ में पूर्ण किया जाना है। विभाग ने विश्व बैंक के साथ (दिसम्बर 2016) हिमाचल प्रदेश लोक वित्तीय प्रबंधन परियोजना को लागू करने के लिए अनुबंध किया। अनुबंध की अवधि 2018-2022 है। शर्तों में से एक के अन्तर्गत मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर व्यवस्था के अन्तर्गत लम्बन को निपटाना था। उपरोक्त अनुबंध के अनुसार कार्यक्रम की अवधि के अंत तक विभाग को 90 प्रतिशत निर्धारणों को पूर्ण करना अपेक्षित है।

उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी नोटिस की शर्तों की अनुपालन करने में व्यापारी के विफल रहने के अतिरिक्त व्यापारी के निर्धारण हेतु मूल्य वर्धित कर अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। निर्धारण प्राधिकारी ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात पांच वर्षों के भीतर व्यापारी द्वारा देय कर की राशि को अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार कर निर्धारण हेतु कार्यवाही करेगा।

विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 अक्टूबर 2018 तक निर्धारण हेतु 1,68,690 मामले लम्बित थे। विभाग ने लम्बन को नवम्बर 2020 तक पूर्व-वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अन्तर्गत निपटाने का प्रस्ताव किया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने सचिव, वस्तु एवं सेवा कर परिषद को 35 प्रतिशत विवादित कर मामलों को व्याज एवं शास्ति सहित बट्टे-खाते में डालने की (जनवरी 2019)एक स्कीम भेजी। मामले में आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी।

उपायुक्त, राजस्व जिला बद्दी तथा सोलन ने कर निर्धारणों में लम्बन का कारण व्यापारियों से सांविधिक फार्म "सी" एवं "एफ" प्राप्त न करना तथा स्टाफ की कमी बताया।

2.3.14.3 निर्धारण हेतु नोटिस जारी करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि यदि किसी वर्ष से सम्बद्ध रिटर्न फाईल की गई है तथा इसमें महत्वपूर्ण विवरण सही एवं पूर्ण हैं तो व्यापारी का उस वर्ष के लिए कर निर्धारण किया गया माना जाएगा। यदि निर्धारण प्राधिकारी फाईल की गई रिटर्न से संतुष्ट नहीं है तो निर्धारण प्राधिकारी रिटर्न फाईल करने के पांच वर्ष के भीतर नोटिस जारी करेगा। यदि निर्धारिती प्रतिक्रिया नहीं देता है तो निर्धारण प्राधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार नोटिस जारी करने के पांच वर्ष के भीतर कर निर्धारण को अंतिम रूप देगा। तथापि, यदि निर्धारिती प्रतिक्रिया देता है तब मामले के निर्धारण हेतु कोई समय सीमा नहीं है।

⁹ रिटर्न फाईल करने के वर्ष के पश्चात पांच वर्ष के भीतर।

तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (सोलन, सिरमौर एवं बद्दी) के बकाया मामलों की लेखापरीक्षा छानबीन से उदघाटित हुआ कि मूल्य वर्धित कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत 1,17,986 मामले अंतिम निर्धारण हेतु लम्बित थे (जून 2019)। इसमें से 29,037 मामले 2005-06 से 2012-13 की अवधि से सम्बन्धित थे। विभाग ने फाईल रिटर्न करने के पश्चात पांच वर्ष की निर्धारित समय सीमा के उपरान्त इन व्यापारियों को 2018 तथा 2019 के दौरान नोटिस जारी किए थे। उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार निर्धारण प्राधिकारियों को रिटर्न फाईल करने के पांच वर्ष के भीतर निर्धारण हेतु नोटिस जारी करने थे परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे राज्य की राजस्व वसूली पर प्रभाव पड़ेगा।

उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने बताया (अप्रैल 2019) कि नेटवर्क एवं कैनैक्टिविटी का मामला मुख्य रूकावट थी। 10 एमबीपीएस की अपेक्षित गति के प्रति केवल 512 केबीपीएस गति उपलब्ध थी जिसके कारण कॉमन पोर्टल पर डाटा एक्सैस नहीं किया जा सका तथा कभी-कभी कैनैक्शन बन्द हो जाता था। इसके अतिरिक्त, गलत मिलाप, रिटर्न के दोषी तथा प्रतिदाय आवेदन की जांच हेतु उचित एमआईएस डाटा उपलब्ध नहीं था। डाटा मार्झन एवं विश्लेषण बहुत कठिन था क्योंकि डाटा एक्सट्रैक्शन को कलाउड आधारित डाटा से किया जाना था। निवेश कर क्रेडिट की जांच हेतु ऐक्सैस ऑनलाईन उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि व्यापारी ने स्लोट बिन्दु पर कर जमा करवा दिया था। यह सुझाव दिया गया कि पूर्ण ऑनलाईन प्रतिदाय प्रणाली की प्रकल्पना की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

सरकार/विभाग वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन हेतु इसकी तैयारी में तत्पर थे जिसे वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा अनुमोदित आर्दश कानून के अनुसार अधिनियमों एवं नियमों के अधिनियमन के संदर्भ में देखा जा सकता है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर प्रथम जुलाई 2017 से नियमों/विनियमों में बारम्बार परिवर्तन किए गए थे। करदाताओं द्वारा कठिनाइयों का सामना करने के कारण रिटर्नों का फाईल करना रथगित कर दिया था। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क रिटर्न फाईल करने से सम्बन्धित पूर्ण सूचना प्रोटोकॉल की हल प्रदान करने में सक्षम नहीं था। राज्य सरकार वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधान को लागू करने में पंगु थी क्योंकि इसकी इसमें सीमित भूमिका थी। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियमित के सफल कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित गति सहित एक पूर्ण नेटवर्क प्रणाली की प्रकल्पना आवश्यक है। विभाग को पिछले मुद्दे जैसे पूर्व वस्तु एवं सेवाकर मामले, बकाया वसूली तथा समयबद्ध तरीके से लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान को सुलझाने की आवश्यकता है। पूर्व वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के प्रतिदायों के लिए आवेदन करने हेतु व्यापारियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त बिन्दु विभाग तथा सरकार को अप्रैल 2019 में सूचित किए गए थे; उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2019)।

2.4 "व्यापारियों को दी गई रियायत" पर लेखापरीक्षा

निर्धारण प्राधिकारियों ने अन्तरराज्यीय बिक्री पर व्यापारियों की पात्रता प्रमाणित किए बिना उनको रियायत तथा अत्यधिक छूट अनुमत की। अबैध, नकली तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक फार्म स्वीकार किए गए तथा फार्म-'सी' के बिना रियायत अनुमत की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹13.89 करोड़ के राजस्व की हानि हुई इसके अतिरिक्त ₹8.87 करोड़ का ब्याज भी उदग्राहय था।

परिचय

सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को रियायत तथा प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में अन्तरराज्यीय व्यापार में दो प्रतिशत कर की रियायती दर का प्रावधान है। क्रेता व्यापारियों को रियायत का लाभ उठाने के लिए उसके अपने राज्य से फार्म-सी¹⁰ लेकर विक्रेता व्यापारी को देना होगा। फार्म-सी में कर की दो प्रतिशत रियायती दर विनिर्माण एवं व्यापार दोनों के लिए है। यदि अन्तरराज्यीय बिक्री फार्म-सी के बिना होती है तो विक्रेता व्यापारी द्वारा राज्य में बेची गई सामग्री हेतु कर की प्रयोज्य दर लागू होगी।

एक व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी शाखा के लिए माल भेजता है, तो वह फार्म-एफ¹¹ को प्रस्तुत करके शून्य कर की रियायत का लाभ उठा सकता है, जिसको कि उस राज्य द्वारा जारी किया गया हो, जहां उस इकाई की शाखा स्थित है।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसार एक माह की अवधि हेतु देय कर पर एक प्रतिशत की ब्याज दर से तथा उसके पश्चात जब तक चूक सतत जारी रहे, प्रतिमाह डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने, 1991, 1996, 1999, 2004 तथा 2013 में औद्योगिक नीति दिशा-निर्देशों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968, हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों हेतु रियायत तथा प्रोत्साहन पैकेज आरम्भ किया। इन नीति दिशा निर्देशों के अन्तर्गत विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न इकाइयां एक प्रतिशत रियायती दर पर (31 मार्च 2013 तक) कर का भुगतान करने हेतु पात्र होंगी। फार्म-'सी' की प्रस्तुति पर अन्तरराज्यीय व्यापार अथवा व्यवसाय के क्रम में बिक्री के सम्बन्ध में यह डेढ़ प्रतिशत (एक अप्रैल 2013 से) में परिवर्तित किया गया। तथापि, वे औद्योगिक इकाइयां जो एक अप्रैल 2013 से या उसके बाद संचालन में आई, उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से अथवा वे मौजूदा औद्योगिक इकाइयां जिन्होंने प्रतिष्ठापित क्षमता एवं श्रम शक्ति दोनों में पर्याप्त विस्तार (25 प्रतिशत) किया हो, उनके लिए वस्तु एवं सेवा कर लागू होने या पांच वर्षों की अवधि हेतु जो भी पहले आए, कर की रियायत दर एक प्रतिशत ही रहेगी।

इस रियायत का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी विनिर्माण इकाई को श्रेणी 'सी' क्षेत्र¹² में स्थित होना चाहिए तथा उसके कुल कर्मचारियों में से 70 प्रतिशत वास्तविक रूप से हिमाचलवासी होने चाहिए। कुल नियुक्त कर्मचारियों में से 70 प्रतिशत वास्तविक रूप से हिमाचलवासी होने का प्रमाण औद्योगिक इकाई को हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विभाग से फार्म-'आई' प्राप्त करके निर्धारण प्राधिकारियों को देना होगा।

31 मार्च 2013 तक कर पर एक प्रतिशत की रियायती दर फार्म-'सी' प्रस्तुत करने पर नकारात्मक सूची¹³ वाली उन मदों सहित सभी मदों हेतु उपलब्ध थी। तथापि, 1 अप्रैल 2013 से मध्यनिर्माणशालाओं, आसवनी, गैर फलों/सब्जी आधारित

¹⁰ अन्तरराज्यीय बिक्री पर रियायत का लाभ लेने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को फार्म-'सी' जारी किया जाता है।

¹¹ फार्म-'एफ' को अन्य राज्य में इसकी शाखा में वस्तुओं के हस्तांतरण हेतु प्रयोग किया जाता है।

¹² श्रेणी-क-क्षेत्र: कानूनगो (राजस्व प्राधिकारी) वृत्त के अन्तर्गत सम्मिलित, श्रेणी-ख-क्षेत्र: विकास खण्ड के अन्तर्गत तथा श्रेणी-ग-क्षेत्र: सभी जनजातीय क्षेत्र

¹³ नकारात्मक सूची में सम्मिलित मदें जिन पर रियायत दर पर कर लागू नहीं हैं।

मंदिरालय तथा बोतलीकरण संयंत्रों एवं नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाइयों को फार्म-'सी' प्रस्तुत करने पर दो प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर उद्गृहीत किया जाना था।

सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा किसी भी समय इस शर्त का उल्लंघन करने के किसी भी मामले में, इसके आगे कोई रियायत स्वीकार्य नहीं होगी तथा इस तरह की घटना में लिप्त ऐसी इकाई द्वारा उठाए गए प्रोत्साहन लाभ की वसूली की जाएगी व ऐसी इकाई पर अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

2014-15 से 2016-17 की अवधि को सम्मिलित करते हुए 'व्यापारियों को दी गई रियायत' पर लेखापरीक्षा, 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁴ में से सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से दिसम्बर 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य संचालित की गई। सात नमूना-जांचित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में 3,769 निर्धारिती थे जिन्होंने रियायत का दावा किया था। लेखापरीक्षा ने इन सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में 692 व्यापारियों (18%) को चयनित किया। 692 व्यापारियों में से 103 व्यापारियों (15%) के दावों में अनियमिताएं पाई गई जिसमें सम्मिलित ₹13.89 करोड़ का कर प्रभावित हुआ। समीक्षा अवधि के दौरान राज्य की कुल केन्द्रीय बिक्री कर प्राप्तियां ₹1,344.05 करोड़ थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.4.2 रियायत दर पर कर की अनियमित अनुमति

मार्च 2005 की आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना के अनुसार, विनिर्माण क्रियाकलापों में संलग्न इकाईयां अन्तरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय के दौरान बिक्री के सम्बन्ध में दो प्रतिशत की प्रयोज्य दर के बजाय एक प्रतिशत की रियायत दर पर कर के भुगतान के लिए पात्र होंगी, यदि इकाई ने इस सम्बन्ध का प्रमाणपत्र फार्म-'आई' उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त किया हो कि इसने कम से कम 70 प्रतिशत वास्तविक हिमाचलवासी को रोजगार दिया है तथा इस आशय का प्रमाणपत्र निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया हो।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी में निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2017) एक व्यापारी के वर्ष 2012-13 से 2013-14 का फार्म-आई स्वीकार किया जो कि वर्ष 2005-06 में जारी किया था तथा इसमें दर्शाया गया था कि इकाई ने 70 प्रतिशत वास्तविक हिमाचलियों के बजाय 54.66 प्रतिशत को रोजगार दिया था। यह व्यापारी कर की रियायती दर हेतु पात्र नहीं था। निर्धारण प्राधिकारी ने दो प्रतिशत की प्रयोज्य दर के बजाय ₹77.34 करोड़ की अन्तरराज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत की रियायत दर से कर उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹77.34 लाख¹⁵ के राजस्व की हानि हुई इसके अतिरिक्त ₹59.35 लाख (अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2017 की अवधि हेतु) का व्याज भी उद्ग्रहण था।

अपात्र व्यापारी को कर की रियायती दर अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹77.34 लाख के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

2.4.3 रियायत कर की गलत दर को लागू करना

हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग की 1 अप्रैल 2013 की अधिसूचना में प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई को चलाए जा रहे व्यापारी द्वारा विनिर्मित अन्तरराज्यीय बिक्री अथवा व्यावसायिक माल की (नकारात्मक सूची में शामिल इकाई को छोड़ कर) बिक्री के संबंध में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर को संगणित करके उद्ग्रहीत किया जाएगा तथा 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी पांच वर्षों की

¹⁴ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी, चम्बा, नूरपुर, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

¹⁵ ₹77.34 करोड़ का दो प्रतिशत ₹154.68 लाख है तथा एक प्रतिशत ₹77.37 लाख (हानि ₹154.68 - ₹77.34) है।

अवधि हेतु अथवा माल एवं सेवा कर को लागू करने की तिथि से जो भी पहले हो ऐसे माल की कर योग्य कुल बिक्री पर 1.5 प्रतिशत की दर से भुगतान योग्य होगा।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁶ में निर्धारण प्राधिकारियों ने चार व्यापारियों को जोकि क्रॉफ्ट एण्ड प्रिंटिंग पेपरज तथा प्लास्टिक आरटिकल्ज के विनिर्माण में लगे थे, जोकि नकारात्मक सूची¹⁷ में शामिल थे, को रियायत दर पर कर अनुमत किया था। ये व्यापारी 2010-11 से 2014-15 की कर अवधि हेतु ₹104.63 करोड़ की अन्तरराज्यीय बिक्री पर कर की किसी रियायत दर को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। निर्धारण प्राधिकारियों ने अक्टूबर 2014 तथा अगस्त 2016 के मध्य व्यापारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय एक अथवा डेढ़ प्रतिशत की रियायत दर पर कर अनुमत किया तथा दो प्रतिशत की दर से उद्ग्राह्य ₹2.09 करोड़ की कर राशि के स्थान पर ₹1.47 करोड़ कर उदगृहीत किया। अतः निर्धारण प्राधिकारी विनिर्मित माल की किस्म को सत्यापित करने में विफल रहे तथा कर की गलत रियायती दर को लागू करने के परिणामस्वरूप ₹62.00 लाख का अल्प उद्ग्रहण हुआ। ₹50.43 लाख का ब्याज (अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2017 की अवधि हेतु) भी उद्ग्राह्य था।

विनिर्मित वस्तुओं की प्रकृति का सत्यापन न करने के परिणामस्वरूप ₹62.00 लाख के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

2.4.4 रियायत हेतु पर्याप्त विस्तार का सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2013 को जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया है कि 1 अप्रैल 2013 अथवा उसके बाद संचालित नई औद्योगिक इकाइयों पर उत्पादन शुरू करने की तिथि से अथवा मौजूदा औद्योगिक इकाइयां जिन्होंने प्रतिष्ठापन क्षमता एवं श्रमशक्ति दोनों पर पर्याप्त विस्तार (25 प्रतिशत) किया हो, के लिए पांच वर्षों की अवधि में या वस्तु एवं सेवा कर लागू होने तक, जो भी पहले हो, कर की रियायती दर दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत उद्ग्राह्य होगी।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के निर्धारण अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁸ में निर्धारण प्राधिकारियों ने चार व्यापारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप दिया जिन्होंने 2013-14 तथा 2014-15 वर्षों के लिए ₹78.19 करोड़ की अन्तरराज्यीय बिक्री की। निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय एक प्रतिशत कर की रियायत दर को लागू किया तथा उद्योगों के व्यापक विस्तार का सत्यापन किए बिना उद्ग्राह्य डेढ़ प्रतिशत की दर से ₹1.17 करोड़ के स्थान पर ₹78.19 लाख कर उदगृहीत किया। लेखागरीक्षा में देखा गया कि अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया था कि इकाइयों ने 1 अप्रैल 2013 से अथवा उसके पश्चात् व्यापक विस्तार किया था तथा इस प्रकार यह इकाइयां कर की रियायती दर के लाभ हेतु योग्य नहीं थी। इस प्रकार व्यापक विस्तार का सत्यापन किए बिना निर्धारण प्राधिकारियों ने कर की गलत दर को लागू किया जिसके परिणामस्वरूप ₹39.10 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ। ₹24.06 लाख का ब्याज (अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2017 की अवधि हेतु) भी उद्ग्राह्य था।

पर्याप्त विस्तार का सत्यापन किए बिना रियायती दर लागू किए जाने के परिणामस्वरूप ₹39.10 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

¹⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी तथा ऊना

¹⁷ औद्योगिक इकाइयां जो अप्रैल 2013 की अधिसूचनानुसार कर की रियायती दर हेतु पात्र नहीं हैं।

¹⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सौलन तथा ऊना

2.4.5 अन्तरराज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर को अनुचित रूप से लागू करना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मई 1992 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया कि वस्तुओं के अन्तरराज्यीय व्यवसाय एवं व्यापार के दौरान सूती-धागा, राजमाह तथा अनाज पर एक प्रतिशत कर उद्गृहीत किया जाएगा। इसके आगे, अप्रैल 2013 की अधिसूचना के अनुसार वस्तुओं के अन्तरराज्यीय व्यवसाय एवं व्यापार के दौरान मई 1992 की अधिसूचना में शामिल मदों सहित (उनको छोड़कर जिनका विनिर्माण मद्यनिर्माणशाला, आसवनी, गैर फल/सब्जी आधारित मदिरालय एवं बोतलीकरण संयंत्र द्वारा किया गया है तथा नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट औद्योगिक इकाइयां) 1 अप्रैल 2013 से कर की एक प्रतिशत की रियायती दर को परिवर्तित करके ढेढ़ प्रतिशत कर दिया गया।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के निर्धारण अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁹ में निर्धारण अधिकारियों ने 2013-14 व 2014-15 के मध्य की कर अवधि हेतु चार व्यापारियों के कर निर्धारणों को मई 2015 व अक्टूबर 2016 के मध्य अंतिम रूप दिया। बिक्री की वस्तुएं जैसे सूती-धागा, चावल तथा राजमाह डेढ़ प्रतिशत दर पर कर योग्य थी। निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹168.65 करोड़ की अन्तरराज्यीय बिक्री पर डेढ़ प्रतिशत की प्रयोज्य कर दर से ₹2.53 करोड़ का कर लगाने के स्थान पर एक प्रतिशत की गलत दर लगा कर ₹1.69 करोड़ की राशि उद्गृहीत की। इसके परिणामस्वरूप ₹84.33 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ। ₹48.90 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹84.33 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

2.4.6 फार्म-सी के बिना रियायत प्रदान करना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में निर्धारित है, कि अन्तरराज्यीय व्यापार या व्यवसाय के दौरान व्यापारी को कर की रियायती दर का लाभ लेने के लिए खरीददार से फार्म-'सी' प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा अन्यथा कर की पूर्ण दर का भुगतान करना होगा।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁰ में निर्धारण प्राधिकारियों ने अप्रैल 2015 में (वर्ष 2009-10 हेतु) तथा नवम्बर 2016 में (वर्ष 2014-15 हेतु) दो व्यापारियों के कर निर्धारण को अंतिम रूप दिया जिन्होंने ₹25.74 करोड़ की अन्तरराज्यीय बिक्री की थी जिसमें से ₹57.74 लाख के मूल्य की बिक्री फार्म-'सी' के साथ समर्थित नहीं थी। निर्धारण प्राधिकारियों ने कर की डेढ़ प्रतिशत तथा दो प्रतिशत रियायती दर से ₹0.89 लाख की राशि उद्गृहीत की जबकि इन अन्तरराज्यीय लेन-देनों पर 13.75 प्रतिशत तथा 12.50 प्रतिशत की दर से कर योग्य ₹7.87 लाख की राशि उद्गृहीत की जानी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹6.98 लाख²¹ के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। ₹2.88 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2018) कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने कर के पुनर्निर्धारण हेतु व्यापारियों को नोटिस जारी किए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है(अगस्त 2019)।

2.4.7 अनुचित घोषणा-फार्मों को स्वीकार करना

व्यापारी के कर निर्धारण को अंतिम रूप देने से पूर्व अन्तरराज्यीय व्यापार अथवा व्यवसाय के दौरान बिक्री के मामले में कर में पूर्ण या आंशिक छूट पाने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर में छूट का दावा करने के लिए सांविधिक फार्म-'सी' तथा 'एफ' पूर्वपेक्षित है। फार्म-'सी' क्रेता द्वारा विक्रेता को अन्तरराज्यीय व्यापार या व्यवसाय के दौरान रियायत के लिए दावे हेतु प्रदान किया जाता है। ये फार्म तीन भागों में

¹⁹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी तथा नूरपुर

²⁰ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, चम्बा: एक व्यापारी: ₹0.57 लाख तथा सोलन: एक व्यापारी ₹4.41 लाख

²¹ ₹52.33 लाख X 12.25 प्रतिशत (13.75% - 1.50%) + ₹5.41 लाख X 10.5 प्रतिशत (12.5%-2%)

जारी किए जाते हैं, अर्थात् मूल, प्रतिलिपि, तथा प्रतिपर्ण। न्यायिक आदेश के अनुसार मूल फार्म प्रस्तुत करने पर जिसमें सम्पूर्ण विवरण शामिल होते हैं, जैसे कि जारी करने की तिथि, लेन-देन विवरण, क्रेता व विक्रेता के नाम, फार्म का मूल्य तथा वह अवधि जिससे ये फार्म संबद्ध है; इत्यादि, कर की रियायती दर का दावा करने हेतु अनिवार्य है। लेखापरीक्षा ने 237 व्यापारियों के रियायती फार्मों की नमूना जांच की तथा 48 व्यापारियों (20%) के रियायती फार्मों में अनियमिताएँ पाई गई जिसमें सम्मिलित ₹10.18 करोड़ का कर प्रभावित हुआ।

2.4.7.1 फार्म - 'सी'

(i) सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²² में निर्धारण प्राधिकारियों ने अप्रैल 2015 व मार्च 2017 के दौरान 33 विक्रेताओं के 2005-06 से 2014-15 की कर अवधि हेतु कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए अनुचित फार्म- 'सी' पर अन्तरराज्यीय बिक्री पर कर की गलत रियायती दर अनुमत की। फार्म में क्रेता/ विक्रेता के गलत पते लिखे थे, महत्वपूर्ण इनपुट एवं प्रविष्टियों पर काट-छांट व उपरिलेखन था, या फिर मूल फार्म के स्थान पर फोटोकॉपी/प्रतिपर्ण थे (अनुलग्नक-VI)। न्यायिक आदेश के अनुसार कर की रियायती दर का दावा करने हेतु फार्म- 'सी' की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य था ताकि कर के भुगतान से बचने की दृष्टि से धोखाधड़ी की दलाली एवं मिलीभगत हेतु फार्म का गलत प्रयोग रोका जा सके। ये फार्म कर निर्धारण करते समय अस्वीकार किए जाने के योग्य थे।

अनुचित फार्म- 'सी' में ₹12.80 करोड़ की राशि सम्मिलित थी तथा निर्धारण प्राधिकारियों ने एक/दो प्रतिशत की रियायती दर पर ₹13.12 लाख का कर उद्गृहीत किया जबकि चार, पांच, 12.50 व 13.75 प्रतिशत की दर से ₹83.76 लाख का कर उद्ग्राह्य था। अवैध एवं दोषपूर्ण फार्मों को अस्वीकृत न करने के परिणामस्वरूप ₹70.64 लाख के कर का अल्प उदग्रहण हुआ। ब्याज के ₹84.15 लाख भी उदग्राह्य थे।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि आठ मामलों में ₹21.14 लाख²³ की अतिरिक्त मांग का सृजन किया गया तथा वसूली की गई थी जबकि पांच व्यापारियों ने मूल फार्म- 'सी' जमा किया था तथा शेष मामले पुनर्निर्धारण हेतु प्रक्रियाधीन थे।

(ii) लेखापरीक्षा ने सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, बद्री, सिरमौर एवं सोलन की निर्धारण फाईलों के साथ संलग्न फार्म- 'सी' की जांच की तथा निम्न कमियां पाईः

(क) लेखापरीक्षा ने निर्धारण फाईलों में रखे ₹4.57 करोड़ मूल्य के फार्म- 'सी' का प्रति-सत्यापन सम्बन्धित राज्य की ऑन लाईन प्रणाली में रखे उन्हीं फार्मों के विवरणों के साथ किया। आठ फार्मों में क्रेता व्यापारियों के नाम भिन्न थे। एक फार्म में जारी करने की तिथि भिन्न थी।

(ख) छः मामलों में ₹2.88 करोड़ मूल्य के फार्म- 'सी' की सत्यापन रिपोर्ट अभिलेखों में रखी गई थी। इन फार्मों की ऑन लाईन सत्यापन प्रस्थिति दर्शाती है कि पांच मामलों में 'उपर्युक्त इनपुट से मिलता कोई रिकार्ड नहीं पाया गया' तथा एक मामले में 'इस फार्म का कोई अभिलेख विद्यमान नहीं है'।

(ग) एक मामले में व्यापारी की फाईल में ₹6.75 लाख मूल्य का फार्म- 'सी' रखा गया था जबकि ऑनलाइन सत्यापन रिपोर्ट में इसी फार्म का मूल्य ₹2.91 लाख था।

²² सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त 2015-16-बद्री (12 व्यापारी: ₹31.60 लाख), नाहन (तीन व्यापारी: ₹3.56 लाख), नूरपुर (दो व्यापारी: ₹3.46 लाख), सोलन (सात व्यापारी: ₹2.64 लाख) तथा ऊना (चार व्यापारी: ₹22.30 लाख) 2016-17-ऊना (पांच व्यापारी: ₹7.08 लाख)

²³ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: सिरमौर: एक व्यापारी : ₹5,000, सोलन: पांच व्यापारी: ₹20.90 लाख, ऊना: दो व्यापारी: ₹0.19 लाख

अभिलेख में रखे फार्म तथा ऑनलाईन के माध्यम से सत्यापित फार्म बेमेल नहीं हो सकते क्योंकि ऑनलाईन प्रणाली में फार्म में भरी जानकारियां सम्पादित नहीं की जा सकती थी क्योंकि ये फार्म उस सम्बन्धित राज्य की वेबसाइट से उत्पन्न किए गए थे जिसमें व्यापारी पंजीकृत थे। अतः ऑनलाईन प्रणाली से उत्पन्न उपर्युक्त बेमेल मामलों में अनाचार/धोखाधड़ी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(iii) फार्म-'सी' में टिन सहित क्रेता एवं विक्रेता का नाम, जारी करने की तिथि, राशि सहित बीजक का विवरण, लेनदेन की तिमाही तथा वर्ष-वैधता का उल्लेख होता है। एक तिमाही में किए गए लेनदेन हेतु एक ही फार्म-'सी' का उपयोग किया जाता है। लेखापरीक्षा में पाए गए विचलनों का वर्णन निम्नवत् है:

- (क) आठ फार्मों में ₹2.62 करोड़ मूल्य के लेनदेन दो अलग-अलग निर्धारण वर्षों से संबद्ध थे जो कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के विरोधाभासी थे।
- (ख) 65 फार्मों में जिनका मूल्य ₹14.87 करोड़ था में जारी करने की तिथि लेनदेन की अवधि के बाद की थी जो यह दर्शाती है कि सांविधिक फार्म विक्रेता को पहले से ही जारी किए गए थे।
- (ग) ₹298.16 करोड़ मूल्य के 149 फार्मों में फार्म जारी करने की तिथियां तथा वैधता अवधि को फार्मों में दर्शाया नहीं गया था।
- (घ) ₹46.48 लाख मूल्य के छः फार्मों में जारी करने की तिथि 1983, 1996, 2000, 2007 तथा 2008 थी जबकि लेनदेन की अवधि 2011-12 तथा इसके बाद की थी।
- (इ) ₹74.58 लाख राशि के पांच फार्मों को फार्म में उल्लिखित वैधता अवधि के बाद उपयोग किया गया।
- (च) ₹8.29 करोड़ मूल्य के 10 फार्मों में न तो जारी करने की तिथि और न ही बिल की तिथि दर्ज की गई थी परन्तु निर्धारण प्राधिकारी ने बिना सत्यापित किए इन फार्मों को स्वीकार किया।

फार्म-'सी' का कुल मूल्य जिसमें कोई कर रियायत उपलब्ध नहीं थी, ₹332.65 करोड़ निकाला गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹10.18 करोड़ के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। ब्याज के ₹8.87 करोड़ भी उद्ग्राह्य थे।

उपर्युक्त इंगित की गई कमियां, इस तथ्य की परिचायक हैं कि निर्धारण प्राधिकारियों ने फार्म सत्यापित नहीं किए थे तथा त्रुटिपूर्ण/अनुचित फार्म स्वीकार किए गए एवं कर की रियायती दर अनुमत की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹10.89 करोड़ के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने बताया कि सभी सांविधिक फार्मों का सत्यापन करना संभव नहीं था। आगे यह भी बताया कि फार्मों का सत्यापन या तो 'टीआईएनएक्सएसवाईएस' के माध्यम से ऑनलाईन रूप से तथा सम्बन्धित राज्य की वेबसाइट में यादृच्छिक (रेन्डमली) रूप से किया गया या सम्बन्धित राज्य को फार्म सही होने के सत्यापन करने हेतु लिखित में दिया गया था।

2.4.7.2 फार्म - 'एफ'

केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली, 1957 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 में प्रावधान है कि पंजीकृत व्यापारी को शाखा हस्तांतरण/खेप की बिक्री के मामलों में कर में छूट प्रदान की जाएगी यदि वह इन्हें फार्म-'एफ' पर घोषणा करके समर्थित करता हो। इसके अतिरिक्त किसी एक फार्म-'एफ' में केवल एक केलेण्डर मास के लेनदेनों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर भुगतान न की गई राशि पर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर पर ब्याज भी उद्ग्राह्य है।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁴ में निर्धारण प्राधिकारियों ने मई 2015 व मार्च 2016 के दौरान सात व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए 2009-10 से 2013-14 की कर अवधि हेतु ₹5.82 करोड़ के स्टॉक के हस्तांतरण हेतु ₹30.61 लाख के कर की छूट फार्म-'एफ' के प्रति अनुमत किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन फार्म-'एफ' को निर्धारण के समय अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि इनमें एक केलेण्डर मास में एक से अधिक के लेनदेन को सम्मिलित किया गया था। तथापि, सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इन फार्मों की उपयुक्त छानबीन नहीं की गई तथा रियायत की अनुमति प्रदान कर दी जिसके परिणामस्वरूप ₹30.61 लाख के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। ₹29.92 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था (अनुलग्नक-V)।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि दो मामलों में ₹5,000²⁵ की अतिरिक्त मांग सृजित तथा वसूली की गई थी जबकि व्यापारियों के शेष मामले पुनर्निर्धारण हेतु प्रक्रियाधीन थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

निष्कर्ष

विभाग ने उन व्यापारियों को कर की रियायती दर अनुमत की जिन्होंने निर्धारित सीमा में वास्तविक हिमाचलियों को नियुक्त नहीं किया था तथा अयोग्य व्यापारियों की नकारात्मक सूची में आने वाली वस्तुओं पर कर की गलत दर लागू की। रियायत को घोषणा फार्म प्रस्तुत किए बिना ही प्रदान किया गया था। विभाग में व्यापारियों को पर्याप्त विस्तार हेतु प्रदान की गई रियायत की समीक्षा तथा सत्यापन के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। निर्धारण प्राधिकारियों ने फार्मों का सत्यापन नहीं किया था तथा दोषपूर्ण/अनुचित फार्मों को स्वीकार किया एवं कर की रियायती दर को अनुमत किया। एक से अधिक महीनों के लेनदेनों को शामिल करते हुए फार्म-'एफ' पर रियायत को अनुमत किया था।

विभाग एवं सरकार को उपर्युक्त बिन्दु जुलाई 2018 तथा अप्रैल 2019 में प्रतिवेदित किए गए थे, उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2019)।

²⁴ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्री (दो व्यापारी: ₹11.71 लाख), शिमला (एक व्यापारी: ₹7.01 लाख), सोलन (दो व्यापारी: ₹8.05 लाख), तथा ऊना (दो व्यापारी: ₹3.84 लाख)

²⁵ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन: एक व्यापारी: ₹0.02 लाख तथा ऊना: एक व्यापारी: ₹0.03 लाख

2.5 "विभिन्न प्राप्ति शीर्षों के अन्तर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग में बकाया राजस्व" पर लेखापरीक्षा

क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा बकायों को गलत प्रतिवेदित करने तथा अनुश्रवण में कमी से विभागीय अभिलेखों में बकाया को गलत दर्शाया गया। विभाग द्वारा बकायों की वसूली हेतु समयोचित कार्यवाई करने के अभाव से प्रतिप्रेषित मामलों के कर निर्धारणों में विलम्ब, जब सम्पत्तियों की गैर-नीलामी तथा अधिनियम/नियमों में बकायों को वसूलने के लिए समयसीमा का प्रावधान न होने के परिणास्वरूप ₹185.69 करोड़ के बकायों का संचय हुआ।

परिचय

कर की राशि, अतिरिक्त कर माँग, ब्याज एवं शास्ति की न चुकाई गई राशि जो व्यापारियों से वसूली योग्य है, परन्तु जिसे निर्धारित समय में नहीं चुकाया गया, को "बकाया" के रूप में परिभाषित किया गया है। बिक्री तथा व्यापार पर कर राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है जिसको आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संग्रहीत किया जाता है। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम में निर्धारित है कि व्यापारी को जमा किए गए कर की कोषागार रसीद सहित अपनी रिटर्न मासिक या त्रैमासिक रूप²⁶ फाईल करना अपेक्षित है। यदि कर माँग नोटिस में दर्शाई गई तिथि के भीतर देय कर की अदायगी नहीं होती है तो विभाग राशि की वसूली हेतु कार्यवाही निम्न तरीके से कर सकता है।

विभाग द्वारा सरकारी देयों की बकाया राशि के निर्धारण तथा अन्तिम रूप देने के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी दोषी को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी करेगा। यदि दोषी तीन नोटिस देने के बाद भी सरकारी देयों का भुगतान नहीं करता है अथवा विभाग को उत्तर नहीं देता है या अपीलीय आयुक्त के समक्ष अपील करता है, तो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में घोषित करेगा तथा राजस्व रिकार्ड में लाल प्रविष्टि इंद्राज (दर्ज) करने हेतु मामले को राजस्व प्राधिकारी के साथ उठाएगा ताकि व्यापारी की सम्पत्ति को किसी भी तरीके से न बेचा जा सके जैसे कि पावर ऑफ ऑटार्नी, बिक्री, अधिकार हस्तांतरण तथा पट्टे इत्यादि। राजस्व वसूली अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि दोषी के द्वारा भू-राजस्व का बकाया देय है जिसकी सम्पत्ति बकाया उपार्जित होने वाले स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य जिले में भी है, तो समाहर्ता उस जिले के समाहर्ता को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जिसमें दोषी का नाम तथा ऐसे अन्य विवरण जो सम्पत्ति की पहचान हेतु आवश्यक हो, व्यापारी द्वारा देय राशि तथा जिस कारण से देय है, प्रेषित कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग को सरकार को देय राशि के बकायों को भू-राजस्व के रूप में वसूलने की शक्तियां प्रत्यायोजित²⁷ की गई हैं। सरकार को देय राशि की वसूली दोषी पर याचिका दायर करके, गिरफ्तार एवं कैद करके, धनाभाव तथा चल सम्पत्ति की बिक्री, सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा कुर्की तथा दोषी की चल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही अपनाकर की जा सकती है। तथापि, अधिनियम में वसूली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है (अनुलग्नक-VI)।

आबकारी एवं कराधान विभाग भी प्राप्ति शीर्ष "0039-राज्य आबकारी", "0040-व्यापार एवं बिक्री पर करमूल्य वर्धित कर", "0042-यात्री एवं माल कर" तथा "0045-पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क" के अन्तर्गत राजस्व संग्रहण हेतु जिम्मेदार है।

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उत्पाद शुल्क, लाईसेंस फीस, ब्रांड फीस, आयात/निर्यात फीस, समयोपरि फीस, ब्याज एवं शास्ति का संग्रहण '0039-राज्य आबकारी' प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत किया जाता है। प्राप्ति शीर्ष "0042-यात्री

²⁶ (त्रैमासिक रिटर्न) एक करोड़ तक 40 दिन के भीतर, एक करोड़ से अधिक किन्तु पांच करोड़ से अधिक नहीं प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिन के भीतर (मासिक रिटर्न) पांच करोड़ से अधिक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक मास के समाप्त होने से पैंतालीस दिनों के भीतर।

²⁷ दिसम्बर 1990 तथा जनवरी 1993 के मध्य समाहर्ता तथा सहायक समाहर्ता की शक्तियां आबकारी विभाग को प्रत्यायोजित की गई।

"एवं माल कर" के अन्तर्गत व्यावसायिक मोटर वाहन से प्राप्त यात्री कर, वस्तु कर, अतिरिक्त वस्तु कर तथा अन्य प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। यात्री एवं माल कर से प्राप्तियों के उद्ग्रहण एवं वसूली को हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 तथा हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर नियम, 1957 के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।

नवम्बर 2017 से अप्रैल 2018 के दौरान लेखापरीक्षा ने 2014-15 से 2016-17 की अवधि से सम्बन्धित आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के कार्यालय तथा 12 में से सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁸ के बकाया सम्बन्धी अधिलेखों का परीक्षण किया। लम्बित बकायों के 8,725 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने 7,500 मामले चयनित किए जिनमें ₹3,060.83 करोड़ का बकाया सम्मिलित था। इनमें से 1,004 मामलों में ₹185.69 करोड़ की धनराशि से अन्तर्गत अनियमिताएं ध्यान में आईं, जिन्हे निम्नवत् विवेचित किया गई है:

2.5.2 बकायों तथा भू-राजस्व बकायों के मामलों की स्थिति

देय तिथि²⁹ के पश्चात मूल्य वर्धित कर से सम्बन्धित मांगें यदि मूल्य वर्धित कर अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं वसूली जाती तो वे भू-राजस्व के अन्तर्गत बकायों के रूप में वसूली योग्य हो जाएंगी। दोषियों से सरकारी राशि की तुरन्त वसूली सुनिश्चित करने हेतु विभागीय प्राधिकारियों को हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सहायक समाहर्ता/समाहर्ता की शक्तियाँ सौंपी गई हैं।

31 मार्च 2017 को विभिन्न मुख्य प्राप्ति शीर्षों के अन्तर्गत राज्य के बकायों अर्थात् चयनित इकाइयों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 2.9: बकायों की स्थिति

						₹ करोड़ में
वसूली हेतु लम्बित बकाया	मुख्य शीर्ष 0039-राज्य आबकारी शुल्क	मुख्य शीर्ष 0040-मूल्य वर्धित कर	मुख्य शीर्ष 0042-यात्री एवं माल कर	मुख्य शीर्ष 0045-अन्य कर शुल्क	कुल बकाया	अन्तर्गत मामलों की कुल संख्या
राज्य	86.40	2,958.37	7.06	65.63	3,117.46	8,725
सात नमूना-जांचित इकाइयां						
बद्दी	7.52	406.87	0.74	20.29	435.43	1,225
बिलासपुर	1.35	30.40	0.21	19.15	51.11	424
मण्डी	2.30	16.50	1.93	0.01	20.74	433
शिमला	18.53	16.68	0.41	0.85	36.46	1,222
सिरमौर	10.94	2,249.14	0.35	10.25	2,270.68	768
सोलन	7.52	92.54	0.58	7.30	107.94	2,392
ऊना	28.31	107.43	0.32	2.41	138.47	1,036
कुल इकाइयां	76.47	2,919.56	4.54	60.26	3,060.83	7,500

मुख्य प्राप्ति शीर्ष "0040-व्यापार एवं बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर के अन्तर्गत बकाया"

पूरे राज्य हेतु मुख्य प्राप्ति शीर्ष "0040-व्यापार एवं बिक्री पर कर/मूल्य वर्धित कर" के अन्तर्गत ₹2,958.37 करोड़ का बकाया वसूली हेतु लम्बित पड़ा था, जो कि 1989-90 से संचित हुआ था।

²⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी, बिलासपुर, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

²⁹ निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के अनुसार अथवा कर मांग नोटिस जारी करने के पश्चात् 30 दिनों के अन्दर कर जमा करवाना चाहिए।

नमूना-जांचित इकाइयों में मूल्य वर्धित कर के अन्तर्गत बकाया मामलों का आयु-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.10: मूल्य वर्धित कर के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाया मामलों की स्थिति

बकायों की श्रेणी	₹ करोड़ में							
	10 वर्षों से अधिक (2006-07 तक)		तीन वर्षों से अधिक (2007 से 2014 तक)		तीन वर्षों से कम (2014 से 2017 तक)		योग	
मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	
वसूली हेतु लम्बित कुल बकाया	1,456	52.70	2,878	114.82	2,891	2,752.04	7,225	2,919.56
हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आगे बढ़ाने हेतु घोषित बकाये	219	41.04	120	60.88	268	2,487.96	607	2,589.88
विभाग के पास लम्बित तथा भू-राजस्व बकाया के रूप में घोषित न किए गए बकाये	1,237	11.66	2,758	53.94	2,623	264.08	6,618	329.68

लेखापरीक्षा में देखा गया कि ₹2,919.56 करोड़ के 7,225 मामले वसूली हेतु लम्बित थे जिसमें से ₹2,589.88 करोड़ के केवल 607 मामलों को हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाया के रूप में घोषित किया जा चुका था। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाया के रूप में ₹329.68 करोड़ के 6,618 बकाया मामलों को घोषित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

2.5.3 बेमेल बकाया आंकड़े

बकाया आंकड़े विभिन्न स्तर पर संकलित किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान अधिकारी क्षेत्रीय स्तर की इकाई है। प्रत्येक सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र के आबकारी एवं कराधान अधिकारी से बकायों का मासिक विवरण प्राप्त करता है। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त आंकड़ों को समेकित करता है तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त को मासिक आंकड़े भेजता है। सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त से प्राप्त बकाया आंकड़ों को आबकारी एवं कराधान आयुक्त के स्तर पर प्रत्येक माह समेकित किया जाता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त स्तर पर संकलित आंकड़े पूरे राज्य के बकाया आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। सम्बद्ध निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रारम्भ की गई बकायों की वसूली के अनुश्रवण हेतु एक केन्द्रीकृत अद्यतन डाटा बेस, जिसमें वर्ष के प्रारम्भ में बकाया राशि का जिले-वार/दल-वार विवरण, जमा, वर्ष के दौरान वसूली तथा वर्ष के अन्त में बकाया राशि को दर्शाया गया हो, का शीर्ष स्तर पर रख रखाव किया जाना अपेक्षित है।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अभिलेख की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि कार्यालय ने बकायों की वसूली के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना का अनुरक्षण नहीं किया था जिसमें वर्ष के आरम्भ में वसूली योग्य बकाया राशि का जिले-वार/दल-वार विवरण, वर्ष के दौरान जमा, वर्ष के दौरान की गई वसूली तथा वर्ष के अन्त में बकाया शेष दर्शाया गया हो।

लेखापरीक्षा ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के समेकित अभिलेखों का परीक्षण किया। बकाया आंकड़ों में निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:

- सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी में लम्बित बकायों को ₹16.50 करोड़ दर्शाया गया था जबकि आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अभिलेख में इसे ₹14.69 करोड़ दर्शाया गया था।
- आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अभिलेखों में 31 मार्च 2017 को सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी के लिए ₹406.87 करोड़ तथा शिमला के लिए ₹16.68 करोड़ बकाया राशि दर्शाई गई थी, जबकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी के अभिलेखों में यह ₹389.15 करोड़ तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला के अभिलेखों में ₹15.35 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने भिन्नता/बेमेल के कारणों का विश्लेषण किया तथा देखा कि वर्ष 2016-17 के लिए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने दो आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के बकाया विवरण में बकाया नहीं बताया था।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने वर्ष 2016-17 के लिए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला की बकाया के रूप में ₹7.49 करोड़ की राशि सरकार को सूचित की थी जबकि लेखापरीक्षा को ₹16.68 करोड़ का असमायोजित बकाया सूचित किया था।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकारते हुए (जून 2018) बताया कि कोई भी केन्द्रीकृत डाटा बेस का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

अनुश्रवण की कमी, विस्तृत डाटाबेस का गैर-अनुरक्षण तथा मिलान न करने के परिणामस्वरूप बकायों को गलत दर्शाया गया।

2.5.4 बकाया विवरणियों का अनुश्रवण न करना

नवम्बर 2014 में आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालय सुनिश्चित करेंगे कि बकाया रजिस्टर का दल-वार अनुरक्षण किया गया है तथा इसे मासिक आधार पर वसूली के आंकड़ों सहित अद्यतन किया जाएगा। आबकारी एवं कराधान आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अग्रेषित की जा रही बकायों की मासिक विवरणी के माध्यम से बकायों का अनुश्रवण करेगा।

सात चयनित क्षेत्रीय इकाइयों (नवम्बर 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य) की मासिक बकाया विवरणियों की लेखापरीक्षा जाँच में उद्घाटित हुआ कि:

- लेखापरीक्षा ने बकाया विवरणियों की सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला के भू-राजस्व बकाया रजिस्टर के साथ प्रति जाँच की गई तथा उद्घाटित हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी दल-वार बकाया रजिस्टर का अनुरक्षण तथा मासिक आधार पर वसूली के आंकड़ों के साथ अद्यतन नहीं कर रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2017 को ₹1.10 करोड़ के 76 मामले भू-राजस्व के बकाया के रूप में घोषित किए गए जबकि भू-राजस्व बकाया रजिस्टर में ₹95.28 लाख के 12 मामले दर्ज किए गए जिसमें से ₹15.69 लाख का एक मामला बकाया विवरणी से मेल खा रहा था। तथापि, बकायों के शेष मामले भू-राजस्व बकाया रजिस्टर में दर्ज नहीं किए थे अथवा बकाया विवरणियों से मेल नहीं खा रहे थे।
- सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की बकाया विवरणियों की जाँच से उद्घाटित हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी में निर्धारण प्राधिकारी ने दल-वार बकाया रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया था तथा आंकड़ों को मासिक आधार पर अद्यतन नहीं किया था। लेखापरीक्षा के एक मामले में पाया गया कि ₹2.34 करोड़ के मांग नोटिस एक व्यापारी को जारी किए थे जिसमें से ₹62.62 लाख की वसूली हो चुकी थी तथा ₹1.71 करोड़ की शेष राशि अभी भी वसूली हेतु लम्बित पड़ी थी। तथापि, बकाया विवरणी में केवल ₹87.57 लाख ही शेष के रूप में दर्शाए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹83.43 लाख के बकायों का अल्प लेखाकरण हुआ।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी ने बताया (जनवरी 2019) कि बकायों के संकलन की प्रक्रिया चल रही थी तथा इन्हें शीघ्र ही ठीक कर लिया जाएगा।

अनुश्रवण की कमी, विस्तृत डाटाबेस का गैर-अनुरक्षण तथा नियमित समीक्षा एवं आंकड़ों का मिलान न करने के परिणामस्वरूप बकायों को गलत दर्शाया गया।

2.5.5 अधिनियमों/नियमों में खामियां

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर/मूल्य वर्धित कर अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारण/छानबीन, बकायों की वसूली हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं की पूर्णता, तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ एवं पूर्ण करने हेतु कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा बकायों की आवधिक समीक्षा हेतु तथा व्यापार की मात्रा के सन्दर्भ में व्यापारियों से प्रतिभूति/सुरक्षा प्राप्त करने हेतु कोई समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की थी।

इस अधिनियम में उपर्युक्त कमियां इस तथ्य के साथ युग्मित हैं कि निर्धारणों का लम्बन पहले से ही असाधारण था जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि का संचय हुआ। इससे राज्य के राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेखापरीक्षा में पड़ोसी राज्य अर्थात् हरियाणा तथा पंजाब के सन्दर्भ में मूल्य वर्धित कर अधिनियमों की प्रति जांच की गई तथा देखा गया कि पड़ोसी राज्यों के मूल्य वर्धित कर अधिनियमों में व्यापारियों के निर्धारण के लिए तीन वर्षों की समयसीमा निर्दिष्ट की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम में इस तथ्य के बावजूद कि हिमाचल प्रदेश आमतौर पर कई मामलों में पंजाब अधिनियमों का पालन करता है, वार्षिक रिटर्न फाईल करने की तारीख से पांच साल के भीतर निर्धारण के लिए नोटिस देने को छोड़कर निर्धारण हेतु कोई समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। राजस्व की हानि जो उपर्युक्त अपर्याप्तता के कारण हुई, की चर्चा नीचे की गई है:

2.5.5.1 निर्धारण में विलम्ब तथा विभाग की निष्क्रियता के कारण बकायों का संचय

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अनुसार जब किसी व्यापारी का पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है तो पंजीकरण प्रमाणपत्र की निरस्तीकरण की तिथि तक की अवधि हेतु व्यापारी द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर का निर्धारण किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा नवम्बर, 2014 में जारी अनुदेशों के अनुसार सभी निर्धारण प्राधिकारी प्रत्येक दोषी के लिए अलग वसूली फाईल तैयार करेंगे ताकि दोषियों की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित की जा सके। ऐसे सभी मामलों में जहाँ बकाये छः माह से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं तथा वसूली नहीं की जा सकी है, मामलों की पहचान की जानी चाहिए तथा उन्हें भू-राजस्व बकाया घोषित किया जाना चाहिए। बकायों की वसूली को सुनिश्चित करने हेतु राजस्व वसूली अधिनियम, 1905 के अन्तर्गत अन्य जिलों/राज्यों के उपायुक्तों को भेजे गए मामलों पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई होनी चाहिए।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁰ की लेखापरीक्षा छानबीन से उद्घाटित हुआ कि तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने शेष बकायों की जांच या निर्धारण को अन्तिम रूप देने के लिए समय पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मामलों को आगे नहीं बढ़ाया था, जिसका विवरण निम्नवत् है:

- I. सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना के कार्यालय में एक व्यापारी ने मई 2009 में अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने हेतु आवेदन किया था जबकि उसकी कर देयताएँ कर वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए निर्धारण हेतु लम्बित थी। निर्धारण प्राधिकारी ने कर देयताओं का निर्धारण किए बिना ही उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद् कर दिया था। इसके अतिरिक्त निर्धारण प्राधिकारी ने ₹17.44 करोड़ की अतिरिक्त कर माँग के साथ एक पक्षीय आधार पर समान कर अवधि के लिए जनवरी तथा अगस्त, 2013 के मध्य व्यापारी की कर देयताओं का निर्धारण किया था लेकिन व्यापारी ने कर जमा नहीं किया। इस प्रकार पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करने से पहले कर देयताओं का निर्धारण करने में निर्धारण प्राधिकारी के स्तर पर विफलता के कारण बकायों का संचय हुआ तथा ₹17.44 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

³⁰ सहायक एवं आबकारी कराधान आयुक्त बद्री, सिरमौर तथा ऊना

II. सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी में निर्धारण प्राधिकारी ने सितम्बर 2009 में एक व्यापारी के वर्ष 2006-07 हेतु निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया तथा ₹17.07 लाख की अतिरिक्त मांग का सृजन किया। व्यापारी ने मांग का भुगतान नहीं किया। व्यापारी के राजस्व रिकार्ड में ₹17.07 लाख की कर देयता के प्रति अप्रैल 2012 में लाल प्रविष्टि³¹ की गई। फर्म को जून 2012 में नीलाम किया गया तथा एक अन्य व्यापारी ने फर्म को खरीदा। फर्म के नए मालिक ने अक्टूबर 2012 में ₹17.07 लाख की बकाया कर देयता का भुगतान किया। निर्धारण प्राधिकारी ने सितम्बर 2016 में वर्ष 2007-08 से 2011-12 हेतु मूल व्यापारी के कर का निर्धारण किया तथा ₹8.48 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग का सृजन किया।

निर्धारण प्राधिकारी वर्ष 2006-07 हेतु मांग के भुगतान में मूल व्यापारी की चूक के बारे में जागरूक था तथा अप्रैल 2012 में लाल प्रविष्टि भी की गई थी। निर्धारण प्राधिकारी को वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए व्यापारी के कर का तुरंत निर्धारण करना चाहिए था क्योंकि फर्म का स्वामित्व बदल रहा था, जो कि नहीं किया गया। अतः दोषी व्यापारी के कर निर्धारण में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप ₹8.48 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई।

III. सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन की लेखापरीक्षा छानबीन से उद्घाटित हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ने मार्च 1995 तथा मार्च 2002 के मध्य 1989-90 से 1992-93 की अवधि हेतु एक व्यापारी के कर का निर्धारण किया। निर्धारण प्राधिकारी ने ₹1.98 करोड़ की अतिरिक्त मांग का सृजन किया जबकि ऋण की अदायगी न होने के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम ने 20 जनवरी 1993 को फर्म पर पहले ही अधिकार कर लिया था। इस प्रकार कर निर्धारण को अन्तिम रूप देने में लगे लम्बे समय (पांच से 12 वर्ष) के कारण 28 वर्षों के बीत जाने पर भी राजस्व की वसूली नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹1.98 करोड़ के बकाया का संचय हुआ तथा राज्य के राजकोष को राजस्व की हानि हुई।

IV. सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन में लेखापरीक्षा छानबीन से उद्घाटित हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने चार व्यापारियों के 1997-98 से 2004-05 हेतु दिसम्बर 2006 तथा नवम्बर 2008 के मध्य कर निर्धारण तैयार किए थे तथा ₹59.12 लाख की एक अतिरिक्त मांग का सृजन किया, जिसका भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारण प्राधिकारी ने दोषियों की सम्पत्तियों को कुर्क करने हेतु शेष बकायों को भू-राजस्व बकाया मामले के रूप में घोषित नहीं किया था। इस प्रकार भू-राजस्व बकाया के अन्तर्गत मामले को आगे बढ़ाने हेतु निर्धारण प्राधिकारी की निष्क्रियता के कारण ₹59.12 लाख की वसूली की कम सम्भावना थी जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक बकायों का संचय हुआ।

व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देने में अत्यधिक विलम्ब तथा व्यापारियों के विरुद्ध अधिनियम/नियमों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई न होने के परिणामस्वरूप ₹26.51 करोड़ की हानि हुई।

2.5.6 सुरक्षा तथा जमानती बंध पत्र प्राप्त न करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम में प्रावधान है कि निर्धारण प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंध पत्र सहित जमानती बंध पत्र प्राप्त करना चाहिए। प्रतिभूति सुरक्षा दस हजार रूपये से कम नहीं होगी लेकिन एक वर्ष के लिए अनुमानित कर देयता से अधिक नहीं होगी।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³² की लेखापरीक्षा छानबीन से उद्घाटित हुआ कि तीन आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में मूल्य वर्धित कर की परिधि के अन्तर्गत 278 व्यापारियों में से 12 व्यापारियों का पंजीकरण करते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने जमानत/सुरक्षा राशि प्राप्त नहीं की थी। निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2002-03 से

³¹ राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि सरकार की देयताओं को दर्शाती है ताकि किसी भी तरीके से सम्पत्ति का निपटान न किया जा सके।

³² सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी, सोलन तथा ऊना

2014-15 हेतु व्यापारियों के कर निर्धारणों को (अक्टूबर 2007 तथा जनवरी 2017 में मध्य) अन्तिम रूप दिया तथा ₹64.86 करोड़ की अतिरिक्त मांग का सृजन किया परन्तु व्यापारियों ने कर मांग को जमा नहीं किया था।

पंजीकरण के समय व्यापारियों से सुरक्षा/जमानत प्राप्त न करना तथा निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यापारियों के कर निर्धारण में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹64.86 करोड़ के बकायों का संचय हुआ।

2.5.7 प्रतिप्रेषित मामलों का निर्धारण न करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी निर्धारण प्राधिकारी के अतिरिक्त मांग के आदेशों से असनुष्ट है तो वह अपीलीय प्राधिकारी के पास पुनर्विचार हेतु अपील कर सकता है। इसके अतिरिक्त नवम्बर, 2014 में आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सभी निर्धारण प्राधिकारी प्रतिप्रेषित मामलों सहित सभी लम्बित कर निर्धारण मामलों के निपटान हेतु उचित सावधानी बरतेंगे।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³³ के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि दो सहायक आबकारी कराधान आयुक्तों में निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच वर्ष की नियत अवधि के भीतर कर निर्धारण हेतु नोटिस जारी किए तथा जुलाई 2004 (वर्ष 1994-95 से 1997-98 के लिए) तथा मार्च 2015 (वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए) में कर का निर्धारण किया था। ₹51.40 करोड़ की अतिरिक्त मांग का सृजन किया गया था। निर्धारण प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध असंतुष्ट व्यापारियों ने अपील कर दी। अपीलीय प्राधिकारी ने व्यापारियों को एक माह के भीतर सम्बन्धित अभिलेख सहित पुनर्निर्धारण हेतु निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के आदेशों के साथ जुलाई, 2005 तथा अगस्त, 2015 के मध्य मामलों का प्रतिप्रेषण किया। यह देखा गया कि लेखापरीक्षा की अवधि तक (अप्रैल 2018) मामलों का पुनर्निर्धारण नहीं किया गया था। इन मामलों का कर निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप ₹51.40 करोड़ के बकायों का संचय हुआ।

निर्धारण में विलम्ब तथा अपीलीय प्राधिकारी के आदेशानुसार एक माह की अवधि के भीतर प्रतिप्रेषित मामलों का कर निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप ₹51.40 करोड़ के बकायों का संचय हुआ।

2.5.8 राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रक्रिया को आरम्भ न करना

राजस्व वसूली अधिनियम में ग्रावधान है कि यदि किसी ऐसे दोषी व्यापारी जिसकी सम्पत्ति बकाया उपार्जित होने वाले स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य जिले में भी है, के द्वारा यदि भू-राजस्व की अदायगी देय है, तो समाहर्ता उस जिले के समाहर्ता को राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जिसमें दोषी का नाम बताते हुए तथा ऐसा अन्य ब्लौरा जो पहचान हेतु आवश्यक हो तथा उसके द्वारा देय राशि तथा जिस कारण से देय है, प्रेषित कर सकता है।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन में निर्धारण प्राधिकारियों ने (अक्टूबर 1995 तथा जुलाई 2014 के मध्य) 1985-86 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए 12 व्यापारियों का कर निर्धारण किया था तथा ₹1.34 करोड़ ब्याज तथा शास्ति सहित अतिरिक्त मांग सृजित की थी। परन्तु व्यापारियों द्वारा इसे जमा नहीं किया गया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने सितम्बर 2001 तथा अगस्त 2015 के मध्य भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूले जाने वाले मामलों को घोषित किया था। इन व्यापारियों की सम्पत्ति संबन्धित समाहर्ता के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण जहां सम्पत्ति स्थित थी, राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र वहां के जिला समाहर्ताओं को जारी किया जाना था, जो कि नहीं किया गया था।

राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रक्रिया को आरम्भ न करने के परिणामस्वरूप ₹1.34 करोड़ के बकायों का संचय हुआ।

³³ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी एवं सिरमौर

2.5.9 जब्त सम्पत्तियों की नीलामी न करना

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954 के अनुसार सरकार को देय राशि की वसूली समाहर्ता द्वारा किसी एक अथवा अधिक प्रक्रियाओं जैसे कि दोषी को याचिका दायर करके, गिरफ्तार एवं कैद करके, धनाभाव तथा चल सम्पत्ति के विरुद्ध चल सम्पत्ति की बिक्री की कार्यवाही तथा सम्पदा एवं स्वामित्व की बिक्री अथवा कुर्क उपर करके की जा सकती है।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁴ के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में 2005-06 से 2014-15 तक की कर अवधि के लिए जनवरी 2011 तथा सितम्बर 2015 के मध्य छः व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप दिया था तथा ₹45.88 करोड़ की अतिरिक्त माँग सृजित की गई। व्यापारियों ने अतिरिक्त माँग को जमा नहीं किया। निर्धारण प्राधिकारियों ने 2011-12 तथा 2014-15 वर्षों के दौरान व्यापारियों के राजस्व अभिलेख में लाल प्रविष्टियाँ की तथा सम्पत्तियों को जब्त किया था परन्तु निर्धारण प्राधिकारियों ने देय कर राशि की वसूली करने हेतु जब्त सम्पत्तियों की नीलामी हेतु पुनः कोई प्रयास नहीं किए।

जब्त की गई सम्पत्तियों की नीलामी हेतु निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹45.88 करोड़ के बकायों का संचय हुआ।

मुख्य प्राप्ति शीर्ष '0039 - राज्य आबकारी' के अन्तर्गत बकाया

मुख्य प्राप्ति शीर्ष "0039-राज्य आबकारी" के अन्तर्गत ₹86.40 करोड़ का बकाया वसूली हेतु लम्बित था जो 1972-73 से संचित हुआ था।

2.5.10 प्रशासनिक विफलता के कारण राजस्व की वसूली न करना

आबकारी घोषणा 2016-17 में प्रावधान है कि एक सफल आबंटी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिले के आबकारी एवं कराधान आयुक्त सह-प्रभारी के पक्ष में विधिवत गिरवी रखी हुई 10 प्रतिशत प्रतिभूति नकदी या बैंक गारंटी या राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में या जिसके पास हिमाचल प्रदेश में अपनी स्थाई सम्पत्ति है वह वार्षिक लाईसेंस शुल्क की 15 प्रतिशत राशि के बराबर दो प्रतिभूतियाँ आबंटन के सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा। ऐसे जमानती जिन्होंने किसी लाईसेंसधारी के लिए जमानती बंधपत्र दर्ज किया है, वचन दर्ज करेंगे कि उन्होंने उसी भूमि के लिए राज्य के किसी अन्य व्यक्ति/लाईसेंसधारी को जमानत नहीं दी है। इसके अतिरिक्त, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बिक्री केन्द्रों/इकाई का आबंटन किया गया है, यदि मूलभूत लाईसेंस शुल्क/प्रतिभूति की राशि को जमा करने में विफल होता है तो लाईसेंस का पुनर्विक्रय होगा तथा ऐसा आबंटी प्रतिदाय हेतु पात्र नहीं होगा।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान, शिमला में एक ही प्रकार के दो व्यक्तियों ने बिक्री केन्द्र के सात लाईसेंसधारियों को जमानत दी। यह आबकारी घोषणा 2016-17 के प्रावधानों का उल्लंघन है। लाईसेंसधारियों को वर्ष 2016-17 हेतु ₹29.00 करोड़ का लाईसेंस शुल्क जमा करवाना अपेक्षित था परन्तु उन्होंने केवल ₹19.97 करोड़ का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹9.03 करोड़ का अल्प भुगतान हुआ। विभाग ने जमानत अथवा लाईसेंसधारी से बकाए की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

जमानत सम्बन्धित प्रावधानों की अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ₹9.03 करोड़ का अल्प भुगतान हुआ।

³⁴ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्री, मण्डी, सिरमौर तथा सोलन

मुख्य प्राप्ति शीर्ष "0042 - यात्री एवं माल कर" के अंतर्गत बकाया

2.5.11 दैनिक संग्रहण पंजिका तथा मांग एवं संग्रहण पंजिका का अनुरक्षण न करना

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम 1955 के अंतर्गत वाहनों के मालिकों को या तो ट्रैमसिक या वार्षिक रूप से निर्धारित दरों पर यात्री एवं माल कर का भुगतान करना अपेक्षित है। यात्री एवं माल कर नियम, 1957 के अनुसार प्रत्येक जिले का आबकारी एवं कराधान कार्यालय फार्म पी.जी.टी.-23 में एक दैनिक संग्रहण पंजिका तथा फार्म पी.जी.टी.-24 में मांग एवं संग्रहण पंजिका का अनुरक्षण करेगा जिसमें कर अदायगी, अधिभार या शास्ति या मोटर वाहन मालिकों द्वारा कोई अन्य देय राशि के प्रमाण हेतु सभी चालानों का विवरण अंकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चालान चार प्रतियों में भरा जाएगा। चालान की एक प्रति कोषागार द्वारा रखी जाएगी, एक प्रति निर्धारण प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी तथा अन्य दो प्रतियां वाहन के मालिक को लौटाई जाएंगी जिनमें से एक प्रति मासिक विवरणी के साथ संलग्न की जाएगी तथा अन्य प्रति मालिक द्वारा अदायगी के प्रमाण स्वरूप उसके अभिलेख में रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी वाहन मालिक के द्वारा कोई राशि देय है तो निर्धारण प्राधिकारी अधिनियम के अंतर्गत यात्री एवं माल कर जमा करने के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत फार्म पी.जी.टी.-11 में नोटिस देगा।

सात आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मांग एवं संग्रहण पंजिका के अभिलेखों की छानबीन में उद्घाटित हुआ कि वाहन मालिकों द्वारा भुगतान की गई राशि का उल्लेख मांग एवं संग्रहण पंजिका में उचित रूप से नहीं किया गया था। क्योंकि मांग एवं संग्रहण पंजिका के अनुसार यात्री एवं माल कर की भुगतान तथा देय कुल राशि को अद्यतन नहीं किया था जिसकी जानकारी विभाग को नहीं थी। इसके कारण विभाग द्वारा अनुरक्षित बकाया अभिलेखों में शेष बकाया देयता उचित रूप में प्रकट नहीं हुई।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला में मांग एवं संग्रहण पंजिका की लेखापरीक्षा छानबीन में उद्घाटित हुआ कि 874 व्यावसायिक वाहन जो कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला में पंजीकृत थे (2007-08 से 2016-17 के दौरान) में से 691 व्यावसायिक वाहन निर्धारित दरों³⁵ पर ₹80.43 लाख के यात्री एवं माल कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस राशि का भुगतान वाहन मालिकों द्वारा नहीं किया गया था। विभाग ने इस राशि को भू-राजस्व बकाया के रूप में घोषित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने सभी सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में 2014-15 से 2016-17 वर्षों के दौरान यात्री एवं माल कर की ₹2.99 करोड़ की देय राशि के गैर-भुगतान को इंगित किया था। यह राशि अभिलेखों में बकाया के रूप में दर्ज नहीं की गई थी।

मांग एवं संग्रहण पंजिका को अद्यतन न करने के कारण वास्तविक बकाया का भुगतान किया अथवा नहीं, लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

मुख्य प्राप्ति शीर्ष '0045-पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क' के अंतर्गत बकाया

मुख्य प्राप्ति शीर्ष "0045-पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क" के अंतर्गत ₹65.63 करोड़ का बकाया वसूली हेतु लंबित है, जो कि 1989-90 से संचित हुआ था।

2.5.12 टोल पट्टा राशि की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम, 1975 के प्रावधान के अनुसार जब सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद किसी पट्टेदार को पट्टा आबंटित किया जाता है, तो पट्टेदार को प्रत्येक माह के 20वें दिन पर 10 किस्तों में अथवा जैसा आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा तय किया जाता है पट्टा राशि का भुगतान करना होगा। पट्टेदार द्वारा पट्टा राशि का 15 प्रतिशत 10 फरवरी को या उससे पहले प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा तथा पट्टेदार द्वारा 85 प्रतिशत

³⁵ माल वाहन- भार क्षमता (किंवद्दल में) 0-10: ₹1,000, 10-20: ₹2,000, 20-30: ₹3,000, 30-120: ₹6,000 से ऊपर 120: ₹10,000, यात्री वाहन- (बैठने की क्षमता) 4+1: ₹1,350, 5-6: ₹2,400, 6-8: ₹5350, 9-13: ₹8,000, स्कूल बसें- (बैठने की क्षमता) 29 तक: ₹7200 तथा उससे ऊपर 29: ₹9,000

प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जनवरी के प्रत्येक महीने के 20वें दिन 10 किस्तों में भुगतान करना होगा। यदि टोल पट्टेदार प्रति वर्ष प्रतिभूति राशि के रूप में 10 फरवरी या उससे पहले सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के लिए मासिक किस्तों के 15 प्रतिशत भुगतान को जमा करने में विफल रहता है तो उसका पट्टा बिना किसी नोटिस के रद्द कर दिया जाएगा तथा बकाया राशि को वसूलने की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश पट्टा अधिनियम 1954 के अंतर्गत शुरू की जाएगी। पात्रता शर्तों में यह भी प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश में किसी कराधान कानून के अंतर्गत सम्बन्धित आबंटी या व्यक्ति दोषी नहीं होना चाहिए।

- i. सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁶ में वर्ष 2013-14 हेतु दो पट्टेदारों को ₹45.06 करोड़ की वार्षिक पट्टा राशि पर टोल पट्टा दिया था। इन पट्टेदारों द्वारा भुगतान योग्य ₹45.06 करोड़ राशि के प्रति ₹33.17 करोड़ की पट्टा राशि जमा की गई थी जो कि ₹11.89 करोड़ कम थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने भू-राजस्व बकाया अधिनियम के अंतर्गत ₹11.89 करोड़ की वसूली हेतु दोषियों के भू-अभिलेखों में लाल प्रविष्टियां की थी परन्तु विभाग ने सम्पत्ति की नीलामी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।
- ii. सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी में वर्ष 2013-14 हेतु एक कम्पनी जिसमें पांच भागीदारों को ₹14.38 करोड़ की वार्षिक पट्टा राशि पर टोल पट्टा दिया था, में से दो भागीदार पहले से ही वर्ष 2012-13 हेतु ₹2.22 करोड़ के भुगतान के दोषी थे। इसके अतिरिक्त, पट्टेदार ने ₹14.38 करोड़ में से ₹12.68 करोड़ की राशि का भुगतान किया था तथा ₹1.70 करोड़ जमा नहीं किए थे, जो कि वर्ष 2013-14 से बकाया थे। **अतः** दोषी पट्टेदारों को पट्टे के आबंटन में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को राजस्व की हानि हुई तथा बकायों में और अधिक संचय हुआ।

प्रावधानों के विपरीत दोषी को टोल पट्टा के अनियमित आबंटन के कारण ₹13.59 करोड़ (₹11.89 करोड़ + ₹1.70 करोड़) की वसूली नहीं हुई।

2.5.13 बकायों को गलत प्रकट करना

दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁷ के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 1994-95 तथा 2001-02 के मध्य तीन मामलों के सम्बन्ध में ₹18.78 लाख का बकाया, बकाया भू-राजस्व पंजिका में वसूल किया गया दर्शाया गया था जबकि बकाया विवरणी में अभी तक वसूली योग्य ही दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹18.78 लाख की सीमा तक बकायों को गलत प्रकट किया गया।

निष्कर्ष

अनुश्रवण के अभाव, विस्तृत डाटाबेस का अनुरक्षण न करने तथा मिलान न करने के परिणामस्वरूप बकायों को गलत दर्शाया गया। व्यापारियों के निर्धारण को अन्तिम रूप देने में असाधारण विलम्ब तथा फर्मों/व्यापारियों के प्रति अधिनियम/नियमों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि हुई क्योंकि व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद कर दिया था। पंजीकरण के समय व्यापारियों से प्रतिभूति/जमानत को प्राप्त न करने, प्रतिप्रेषित मामलों का निर्धारण न करना तथा निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण में विलम्ब के परिणामस्वरूप बकायों का संचय हुआ। जब्त सम्पत्ति को नीलाम नहीं किया गया था। जमानत से सम्बन्धित प्रावधानों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप देय आबकारी शुल्क का कम भुगतान हुआ। प्रावधानों के विपरीत दोषियों को टोल पट्टा के अनियमित आबंटन से देय राशि की वसूली नहीं हुई।

विभाग तथा सरकार को जुलाई 2018 में उपर्युक्त बिन्दु प्रतिवेदित किए गए थे। उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2019)।

³⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बिलासपुर तथा ऊना

³⁷ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: ₹4.98 लाख तथा शिमला: ₹13.80 लाख

2.6 निवेश कर क्रेडिट की छूट

निर्धारण प्राधिकारियों ने शेष माल/कर मुक्त माल की बिक्री/शाखा हस्तांतरण पर विचार किए बिना निवेश कर क्रेडिट की छूट प्रदान कर दी जिसके परिणामस्वरूप 138 व्यापारियों के ₹7.01 करोड़ के कर दायित्व का स्थगन हुआ।

I. निवेश कर क्रेडिट की अधिक छूट

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अनुसार निवेश कर क्रेडिट राज्य में एक पंजीकृत व्यापारी से खरीदे गए कर योग्य माल पर क्रेता द्वारा भुगतान किए गए निवेश कर की राशि की सीमा तक अनुमत होगा। इसके अतिरिक्त पर्व 2007 की अधिसूचनानुसार निवेश कर क्रेडिट की राशि एक व्यापारी द्वारा कर अवधि के दौरान उसके द्वारा बेचे गए माल के खरीद मूल्य पर स्वीकार्य होगी। यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर को अदा करने में विफल रहता है तो वह एक प्रतिशत तथा उसके पश्चात चूक जारी रहने तक पर डेढ़ प्रतिशत तक की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁸ के अभिलेखों की छानबीन की जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इनमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि दो निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि 2007-08 तथा 2015-16 के मध्य 129 व्यापारियों के 142 मामलों जिनमें ₹1,161.50 करोड़ की सकल कुल बिक्री अन्तर्ग्रस्त है, वार्षिक रिटर्नों का निर्धारण करते समय ₹656.47 करोड़ की स्थानीय खरीद पर ₹656.61 करोड़ का निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया। कुल खरीद की स्थानीय खरीद के अनुपात के आधार पर ₹213.38 करोड़ के शेष माल पर ₹10.66 करोड़ की राशि का निवेश कर क्रेडिट रोकना अपेक्षित था जबकि निर्धारण प्राधिकारियों ने निवेश कर क्रेडिट के केवल ₹4.38 करोड़ ही रोके। अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करने के परिणामस्वरूप ₹6.28 करोड़ की राशि के निवेश कर क्रेडिट की अधिक छूट दी गई। इसके अतिरिक्त ब्याज के ₹1.00 करोड़ भी वसूली योग्य थे।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि 43 मामलों में ₹23.90³⁹ लाख की अतिरिक्त मांग को सृजित किया गया था जिसमें से 40 मामलों में ₹12.89 लाख की राशि को वसूल कर लिया था जबकि व्यापारियों के शेष मामले पुनर्निर्धारण हेतु प्रक्रियाधीन थे।

II. कर मुक्त माल की बिक्री पर निवेश कर क्रेडिट

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम में प्रावधान है कि क्रेता व्यापारी द्वारा कोई निवेश कर क्रेडिट का दावा नहीं किया जाएगा तथा यह उसको उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त घोषित किए गए, विनिर्मित अथवा संसाधित अथवा पैंकिंग वस्तुओं में उपयोग में लाए गए माल की खरीद पर एकत्रित किये गए कर के लिए यह अनुमत्य नहीं होगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन की गई जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इनमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि चार सहायक एवं कराधान आयुक्तों⁴⁰ ने 6 व्यापारियों के 13 मामलों में कर मुक्त माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी। निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए व्यापारियों के ₹107.02 करोड़ की सकल कुल बिक्री का निर्धारण किया इसमें ₹34.68 करोड़ की कर मुक्त कुल बिक्री सम्मिलित थी। निर्धारण प्राधिकारी

³⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्री, बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, नाहन, नूरपुर, शिमला, सोलन तथा ऊना

³⁹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त 2016-17: बिलासपुर: छ: व्यापारी: ₹0.43 लाख, हमीरपुर: एक व्यापारी: ₹0.90 लाख, मण्डी: दो व्यापारी: ₹0.07 लाख, नूरपुर: दो व्यापारी: ₹0.78 लाख, शिमला: एक व्यापारी: ₹5.28 लाख, सोलन: चार व्यापारी: ₹1.56 लाख, 2015-16: चम्बा: 19 व्यापारी: ₹10.53 लाख, नूरपुर: पांच व्यापारी: ₹2.54 लाख, शिमला: 3 व्यापारी: ₹1.81 लाख

⁴⁰ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हमीरपुर, कुल्लू, सोलन तथा ऊना

ने ₹1.58 करोड़ के निवेश कर क्रेडिट की छूट प्रदान की जबकि निवेश कर क्रेडिट ₹34.68 करोड़ की कर मुक्त बिक्री के आधार पर ₹1.10 करोड़ निकाला गया। इसके परिणामस्वरूप ₹47.96 लाख⁴¹ के निवेश कर क्रेडिट की अधिक छूट दी गई। ₹7.67 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि दो मामलों में ₹0.89⁴² लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी जिसमें से ₹0.11 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी जबकि व्यापारियों के शेष मामले पुनर्निर्धारण हेतु प्रक्रियाधीन थे।

III. शाखा हस्तांतरण पर गलत निवेश कर क्रेडिट अनुमत करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि उप-धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद निवेश कर क्रेडिट केवल उसी सीमा तक अनुमत होगा जिससे राज्य में भुगतान किए गए निवेश कर की राशि अन्तरराज्यीय व्यापार की श्रृंखला में बिक्री के माध्यम के अतिरिक्त राज्य के बाहर भेजी गई वस्तुओं की खरीद पर चार प्रतिशत से अधिक है।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन की जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इनमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर एवं ऊना ने तीन व्यापारियों के पांच मामलों में शाखा हस्तांतरण पर निवेश कर क्रेडिट की अनुमति दी। निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि 2010-11 एवं 2011-12 के लिए कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए तीन व्यापारियों जिनकी सकल कुल बिक्री ₹667.67 करोड़ थी, को स्टॉक हस्तांतरण के ₹414.78 करोड़ के लिए अनुमत्य ₹25.45 लाख के निवेश कर क्रेडिट के प्रति केवल ₹0.14 लाख की निवेश कर क्रेडिट की अनुमति नहीं दी। इसके परिणामस्वरूप ₹25.31 लाख⁴³ के राजस्व का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹4.05 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि एक मामले में ₹0.32⁴⁴ लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई तथा वसूल कर ली गई थी जबकि व्यापारियों के शेष मामले पुनर्निर्धारण हेतु प्रक्रियाधीन थे।

इन मामलों को सरकार को अगस्त 2016 एवं मई 2018 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

2.7 कर की गलत दर लागू करना

11 व्यापारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारी ने पांच से 13.75 प्रतिशत की प्रयोग्य दर के स्थान पर चार से पांच प्रतिशत की दर लागू की जिसके परिणामस्वरूप व्यापारियों को अनुचित लाभ हुआ तथा ₹11.56 करोड़ के कर की अल्प वसूली हुई। ब्याज के ₹5.73 करोड़ भी वसूली योग्य थे।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अनुसूचि-ए में प्रावधान है कि एक व्यापारी द्वारा की गई बिक्री पर कर उद्ग्राह्य है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त अधिनियम में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी नियत तिथि तक कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास की अवधि तक देय कर पर एक प्रतिशत तथा उसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज की अदायगी करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

⁴¹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हमीरपुर (तीन व्यापारी: ₹1.03 लाख), कुल्लू (एक व्यापारी: ₹40.18 लाख), सोलन (एक व्यापारी: ₹1.68 लाख) तथा ऊना (एक व्यापारी: ₹5.07 लाख)

⁴² सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हमीरपुर: दो व्यापारी: ₹0.89 लाख

⁴³ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बिलासपुर: एक व्यापारी: ₹22.75 लाख तथा ऊना: दो व्यापारी: ₹2.56 लाख

⁴⁴ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ऊना: एक व्यापारी: ₹0.32 लाख

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इसमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि चार निर्धारण प्राधिकारियों ने मई 2015 तथा फरवरी 2017 के मध्य 11 व्यापारियों के 23 मामलों में निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए कर की गलत दर को उदगृहीत किया। इन व्यापारियों ने वर्ष 2009-10 से 2015-16 के दौरान ₹137.79 करोड़ की राज्यान्तरिक तथा अन्तरराज्यीय की बिक्री थी। निर्धारण प्राधिकारी ने पांच तथा 13.75 प्रतिशत की लागू दर पर ₹18.20 करोड़ के स्थान पर चार तथा पांच प्रतिशत की दर से ₹6.64 करोड़ के कर को उदगृहीत किया। अतः गलत दरों को लागू करने के परिणामस्वरूप ₹11.56⁴⁵ करोड़ (₹18.20 करोड़ - ₹6.64 करोड़) के कर की अल्प वसूली हुई। ₹5.73 करोड़ का व्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2018) कि छः मामलों में व्यापारियों को नोटिस जारी किए गये थे जबकि शेष मामले पुनर्निर्धारण हेतु प्रक्रियाधीन थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

2.8 कुल बिक्री का गलत निर्धारण

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा वास्तविक कुल बिक्री के प्रति सकल कुल बिक्री पर कम कर निर्धारण करने के परिणामस्वरूप ₹5.47 करोड़ के राजस्व की हानि हुई इसके अतिरिक्त ₹4.61 करोड़ का व्याज भी उद्ग्राह्य था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल बिक्री से तात्पर्य किसी व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों की कुल राशि, खरीद या बिक्री अथवा खरीद के किसी भाग से तथा उसमें भाड़ा, भंडारण, विलम्ब शुल्क, बीमा तथा वस्तुओं के वितरण के समय अथवा वितरण से पूर्व व्यापारी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए प्रभारित की गई राशि सम्मिलित है।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इसमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि नौ निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2007-08 से 2014-15 हेतु 37 व्यापारियों के 44 मामलों में कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (जनवरी 2015 तथा फरवरी 2017 के मध्य) ₹1,106.43 करोड़ की वास्तविक सकल कुल बिक्री के प्रति ₹997.93 करोड़ की सकल कुल बिक्री पर कर निर्धारण किया जैसा कि प्रमाणित खातों में दर्शाया गया है। अतः कुल बिक्री के ₹108.50 करोड़ का अल्प निर्धारण हुआ जिसके कारण ₹5.47 करोड़ तक के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹4.61 करोड़ का व्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2018) कि 11 मामलों में ₹29.03⁴⁶ करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी एवं वसूल कर ली गई थी तथा 12 मामलों में नोटिस जारी किए गए थे जबकि शेष मामले प्रक्रियाधीन थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

⁴⁵ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त (2016-17): बद्री (दो व्यापारी: ₹9.50 करोड़), शिमला (एक व्यापारी: ₹1.41 लाख), सोलन (चार व्यापारी: ₹1.19 करोड़), (2015-16) (एक व्यापारी: ₹55.24 लाख) तथा ऊना (तीन व्यापारी: ₹29.84 लाख)

⁴⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला: एक व्यापारी: ₹12.84 लाख, सोलन: एक व्यापारी: ₹0.24 लाख, चम्बा: एक व्यापारी: ₹0.28 लाख, मण्डी: एक व्यापारी: ₹13.35 लाख, नूरपुर: एक व्यापारी: ₹0.10 लाख, सोलन (2015-16): एक व्यापारी: ₹0.02 लाख, ऊना: पांच व्यापारी ₹2.20 लाख

2.9 बिक्री तथा स्टॉक को छिपाना

26 व्यापारियों ने 28 मामलों में ₹8.54 करोड़ की बिक्री तथा शेष माल को छिपाया जिससे उनका कर निर्धारण नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹1.08 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ₹71.35 लाख का ब्याज तथा न्यूनतम शास्ति ₹9.94 लाख भी उद्ग्राहय थी।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी व्यापारी ने अपनी बिक्री, खरीद या माल के स्टॉक को छिपाने के विचार से झूठे खातों को बनाया है, या अपनी बिक्री और खरीद से सम्बन्धित किसी व्यौरे को छिपाया है, या किसी भी प्राधिकारी को अधिनियम के अंतर्गत झूठा लेखा प्रस्तुत किया, तो वह शास्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा जो कि देय कर के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(i) 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इसमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁴⁷ में 2005-06 से 2014-15 की कर अवधि के दौरान ₹386.19 करोड़ की सकल कुल बिक्री वाले 25 व्यापारियों ने 27 मामलों में वार्षिक रिटर्न में ₹3.17 करोड़ की बिक्री का खुलासा नहीं किया था जो अन्यथा सम्पत्ति की बिक्री के रूप में उनके व्यापार तथा लाभ एवं हानि के खातों में दर्शाए गए थे। इसके अतिरिक्त सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला की लेखापरीक्षा छानबीन में पाया गया कि वर्ष 2012-13 के लिए ₹99.37 लाख की सकल कुल बिक्री करने वाले एक व्यापारी ने ₹8.99 लाख का अथरेष माल दिखाया था जबकि पिछले वर्ष के प्रमाणित खातों में ₹38.40 लाख का शेषमाल दर्शाया गया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों के कर निर्धारणों को (मई 2014 एवं मार्च 2016) अन्तिम रूप देते समय उनके वार्षिक खातों के साथ वार्षिक रिटर्न की प्रति-जांच नहीं की।

इस प्रकार निर्धारण प्राधिकारी के स्तर पर वार्षिक खातों के साथ वार्षिक रिटर्न की प्रति-जांच की विफलता के कारण व्यापारी ₹3.46 करोड़ (₹3.17 करोड़ + ₹29.41 लाख) की कर योग्य बिक्री को छिपाने में सक्षम रहे जो कि निर्धारण से बच गए जिसके परिणामस्वरूप ₹39.77⁴⁸ लाख के कर का अपवंचन हुआ। ₹35.69 लाख का ब्याज तथा ₹9.94 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

(ii) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन में 3,297 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। जिसमें से 1154 मामलों की लेखापरीक्षा नमूना जांच की गई तथा पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारी ने मई 2016 में कर वर्ष 2014-15 के लिए एक व्यापारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹12.11 करोड़ की बिक्री पर कर निर्धारण किया तथा ₹1.37 करोड़ का कर उदगृहीत किया (कर की 13.75 प्रतिशत की निर्धारित दर)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि व्यापारी ने वार्षिक रिटर्न के अनुसार ₹17.10 करोड़ की बिक्री की तथा देय कर के रूप में ₹2.35 करोड़ (13.75 प्रतिशत की दर पर) दर्शाए थे। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण आदेश में ₹17.10 करोड़ के स्थान पर ₹12.11 करोड़ की बिक्री बताने के लिए कारण दर्ज नहीं किए थे।

अतः निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹4.99 करोड़ तक बिक्री का कम निर्धारण करने के परिणामस्वरूप ₹68.57 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ तथा उस सीमा तक राजस्व की अनुवर्ती हानि हुई। ₹35.66 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

⁴⁷ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्री, बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा एवं ऊना

⁴⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्री: 10 व्यापारी: ₹11.52 लाख, बिलासपुर: चार व्यापारी: ₹1.63 लाख, चम्बा: एक व्यापारी: ₹5.73 लाख, कांगड़ा: दो व्यापारी: ₹6.32 लाख तथा ऊना: आठ व्यापारी: ₹13.10 लाख तथा शिमला: एक व्यापारी: ₹1.47 लाख

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2018) कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁴⁹ ने दो व्यापारियों के विरुद्ध ₹0.12 लाख की अतिरिक्त मांग का सृजन किया जबकि शेष मामलों में पुनर्निर्धारण के लिए नोटिस जारी किए गए जोकि प्रक्रियाधीन थे। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

2.10 श्रम प्रभारों की अधिक छूट

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹14.56 करोड़ की सकल कुल बिक्री से श्रम प्रभारों की अधिक कटौती के परिणामस्वरूप ₹67.02 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 में प्रावधान है कि जहां श्रम प्रभार संविदाकारों के कार्यों के लेखा से निर्धारण करने योग्य नहीं है अथवा संविदा की प्रकृति में अतार्किक रूप से उच्च समझे जाते हैं तो निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम/नियमों में विनिर्दिष्ट संविदा के प्रकार के लिए निर्धारित सीमाओं के अनुसार श्रम प्रभारों के प्रति कटौतियों को अनुमत किया जाएगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 12 सहायक आकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इसमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि छ: निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि 2007-08 से 2015-16 हेतु आठ ठेकेदारों के 13 मामलों में मई 2016 तथा फरवरी 2018 के मध्य निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय ठेकेदारों के श्रम लेखों को सत्यापित किए बिना ₹4.50 करोड़ की स्वीकार्य कटौती के प्रति ₹9.67 करोड़ के श्रम प्रभार अनुमत किए। अतः निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण में बिना कोई कारण अभिलिखित किए ₹5.17 करोड़ के अधिक श्रम प्रभारों की छूट प्रदान करने के कारण ₹25.64 लाख के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की कम वसूली हुई।

तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁵⁰ में 15,123 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था इसमें से लेखापरीक्षा ने 4,310 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि कर अवधि 2007-08 से 2015-16 हेतु निर्धारण प्राधिकारियों ने तीन ठेकेदारों के आठ मामलों में निर्धारण करते समय श्रम प्रभारों के ₹14.15 करोड़ की कटौती अनुमत की थी। तथापि, इन ठेकेदारों ने श्रम प्रभारों के ₹4.75 करोड़ बुक किए जैसाकि उनके सत्यापित लेखाओं में दर्शाया गया है। अतः निर्धारण प्राधिकारी ठेकेदारों के सत्यापित लेखाओं के साथ विवरणियों की प्रति-जांच करने में विफल होने के कारण ₹9.40 करोड़ के श्रम प्रभारों की अधिक छूट प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹41.38 लाख तक कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ब्याज के ₹25.64 लाख भी उद्ग्राह्य थे।

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2018) कि तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने चार ठेकेदारों से ₹13.95⁵¹ लाख की अतिरिक्त मांग सुजित एवं वसूल की थी जबकि ठेकेदारों के शेष मामले प्रक्रियाधीन थे। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

⁴⁹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बिलासपुर: ₹0.01 लाख तथा ऊना: ₹0.11 लाख

⁵⁰ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बिलासपुर: एक व्यापारी: ₹0.54 लाख, कांगड़ा: एक व्यापारी: ₹34.81 लाख तथा मण्डी: एक व्यापारी: ₹6.03 लाख

⁵¹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त चम्बा: दो व्यापारी ₹0.52 लाख, बिलासपुर: एक व्यापारी: ₹0.08 लाख तथा मण्डी: एक व्यापारी: ₹13.35 लाख

2.11 व्याज का अल्प उद्ग्रहण

निर्धारण प्राधिकारियों ने अतिरिक्त मांग सृजित करके ₹24.30 लाख के उद्ग्राहय व्याज के स्थान पर ₹8.40 लाख के व्याज का उद्ग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹15.90 लाख के व्याज का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसार यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह एक महीने की अवधि हेतु देय कर पर एक प्रतिशत तथा उसके पश्चात चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत की दर से व्याज भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इसमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना जांच की तथा पाया कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁵² में कर अवधि 2007-08 से 2013-14 हेतु 11 व्यापारियों के सम्बन्ध में 18 मामलों में कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (जून 2015 तथा मार्च 2017 के मध्य) ₹20.43 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा निर्धारण तिथि तक सृजित अतिरिक्त मांग पर उद्ग्राहय ₹16.60 लाख के व्याज के प्रति ₹2.77 लाख के व्याज का उद्ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी में कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर अवधि 2011-12 से 2015-16 हेतु एक व्यापारी के प्रवेश कर के मामले का (दिसम्बर 2016) कर निर्धारण किया तथा ₹23.74 करोड़ की अन्तरराज्यीय बिक्री पर ₹19.24 लाख के प्रवेश कर की मांग सृजित की। निर्धारण प्राधिकारी ने ₹7.70 लाख के स्थान पर ₹5.63 लाख के व्याज का उद्ग्रहण किया जो कि ₹2.07 लाख कम था। इसके परिणामस्वरूप व्याज के ₹15.90 लाख (₹13.83 लाख + ₹2.07 लाख) का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने व्यापारियों को पुनर्निर्धारणार्थ नोटिस जारी किए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

2.12 मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना

सहायक एवं आबकारी विभाग ने केबल आपरेटरों पर मनोरंजन शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जिसके चलते कम से कम ₹3.78 करोड़ राजस्व छूट गया।

केबल टी वी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 क्षेत्र के मुख्य पोस्टमास्टर अर्थात् पंजीकरण प्राधिकारी के साथ केबल ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है। हिमाचल प्रदेश मनोरंजन अधिनियम, 1968 के प्रावधान के अनुसार मनोरंजन कर का उद्ग्रहण ऐसी दरों पर किया जाएगा जैसे कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। 'टेलीविजन प्रदेशनी' किसी भी प्रकार के ऐन्टीना की मदद सहित एक प्रदेशनी है जिसके साथ नेटवर्क जुड़ा होता है। आबकारी एवं कराधान विभाग की मई 2012 की अधिसूचना में नियत है कि सभी प्रकार के मनोरंजन पर तत्काल प्रभाव से प्रवेश हेतु भुगतान के 10 प्रतिशत की दर से शुल्क उद्ग्राहय होगा। इसके अतिरिक्त यदि मालिक धोखे से किसी भी देय राशि के भुगतान को छिपाता है तो वह दो हजार जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा और जब अपराध लगातार हो तो अपराध की निरंतरता की अवधि के दौरान प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा जो कि पचास रूपये से अधिक नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने जिला लोक सम्पर्क अधिकारियों से तीन जिलों (बिलासपुर, कांगड़ा तथा मण्डी) में केबल ऑपरेटरों के पंजीकरण से सम्बन्धित सूचना प्राप्त की तथा पाया कि इन तीन जिलों में 28 केबल ऑपरेटर पंजीकृत किए गए थे। लेखापरीक्षा ने सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मनोरंजन शुल्क से सम्बन्धित भुगतान के अभिलेखों

⁵² सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी (2015-16): ₹4.70 लाख तथा कांगड़ा: ₹0.69 लाख तथा बद्दी (2016-17): ₹10.51 लाख

की नमूना-जांच की तथा पाया कि इन जिलों के पंजीकृत 28 केबल ऑपरेटर मनोरंजन कर का भुगतान नहीं कर रहे थे। विभाग ने ऑपरेटरों से ₹3.78 करोड़ के मनोरंजन शुल्क की वसूली नहीं की जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.11: केवल टीवी ऑपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना

जिला का नाम	केबल ऑपरेटरों की कुल संख्या	2014-15 में केबल कनैक्शनों की संख्या	2015-16 में केबल कनैक्शनों की संख्या	2016-17 में केबल ऑपरेटरों की संख्या	प्रति कनैक्शन दर	मनोरंजन कर की अवधि	कुल महीनों की संख्या	केबल कनैक्शनों से ऑपरेटरों द्वारा वसूल की गई राशि	10 प्रतिशत की दर से मनोरंजन शुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिलासपुर	7	0	0	28,200	200	अप्रैल 2016 से मार्च 2017	12	6,76,80,000	67,68,000
कांगड़ा स्थित धर्मशाला	6	23,870	23,870	23,870	280	अप्रैल 2014 से मार्च 2017	36	24,06,09,600	2,40,60,960
मण्डी	15	9,435	13,260	16,262	150	अप्रैल 2014 से मार्च 2017	36	7,01,22,600	70,12,260
योग	28							37,84,12,200	3,78,41,220

इसके अतिरिक्त, मनोरंजन शुल्क का भुगतान न करने के लिए अधिनियम में निर्धारित दरों पर शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2018) कि सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने केबल ऑपरेटरों को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना जांच पर आधारित हैं। विभाग ऐसे सभी मामलों की गहनता से जांच करने हेतु कार्रवाई करे तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे।

अध्याय-III

राज्य आबकारी

अध्याय - III

राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (आबकारी) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभाग का अध्यक्ष होता है। विभाग को तीन अंचलों¹ में विभाजित किया गया है जिनकी अध्यक्षता अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिण अंचल), उत्तरी अंचल एवं केन्द्रीय अंचल के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन 255 आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को आबकारी शुल्कों एवं संबद्ध करों के उद्ग्रहण/संग्रहण की देखरेख तथा विनियमन करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

3.2 लेखापरीक्षा परिणाम


2017-18 में राज्य आबकारी शुल्क से सम्बन्धित 13 इकाइयों में से नौ इकाइयों जिनमें ₹1,015.63 करोड़ की प्राप्तियां थीं, के अभिलेखों की नमूना-जांच से ₹67.37 करोड़ के आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस, ब्याज, शास्ति एवं अन्य अनियमितताओं की वसूली न करना तथा अल्प वसूली करने के 61 मामले उद्घाटित हुए, जो नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा परिणाम

₹ करोड़ में			
क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क की वसूली न करना/अल्प वसूली करना	03	9.28
2.	लाइसेंस फीस/ब्याज/शास्ति इत्यादि की वसूली न करना/अल्प वसूली करना	35	57.13
3.	अन्य अनियमितताएं	23	0.96
योग		61	67.37

श्रेणी वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाए गए हैं:

ग्राफ – 3.1



¹ दक्षिण अंचल (शिमला, सोलन, सिरमौर, किनौर तथा बद्दी), उत्तर अंचल (चम्बा, कांगड़ा, नूरपुर तथा ऊना) तथा केन्द्रीय अंचल (बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू तथा मण्डी)।

वर्ष 2017-18 के दौरान विभाग ने विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सम्बन्धित पांच मामलों में ₹9.21 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा उसे वसूल किया ।

₹55.86 करोड़ से अंतर्ग्रस्त महत्वपूर्ण मामलों की निम्नवत् परिच्छेदों में चर्चा की गई है ।

3.3 लाइसेंस फीस की अल्प वसूली

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 49 लाइसेंसधारियों से ₹38.90 करोड़ की कम जमा लाइसेंस फीस वसूलने अथवा बिक्री केन्द्र सील करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी ।

आबकारी घोषणा 2016-17 में प्रावधान है कि एक विशेष बिक्री केन्द्र की वार्षिक लाइसेंस फीस पूरे वर्ष हेतु प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए निर्धारित शराब की न्यूनतम गांरटीड कोटा के आधार पर पूर्व निर्धारित होगी । इस प्रकार से निर्धारित की गई फीस को 12 मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा और प्रत्येक माह के अन्तिम दिन तक भुगतान किया जाएगा और मार्च महीने के लिए अन्तिम किस्त का पूरा भुगतान 15 मार्च तक किया जाएगा । इसमें पुनः प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी नियत तिथियों पर लाइसेंस फीस एवं व्याज की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो जिले का प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी अनुवर्ती महीने के पहले दिन या 16 मार्च को, जैसी भी मामला हो, बिक्री केन्द्र को सील करेगा ।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में नौ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के एम-2 रजिस्टरों² से सम्बन्धित अभिलेखों जिसमें 1,134 बिक्री केन्द्र शामिल थे की नमूना-जांच में पाया गया कि पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³ जिनमें 720 बिक्री केन्द्र थे, में विभाग ने 49 बिक्री केन्द्रों (दुकानों) से लाइसेंस फीस की कम वसूली की । वर्ष 2016-17 में वसूलीयोग्य ₹224.20 करोड़ की लाइसेंस फीस के प्रति विभाग ने ₹185.30 करोड़ वसूल किए । सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने न तो शेष लाइसेंस फीस की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की और न ही आबकारी घोषणा के अनुसार बिक्री केन्द्रों को सील किया जबकि इन बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारी अप्रैल 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य मासिक किश्तों के भुगतान करने में दोषी थे । इसके परिणामस्वरूप ₹38.90 करोड़ की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई ।

विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁴ ने ₹2.34 करोड़ की राशि को वसूल कर लिया था तथा तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁵ ने बकाया भू-राजस्व के तहत ₹26.18 करोड़ का बकाया घोषित किया था; इसके अतिरिक्त, बकाया राशि वसूलने हेतु चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किए जा रहे थे । सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019) ।

² माह के दौरान बिक्री के लिए जारी की गई देशी शराब एवं भारत में निर्मित शराब सहित विदेशी शराब की मात्रा, देश अतिरिक्त लाइसेंस फीस तथा प्राप्तियों को दर्शाने वाली पंजिका ।

³ बद्दी: नौ इकाइयां: ₹6.63 करोड़, मण्डी: सात इकाइयां: ₹6.09 करोड़, शिमला: 13 इकाइयां: ₹12.56 करोड़, सिरमौर: दो इकाइयां: ₹0.41 करोड़ तथा ऊना: 18 इकाइयां: ₹13.21 करोड़ ।

⁴ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी: ₹2.33 करोड़ तथा मण्डी: ₹1.01 लाख ।

⁵ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला: ₹12.56 करोड़, सिरमौर: ₹0.41 करोड़ तथा ऊना: ₹13.21 करोड़ ।

3.4 न्यूनतम गारंटीड कोटा कम उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का उद्ग्रहण न करना

विभाग ने 561 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 100 प्रतिशत बैंच-मार्क के प्रति 40,58,893 प्रूफ लीटर शराब कम उठाने पर ₹12.74 करोड़ की अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण नहीं किया। 80 प्रतिशत बैंच मार्क के प्रति न्यूनतम गारंटीड कोटा कम उठाने पर ₹1.81 करोड़ की शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

आबकारी घोषणा 2016-17 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी को बिक्री केंद्र के लिए निर्धारित किए गए देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब दोनों के न्यूनतम गारंटीड कोटे को उठाना अपेक्षित होगा और न्यूनतम गारंटीड कोटे के आधार पर नियत की गई लाइसेंस फीस की अदायगी करने के लिए उत्तरदायी होगा। देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के न उठाए गए न्यूनतम गारंटीड कोटे पर लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस के भुगतान के अतिरिक्त ₹10 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹56 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर अतिरिक्त फीस की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा जो न्यूनतम गारंटीड कोटे के 100 प्रतिशत बैंच-मार्क से कम होगी। इसके अतिरिक्त, देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के न उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी ₹7 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹14 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर शास्ति की अदायगी हेतु भी उत्तरदायी होगा जो कि न्यूनतम गारंटीड कोटे के 80 प्रतिशत बैंच-मार्क से कम होगी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी त्रैमासिक आधार पर न्यूनतम गारंटीड कोटे को उठाने की स्थिति की समीक्षा करेगा तथा नहीं उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी से अतिरिक्त फीस के साथ-साथ न उठाए गए न्यूनतम गारंटीड कोटे पर शास्ति की राशि की वसूली भी सुनिश्चित करेगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में नौ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों जिसमें 1,134 बिक्री केन्द्र शामिल थे, की नमूना जांच की गई तथा पाया कि 897 बिक्री केन्द्रों वाले सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में 561 बिक्री केन्द्र के लाइसेंसधारियों ने शराब के न्यूनतम गारंटीड कोटा से कम शराब उठाई थी। न्यूनतम गारंटीड कोटे को कम उठाने के कारण ₹12.74 करोड़⁶ अतिरिक्त शुल्क उदगृहीत किया जाना अपेक्षित था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 3.2: निर्धारित न्यूनतम गारंटीड कोटा एवं उठाए गए कोटे की स्थिति

शराब कोटा	देशी शराब	भारत में निर्मित विदेशी शराब	कुल
नियत न्यूनतम गारंटीड कोटा (प्रूफ लीटर में)	79,47,178	67,25,511	1,46,72,689
उठाया गया न्यूनतम गारंटीड कोटा (प्रूफ लीटर में)	57,75,382	48,38,414	1,06,13,796
कम उठाया गया न्यूनतम गारंटीड कोटा (प्रूफ लीटर में)	21,71,796	18,87,097	40,58,893
अतिरिक्त फीस (₹ में)	10 प्रति प्रूफ लीटर	56 प्रति प्रूफ लीटर	--
भुगतान योग्य अतिरिक्त फीस (₹ में)	2,17,17,960	10,56,77,432	12,73,95,392

पुनः यह पाया गया कि इन 561 लाइसेंसधारियों में से 550 लाइसेंसधारियों के मामले में न्यूनतम गारंटीड कोटे के प्रति 80 प्रतिशत के बैंच मार्क से 18,29,846 प्रूफ लीटर (देशी शराब: 10,70,548 तथा भारत निर्मित विदेशी शराब: 7,59,298) कम उठाई गई थी तथा इन लाइसेंसधारियों से ₹1.81 करोड़ की शास्ति को उदगृहीत किया जाना अपेक्षित था। तथापि, आबकारी घोषणा के उल्लंघन में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद कि लेखापरीक्षा ने पिछले पांच वर्षों से बार-बार इन कमियों को इंगित किया था,

⁶ बदली: 44 बिक्री केन्द्र: ₹1.48 करोड़, चंबा: 88 बिक्री केन्द्र: ₹1.10 करोड़, किन्नौर: 11 बिक्री केन्द्र: ₹0.11 करोड़, मण्डी: 145 बिक्री केन्द्र: ₹2.86 करोड़, शिमला: 155 बिक्री केन्द्र: ₹5.35 करोड़, सिरमौर: 23 बिक्री केन्द्र: ₹0.39 करोड़ तथा ऊना: 95 बिक्री केन्द्र: ₹1.45 करोड़।

तिमाही आधार पर न्यूनतम गारंटीड कोटा उठाने की स्थिति की जांच करने के लिए कोटा उठाने के विवरण से समीक्षा नहीं की जो कि आबकारी घोषणा के प्रावधानों को लागू करने में लापरवाही या अनिच्छा को दर्शाता है। इस प्रकार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/आबकारी एवं कराधान अधिकारी की ओर से विफलता के परिणामस्वरूप ₹14.55 करोड़ (₹12.74 करोड़ + ₹1.81 करोड़) की फीस तथा शास्ति की अल्प वसूली हुई तथा लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने सभी निर्धारण प्राधिकारियों को चूक-कर्त्ताओं से अतिरिक्त फीस तथा शास्ति की वसूली के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्रीय कार्यालय, आबकारी घोषणा में दिए गए प्रावधान के अनुसार मासिक/त्रैमासिक आधार पर बिक्री केन्द्रों द्वारा उठाए न्यूनतम गारंटीड कोटे की स्थिति की समीक्षा करे।

3.5 विलम्बित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना

विभाग द्वारा लाइसेंस फीस/बोतलीकरण फीस/फ्रैंचाइजी फीस का भुगतान विलम्ब से किये जाने पर ₹3.77 करोड़ के ब्याज के लिए 156 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से कोई मांग नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

आबकारी घोषणा 2016-17 में यह प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी एक मास के भीतर निर्धारित गारंटीड कोटा उठाने में असमर्थ होता है तो उसे उस मास के लाइसेंस शुल्क की पूरी किश्तें मास के अंतिम दिन तक तथा मार्च मास की फीस की पूरी अदायगी दिनांक 15 मार्च तक की जानी अपेक्षित है। इसमें पुनः प्रावधान है कि बोतलीकरण फीस⁷ तथा फ्रैंचाइजी फीस⁸ का भुगतान निर्धारित दर से त्रैमासिक आधार पर अर्थात् वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के सात दिनों के भीतर किया जाएगा। इसमें पुनः प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी निर्धारित तिथियों को लाइसेंस फीस की राशि या उसके अंश की अदायगी करने में विफल रहता है तो एक मास तक 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से तथा उसके बाद 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज उद्ग्रहण होगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में नौ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों जिसमें 1,134 बिक्री केन्द्र सम्मिलित थे, की नमूना-जांच की तथा पाया कि 1,106 बिक्री केन्द्र युक्त आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁹ में 156 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों ने अप्रैल 2016 तथा नवम्बर 2017 के मध्य ₹225.02 करोड़ की लाईसेंस फीस/बोतलीकरण फीस/फ्रैंचाइजी फीस को देय तिथि के पश्चात जमा किया था। विलम्ब दो एवं 434 दिनों के मध्य था। इसलिए, ये लाइसेंसधारी विलम्बित भुगतान पर ₹3.77 करोड़¹⁰ का ब्याज देने के लिए उत्तरदायी थे। तथापि, सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने इसके लिए कोई मांग नहीं की। इसके अतिरिक्त, आबकारी घोषणा के उल्लंघन में, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने लेखापरीक्षा द्वारा पिछले पांच वर्षों से बार-बार इंगित किये जाने पर भी इस प्रकार की कमियों की समीक्षा नहीं की जो कि आबकारी घोषणा के प्रावधानों को लागू करने में लापरवाही या निष्क्रियता को दर्शाती है। इसके परिणामस्वरूप ₹3.77 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

⁷ शराब के बोतलीकरण पर आसवनी द्वारा बोतलीकरण फीस भुगतान की जाती है। देशी शराब हेतु यह 88 पैसे 750 मिली लीटर की प्रत्येक बोतल एवं अन्य के लिए ₹1.10 प्रति बोतल तथा स्वयं के ब्रांड के लिए ₹2.20 प्रति बोतल

⁸ फ्रैंचाइजी फीस ऐसी फीस है जिसकी अदायगी लाइसेंसधारी द्वारा आसवनी को पटटे पर लेने पर की जाती है तथा जो अपने ब्रांड की बोतलें भरता हो। इसकी दर 8.00 प्रति प्रूफ लीटर होती है।

⁹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी, चंबा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

¹⁰ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी 13 बिक्री केन्द्र: ₹1.32 करोड़, चंबा 22 बिक्री केन्द्र: ₹0.26 करोड़, कुल्लू: 14 बिक्री केन्द्र: ₹0.21 करोड़, मण्डी आठ बिक्री केन्द्र: ₹0.30 करोड़, शिमला 24 बिक्री केन्द्र: ₹1.02 करोड़, सिरमौर 45 बिक्री केन्द्र: ₹0.12 करोड़, सोलन 10 बिक्री केन्द्र: ₹0.28 करोड़ तथा ऊना 20 बिक्री केन्द्र: ₹0.26 करोड़

विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹¹ ने ₹4.31 लाख की राशि को वसूल कर लिया था तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन तथा शिमला ने हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के तहत दो मामलों में ₹40.38 लाख को बकाया घोषित किया था। अन्य सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने सभी निर्धारण प्राधिकारियों को चूककर्ताओं से वसूली करने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

3.6 शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस की वसूली न करना

पिछले वर्ष के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस का उद्ग्रहण न करने के कारण तीन बिक्री केन्द्रों के संबंध में ₹27.16 लाख की लाइसेंस फीस वसूली योग्य थी।

आबकारी घोषणा 2015-16 में यह प्रावधान है कि किसी बिक्री केन्द्र के लाइसेंस के नवीकरण करने के मामले में गत वर्ष अर्थात् 2014-15 के न्यूनतम गारंटीड कोटा के तीन प्रतिशत तक के शराब के बिक्री न हुए स्टॉक को आगामी वर्ष 2015-16 हेतु न्यूनतम गारंटीड कोटे के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा। लाइसेंसधारी को वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित की गई 50 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान करने पर इस बिक्री न हुए स्टॉक को लेना होगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में नौ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों जिसमें 1,134 बिक्री केन्द्र शामिल थे, की नमूना-जांच में पाया कि आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर जिसके पास 24 बिक्री केन्द्र थे, ने विगत वर्ष 2014-15 में भारत में निर्मित विदेशी शराब के 22,361.779 प्रूफ लीटर के बिक्री न किए स्टॉक पर लाइसेंस फीस की वसूली नहीं की थी। इन लाइसेंसधारियों द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित की गई लाइसेंस फीस के 50 प्रतिशत की दर से बिक्री न हुए इस स्टॉक पर ₹27.16 लाख की अतिरिक्त लाइसेंस फीस देय थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा ₹27.16 लाख लाइसेंस फीस की मांग नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं हुई।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2018) कि आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने लाइसेंसधारियों को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

3.7 एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल तथा रेक्टीफाइड स्प्रिट की बिक्री पर आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण न करना

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने राज्य के अन्दर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल तथा रेक्टीफाइड स्प्रिट की बिक्री पर आबकारी शुल्क की मांग नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹18.08 लाख के राजस्व की हानि हुई।

पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 (जो हिमाचल प्रदेश में भी लागू होता है) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी, मद्य-निर्माणशाला, गोदाम अथवा भंडारण के किसी अन्य स्थान से कोई मादक पदार्थ तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो अथवा इसके भुगतान हेतु एक बॉड का निष्पादन न किया गया हो। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 की आबकारी घोषणा में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल तथा रेक्टीफाइड शराब पर ₹11.77 प्रति बल्क लीटर आबकारी शुल्कों की दरें निर्धारित हैं।

¹¹ शिमला: ₹4.29 लाख तथा ऊना ₹0.02 लाख

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने नौ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों जिसमें तीन आसवनियां शामिल थीं, की नमूना-जांच की तथा पाया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी, जिसके पास एक आसवनी थी, ने एक लाइसेंसधारी से (आसवनी) बिक्री किए गए एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल तथा रेक्टीफाईड स्पिरिट पर आबकारी शुल्क उद्गृहीत नहीं किया था जिसने कि राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान 1,53,644 बल्क लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल तथा रेक्टीफाईड स्पिरिट बेचा था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि न तो लाइसेंसधारी ने बेची हुई एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल तथा रेक्टीफाईड स्पिरिट पर किसी आबकारी शुल्क का भुगतान किया और न ही विभाग द्वारा कोई मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹18.08 लाख (1,53,644 बल्क लीटर x ₹11.77 प्रति बल्क लीटर) राजस्व की हानि हुई।

विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने सभी निर्धारण प्राधिकारियों को चूककर्त्ताओं से आबकारी शुल्क की वसूली हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश जारी कर दिए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

उजागर किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग ऐसे सभी मामलों की विस्तृत जांच हेतु कार्बवाई शुरू करे तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्बवाई करे।

अध्याय-IV

स्टाम्प शुल्क

अध्याय-IV

स्टाम्प शुल्क

4.1 कर प्रशासन

राज्य सरकार सरकारी स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के माध्यम से प्रलेखों के पंजीकरण पर नियंत्रण करती है। महानिरीक्षक पंजीयन, राजस्व विभाग का अध्यक्ष है जिसे उपायुक्तों (समाहर्ताओं) तथा उप-पंजीकरणों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। महानिरीक्षक पंजीयन को पंजीकरण कार्य के अधीक्षण एवं प्रशासन के संचालन के अधिकार प्राप्त हैं। स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए राज्य में 12 समाहर्ता तथा 117 तहसीलदार/नायब-तहसीलदार हैं जो कि पंजीयकों एवं उप-पंजीयकों के रूप में कार्य करते हैं।

सम्पत्ति का प्रतिफल अथवा बाजारी मूल्य जो भी उच्च हो, को सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण हेतु माना जाता है। स्टाम्प शुल्क छः प्रतिशत की दर से उद्ग्राह्य है। महिलाओं हेतु, स्टाम्प शुल्क चार प्रतिशत की दर से उद्ग्राह्य है।

पंजीकरण फीस सम्पत्ति के प्रतिफल या बाजारी मूल्य जो भी अधिक हो पर दो प्रतिशत की दर से उद्ग्राह्य है।

4.2 लेखापरीक्षा परिणाम


2017-18 के दौरान, राजस्व विभाग की 155 इकाइयों जिनमें ₹101.40 करोड़ की प्राप्तियां हैं, में से 73 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 218 मामलों में ₹15.59 करोड़ की राशि की सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण तथा आवास ऋण पर अनियमित छूट, स्टॉम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण न करना/अल्प उद्ग्रहण करना, पट्टा विलेखों की गैर वसूली/अल्प वसूली करना तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुईं, जो निम्न श्रेणियों में आती हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा परिणाम

क्रमांक	श्रेणी	₹ करोड़ में	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण तथा आवास ऋण पर अनियमित छूट	83	7.03
2.	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण न करना/अल्प उद्ग्रहण करना	32	3.94
3.	पट्टा राशि की गैर वसूली/अल्प वसूली करना	25	2.61
4.	अन्य अनियमितताएं	78	2.01
योग		218	15.59

श्रेणी वार लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

ग्राफ - 4.1



वर्ष 2017-18 के दौरान, विभाग ने 144 मामलों में ₹1.10 करोड़ के राजस्व निहितार्थ सहित अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से 134 मामलों में ₹55.23 लाख की राशि वसूल की गई, इसमें से 132 मामलों में ₹54.61 लाख विगत् वर्षों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे तथा दो मामलों में ₹0.61 लाख वर्ष 2017-18 की लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित थे।

₹8.41 करोड़ की राशि से अंतर्ग्रस्त महत्वपूर्ण मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.3 निर्मित ढाँचे पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प वसूली

उप-पंजीयकों द्वारा आवासीय तथा गैर-आवासीय निर्मित ढाँचों के लिए पूर्व संशोधित बाजार दरों को अपनाने के परिणामस्वरूप ₹3.64 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई।

जिला का उपायुक्त पवका, अर्ध-पवका, कच्चा, स्थान इत्यादि में भवनों के वर्गीकरण के आधार पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की गणना के लिए कानून/नियमों को अन्तिम रूप देते हैं।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा में 73 उप-पंजीयकों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई, जहां 1,19,748 बिक्री एवं पट्टा विलेखों को पंजीकृत किया गया था। 73 उप-पंजीयकों के विलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि 45 उप-पंजीकारों में 91,705 बिक्री/पट्टा विलेख पंजीकृत थे जिनमें से 59,608 विलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई जिनमें से 358 बिक्री विलेखों में निर्मित ढाँचों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उदग्रहण किया गया था। इन विलेखों को नवम्बर 2013 तथा दिसम्बर 2016 के मध्य ₹81.21 करोड़ की प्रतिफल पर राशि पंजीकृत किया गया था, जिसकी गणना निजी वास्तुकारों द्वारा तैयार की गई सम्पत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर की गई थी। मूल्यांकन, निर्मित ढाँचों की दरों पर आधारित नहीं था जैसा कि विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित जिलों के हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग अथवा जिला उपायुक्तों द्वारा नियत/संशोधित किए गए पलिन्थ क्षेत्र दरों के आधार पर निर्मित ढाँचों के मूल्य सहित सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य की संगति ₹131.32 करोड़ की गई थी। तथापि, उप-पंजीयकों ने बिक्री विलेखों का पंजीकरण करते समय प्रतिफल राशि को निर्मित ढाँचे हेतु नियत की गई पलिन्थ क्षेत्र की दरों के साथ सत्यापन नहीं किया जिसके कारण ₹3.64 करोड़ स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई।

विभाग ने उत्तर दिया (मार्च एवं दिसम्बर 2018 के मध्य) कि 16 उप-पंजीयकों¹ ने 114 मामलों में ₹32.32 लाख की राशि को वसूल कर लिया था। शेष उप-पंजीयकों ने बताया कि मामलों की समीक्षा की जाएगी। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

4.4 सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य का अल्प निर्धारण

क्रेताओं द्वारा सड़क से भूमि की दूरी के संदर्भ में दायर किये गए शपथ-पत्र के आधार पर गलत मूल्यांकन किये जाने के कारण ₹1.18 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई।

बिक्री विलेखों के पंजीकरण के प्रयोजन हेतु भूमि का मूल्यांकन, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र, दोनों मामलों में, भूमि के वर्गीकरण के आधार पर तथा हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। जनवरी 2012 में जारी की गई अधिसूचना में ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में भूमि के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु भूमि के वर्गीकरण को तीन श्रेणियों में बांटने का प्रावधान किया गया है अर्थात् (i) सम्पत्ति जिससे संबंधित खसरा नंबर या उसका कोई भाग किसी सड़क से छूता हो (ii) उपर्युक्त (i) में पड़ने वाली सम्पत्ति के अतिरिक्त जिसका संबंधित खसरा नंबर या उसका कोई भाग किसी सड़क से 50 मीटर तक की दूरी पर पड़ता हो, तथा (iii) उपर्युक्त (i) में पड़ने वाली सम्पत्ति के अतिरिक्त सम्बंधित खसरा नंबर अथवा जिसका कोई भाग ऐसी किसी सड़क से 50 मीटर तक की दूरी के भीतर न आता हो। शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाली भूमि के मामले में, ग्रामीण क्षेत्रों में 50 मीटर सीमा के स्थान पर 25 मीटर सीमा लागू होगी। सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा अन्य सड़कों में वर्गीकृत किया गया हैं। क्रेता को राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग अथवा अन्य सड़कों से संबंधित भूमि की दूरी बताने से संबंधित शपथ-पत्र देना अपेक्षित है जोकि स्टाम्प शुल्क संगणित करने के लिए दर आधार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यदि क्रेता का शपथ-पत्र झूठा पाया गया तो उद्ग्रहण स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण फीस के 50 प्रतिशत तक शास्ति उद्गृहीत एवं वसूल की जाएगी।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा में 73 उप-पंजीयकों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई जहाँ 1,19,748 बिक्री एवं पट्टा विलेखों को पंजीकृत किया गया था। 73 उप-पंजीयकों के विलेखों की संवीक्षा लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 13 उप-पंजीयकों² जहाँ 39,729 विलेख पंजीकृत थे उनमें से 25,423 विलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई, 56 बिक्री विलेखों में सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य का अल्प निर्धारण किया गया था। इन बिक्री विलेखों को जून 2014 एवं दिसम्बर 2016 के मध्य ₹27.40 करोड़ की प्रतिफल राशि के लिए पंजीकृत किया गया था। क्रेताओं द्वारा पंजीकृत दस्तावेजों के प्रति विभिन्न श्रेणियों की सड़कों से सम्पत्तियों की दूरी के संदर्भ में दायर किये गए शपथ-पत्र के आधार पर ₹1.48 करोड़ का स्टाम्प शुल्क तथा ₹0.55 करोड़ की पंजीकरण फीस को उद्गृहीत किया था। तथापि, भूमि का वर्गीकरण क्रेता द्वारा दायर किये गए शपथ-पत्र में दर्शाए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग अथवा अन्य सड़कों से भूमि/सम्पत्ति की दूरी के आधार पर किया गया था तथा ₹27.40 करोड़ का मूल्यांकन किया गया। लेखापरीक्षा ने शपथ-पत्रों को कानूनगो के पास (राजस्व प्राधिकारी) उपलब्ध नक्शों (लट्ठा) के साथ प्रति-सत्यापन किया तथा ₹43.40 करोड़ के वास्तविक मूल्यांकन की गणना की। अतः ₹2.34 करोड़ स्टाम्प शुल्क तथा ₹0.87 करोड़ की पंजीकरण फीस उद्ग्रहण हेतु अपेक्षित थी, को नहीं लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप

¹ उप-पंजीयक बंगाणा: 12 मामले: ₹2.64 लाख, भुंतर: 13 मामले: ₹4.83 लाख, बिझड़ी: 19 मामले: ₹1.51 लाख, डलहौजी: चार मामले: ₹0.78 लाख, देहरा: तीन मामले: ₹1.07 लाख, गोहर: एक मामला: ₹0.08 लाख, हमीरपुर: छः मामले: ₹3.22 लाख, जोगिन्दर नगर: आठ मामले: ₹2.54 लाख, खुण्डियां: नौ मामले: ₹1.23 लाख, कुल्लू: 11 मामले: ₹5.53 लाख, लड़-भड़ोल: दो मामले: ₹0.63 लाख, मनाली: नौ मामले: ₹4.53 लाख, मण्डी: आठ मामले: ₹2.21 लाख, नादौन: तीन मामले: ₹0.20 लाख, रोहड़ू: तीन मामले: ₹0.56 लाख तथा थुनाग: तीन मामले: ₹0.76 लाख

² उप-पंजीयक अम्ब, बद्दी, बल्ह, भुंतर, धर्मशाला, फतेहपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मनाली, नादौन, पालमपुर, शिमला (ग्रामीण) तथा ठियोग

₹1.18 करोड़³ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क ₹0.86 करोड़ + पंजीकरण फीस ₹0.32 करोड़) कम उदगृहीत हुए। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दर पर शास्ति भी उदग्राह्य थी।

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2018) कि उप-पंजीयकों को शीघ्र उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

सरकार सड़क से भूमि की वास्तविक दूरी के सत्यापन हेतु तंत्र स्थापित करने पर विचार करे।

4.5 पट्टा किराया में संशोधन न करना

विभाग ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार पट्टा किराया को संशोधित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹3.59 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 के अनुसार, सरकारी भूमि व्यक्तियों/कम्पनियों को विविध उद्देश्य हेतु पट्टे पर दी जा सकती है। पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार, भूमि की प्रचलित बाजारी दरों के आधार पर प्रत्येक 10 सालों के बाद पट्टे का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। पुनः हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, (संशोधित) 1993 में प्रावधान है कि पट्टा राशि को पट्टा अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि के बाद संशोधित किया जाना आवश्यक है तथा इसकी संगणना पट्टे पर दी गई भूमि के नवीनतम बाजारी मूल्य के उच्चतम पांच प्रतिशत दर पर अथवा पांच वर्षों की औसत बाजारी मूल्य से दोगुना, जो भी कम हो, पर की जा सकती है।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा में 73 उप-पंजीयकों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई, जहां 1,19,748 बिक्री एवं पट्टा विलेखों को पंजीकृत किया गया था। 73 उप-पंजीयकों के विलेखों की संक्षिका में यह पाया गया कि एक उप-पंजीयक जहां 107 बिक्री/पट्टा विलेख पंजीकृत थे उनमें से 92 विलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की जिनका पट्टा किराया संशोधित नहीं किया था। उप-पंजीयक उदयपुर (लाहौल एवं स्पिति) में 94.20 बीघा सरकारी भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के पक्ष में 1978 में ₹1,885 प्रति वर्ष की दर से पट्टे पर एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित हेतु 99 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की गई थी। पट्टा इस शर्त पर स्वीकृत किया गया था कि पट्टा किराया प्रत्येक 10 साल बाद भूमि के प्रचलित बाजारी मूल्य के पांच प्रतिशत दर पर संशोधित किया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पट्टा किराया अनुबंध की शर्त के अनुसार वर्ष 1998, 2008 तथा 2018 में संशोधित किया जाना अपेक्षित था। तथापि, विभाग ने 10 साल की निर्धारित अवधि के बाद पट्टा किराया को संशोधित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तथा पुरानी पट्टा दरों पर ही भुगतान स्वीकार किया। 2008 के पश्चात कोई भी पट्टा किराया का भुगतान नहीं किया गया था। करार के अनुसार मार्च 2018 तक पट्टा किराया की गणना ₹3.59 करोड़ बनती है जिसे उदगृहीत किया जाना अपेक्षित था जबकि 2008 तक पट्टा किराया केवल ₹0.38 लाख का ही भुगतान किया था। अतः पट्टा किराया का प्रत्येक 10 वर्षों के उपरांत नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹3.59 करोड़ का राजस्व छूट गया।

उप-पंजीयक ने बताया (अगस्त 2018) कि पट्टा राशि जमा करवाने हेतु विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर दिए गए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

उजागर (इंगित) किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग ऐसे सभी मामलों की समग्र जांच करे और आवश्यक सुधारात्मक कार्यवार्ता करे।

³ उप-पंजीयक अम्बः चार मामले: ₹12.94 लाख, बद्दी: तीन मामले: 25.01 लाख, बल्ह: सात मामले: ₹16.12 लाख, भूतर: तीन मामले: ₹1.41 लाख, धर्मशाला: चार मामले: ₹12.17 लाख, फतेहपुर: आठ मामले: ₹4.76 लाख, हमीरपुर: दो मामले ₹1.70 लाख, कुल्लू: एक मामला ₹0.80 लाख, मनाली: तीन मामले ₹2.36 लाख, नादौन: दो मामले ₹2.41 लाख, पालमपुर: पांच मामले ₹6.35 लाख, शिमला (ग्रामीण): सात मामले ₹23.65 लाख तथा ठियोग: सात मामले ₹8.18 लाख

अध्याय-V

वाहन, यात्री एवं माल पर कर

अध्याय -V

वाहन, यात्री एवं माल पर कर

5.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (परिवहन) सरकार के स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है। विभाग में एक राज्य परिवहन प्राधिकारी, एक अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट (विशेष पथ कर), 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा 63 पंजीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी हैं जो केन्द्र एवं राज्य मोटर वाहन अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग की प्राप्तियों को विनियमित करते हैं। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा माल व यात्री कर की प्राप्तियों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2017-18 के दौरान 91 लेखापरीक्षा इकाइयों में से 48 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई जिनमें सांकेतिक कर¹, विशेष पथ कर², पंजीकरण फीस, परमिट फीस, चालक लाईसेंस फीस, परिचालक लाईसेंस फीस, राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अन्तर्गत शास्त्रियों एवं समेकित फीस से सम्बन्धित ₹190.61 करोड़ की प्राप्तियां हैं, जिनमें 242 मामलों में ₹47.36 करोड़ से अंतर्गत कर का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जिनको नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 5.1: लेखापरीक्षा परिणाम

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	₹ करोड़ में
			राशि
1.	गैर वसूली /अल्प वसूली		
	● सांकेतिक कर व समेकित फीस	11	0.53
	● विशेष पथ कर	18	22.62
	● यात्री व माल कर	11	1.44
2.	अपर्बंचन		
	● सांकेतिक कर	129	7.94
	● यात्री व माल कर	17	1.29
3.	अन्य अनियमितताएं		
	● वाहन कर	41	13.05
	● यात्री व माल कर	15	0.49
योग		242	47.36


श्रेणी वार लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

¹ सभी व्यावसायिक वाहनों पर कर वार्षिक रूप से भुगतान योग्य है।

² 25 से अधिक बैठने की क्षमता वाली सभी बसों पर मासिक कर देय है।

ग्राफ - 5.1

लेखापरीक्षा परिणाम



विभाग ने वर्ष 2017-18 के दौरान, विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 79 मामलों में ₹7.86 करोड़ का अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिसमें से 79 मामलों में ₹82.78 लाख की राशि वसूल की गई।

₹34.85 करोड़ की राशि से अन्तर्ग्रस्त महत्वपूर्ण मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

5.3 विशेष पथ कर की गैर वसूली/अल्प वसूली

हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी स्टेज कैरिजों से ₹23.38 करोड़ राशि के विशेष पथ कर को वसूल नहीं किया गया था।

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य में उपयोग किए अथवा उपयोग हेतु रखे गए सभी परिवहन वाहनों पर मासिक विशेष पथ कर लगाएगी। यह प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अग्रिम रूप से निर्धारित दरों³ पर देय होगा। पुनः अधिनियम में विशेष पथ कर से छूट का प्रावधान है यदि पंजीकृत मालिक कराधान प्राधिकारी को लिखित में सूचना देता है कि एक निश्चित अवधि के लिए उसका मोटर वाहन सार्वजनिक स्थान में प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा उस मोटर वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र रूट परमिट सहित जमा करवाता है। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियम, 1974 में नियत है कि यदि कोई वाहन मालिक देय विशेष पथ कर का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी वाहन मालिक को देय कर की 25 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ति का भुगतान करने का निर्देश देगा।

I. हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा विशेष पथ कर का भुगतान न करना

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 48 इकाइयों के विशेष पथ कर रजिस्टरों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई जिनमें कुल 3,319 बसें सम्मिलित थीं तथा पाया कि 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में 2,370 बसों में से 1,129 बसों ने अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि हेतु ₹21.76 करोड़⁴ के विशेष पथ कर का भुगतान

³ विशेष पथ कर की दरें मार्गों जिन पर वाहन चलाए जा रहे हैं जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य उच्च मार्ग, ग्रामीण सड़कें एवं 30 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली स्थानीय बसों/मिनी बसों के वर्गीकरण पर आधारित होगी। उपरोक्त मार्गों हेतु विशेष पथ कर की दरें क्रमशः ₹6.04, ₹5.03, तथा ₹4.03, प्रति सीट प्रति किलोमीटर हैं।

⁴ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर: ₹1.05 करोड़, चम्बा: ₹1.59 करोड़, धर्मशाला: ₹5.99 करोड़, हमीरपुर: ₹1.06 करोड़, कुल्लू: ₹2.25 करोड़, मण्डी: ₹2.57 करोड़, नाहन: ₹1.04 करोड़, शिमला: ₹4.35 करोड़, सोलन: ₹1.11 करोड़ तथा ऊना: ₹0.75 करोड़

नहीं किया। विशेष पथ कर न तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ने जमा करवाया था और न ही क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने इसकी मांग की थी। वर्ष 2011-12 से 2016-17 में लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार वही मामले उठाने के बावजूद भी समय पर वसूली को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो कि देय कर की राशि की वसूली हेतु अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में निष्क्रियता को दर्शाती है। वास्तव में यह चूक गम्भीर मानी जाती है क्योंकि करों के भुगतान की दोषी सरकारी संस्था के अतिरिक्त कोई और नहीं है तथा पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था तथा विभाग ने देय राशि की वसूली नहीं की थी।

II. निजी स्टेज कैरिज द्वारा विशेष पथ कर का भुगतान न करना

इसी प्रकार, आठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों⁵ के विशेष पथ कर रजिस्टरों की छानबीन से पता चला कि 2016-17 की अवधि से सम्बंधित 120 मामलों में ₹1.05 करोड़ की राशि का विशेष पथ कर निजी स्टेज कैरिजों के मालिकों से वसूली योग्य था। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह प्रतीत होता कि कराधान प्राधिकारियों द्वारा विशेष पथ कर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹1.05 करोड़ के विशेष पथ कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दर पर ₹26.21 लाख की न्यूनतम शास्ति भी वसूली योग्य थी।

III. विशेष पथ कर के निर्धारणार्थ रूट परमिटों की गणना न करना

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 864 जारी रूट परमिटों में से, 28 रूट परमिटों को मासिक रिटर्नों में नहीं लिया गया था। लेखापरीक्षा ने पांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों⁶ द्वारा जारी किए गए रूट परमिटों को हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो द्वारा सम्बद्ध क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को प्रस्तुत की गई 2016-17 की अवधि हेतु विशेष पथ कर की मासिक विवरणियों के साथ प्रति-सत्यापित किया। ये रूट राज्य में 79,318 किलोमीटर की दूरी को आवृत्त करते हैं जिन पर सड़कों की श्रेणी तथा बैठने क्षमता के आधार पर ₹44.66 लाख विशेष पथ कर की गणना की गई। सम्बद्ध क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने इस चूक का पता नहीं किया एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम के डिपों द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्नों को स्वीकार किया। इस प्रकार ₹44.66 लाख विशेष पथ कर की राशि उस सीमा तक निर्धारण से छूट गई।

(ii) विशेष पथ कर का अल्प निर्धारण

लेखापरीक्षा ने 2016-17 की अवधि के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों में विशेष पथ कर की गणना को दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों⁷ द्वारा जारी किए गए रूट परमिटों के साथ प्रति-सत्यापित किया। यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 की अवधि में 11 रूट परमिटों में ₹28.97 लाख देय विशेष पथ कर की गणना बैठने की क्षमता, उपयोग की गई सड़क की श्रेणी तथा तय की गई दूरी के आधार पर की गई थी जबकि देय विशेष पथ कर ₹16.46 लाख दर्शाया गया था। यह इस तथ्य का परिचायक था कि हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्नों की जांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी रूट परमिटों के साथ नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹12.51 लाख का अवनिर्धारण हुआ।

⁵ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर: ₹4.25 लाख, कांगड़ा: ₹12.85 लाख, कुल्लू: ₹2.85 लाख, मण्डी: ₹31.47 लाख, नाहन: ₹1.11 लाख, शिमला: ₹21.03 लाख, सोलन: ₹13.90 लाख तथा ऊना: ₹17.37 लाख

⁶ कुल्लू: ₹15.02, नाहन: ₹4.29 लाख, शिमला: ₹14.21 लाख, सोलन: ₹7.92 लाख तथा ऊना: ₹3.22 लाख

⁷ सोलन: ₹9.70 लाख तथा नाहन: ₹2.81 लाख

उपर्युक्त मामलों में से किसी में भी अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह प्रतीत होता हो कि विशेष पथ कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों/रूट परमिटों को सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास सुपुर्द किया था जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को ₹23.38 करोड़ की सम्भावित राजस्व हानि हुई।

विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2018) कि सभी कराधान प्राधिकारियों को तुरन्त उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

सरकार विशेष पथ कर के उचित निर्धारण तथा वसूली के लिए सभी रूट परमिटों को कार्यक्षेत्र में लाने हेतु 'वाहन' सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के बेड़ों पर विशेष पथ कर लगाने पर विचार कर सकती है जैसा कि निजी स्टेज कैरिज के लिए किया गया है।

5.4 सांकेतिक कर की गैर-वसूली

विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए 16,588 वाहनों के संदर्भ में ₹8.50 करोड़ के सांकेतिक कर की न तो मांग की गई और न ही व्यावसायिक वाहन मालिकों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित कर⁸ की अलग-अलग दरों के अनुसार सांकेतिक कर (टोकन टैक्स) वाहन मालिकों द्वारा, ट्रैमासिक अथवा वार्षिक अग्रिम रूप में देय है। यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अन्दर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वाहन मालिक देय कर की 25 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 48 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई जिनमें कुल 2,13,977 व्यावसायिक वाहन शामिल थे। 48 इकाइयों की लेखापरीक्षा छानबीन से उद्घाटित हुआ कि 23 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों⁹, 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों¹⁰ तथा राज्य परिवहन प्राधिकारी, शिमला में 2015-16 तथा 2016-17 वर्ष के लिए 16,588 वाहनों के सम्बन्ध में ₹8.50 करोड़ की राशि के सांकेतिक कर को इन वाहन मालिकों द्वारा जमा नहीं किया गया था। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रतीत होता हो कि कर की वसूली हेतु कराधान प्राधिकारियों द्वारा दोषियों को नोटिस जारी किए थे अथवा कोई कर्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त, कर भुगतान न करने हेतु निर्धारित दर पर शास्ति उद्ग्राहय थी। इसके परिणामस्वरूप ₹8.50 करोड़ के सांकेतिक कर की गैर वसूली हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

⁸ हल्के माल वाहन (माल कैरिज): ₹1500 प्रति वर्ष, मध्यम माल वाहन: ₹2000 प्रति वर्ष, भारी माल वाहन: ₹2500 प्रति वर्ष (स्टेज कैरिज): ₹500 प्रति सीट प्रति वर्ष तथा (संविदा कैरिज): मैक्सी कैब: ₹750 प्रति सीट प्रति वर्ष, मोटर कैब: ₹350 प्रति सीट प्रति वर्ष एवं ऑटो रिक्षा: ₹200 प्रति सीट प्रति वर्ष, द्वारा देय कर है।

⁹ पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी बड़सर, बंजार, चम्बा, डलहौजी, धर्मशाला, गोहर, हमीरपुर, जयसिंहपुर, ज्वाली, कण्डाघाट, केलांग, कुल्लू, नाहन, नालागढ़, नूरपुर, पांवटा साहिब, रामपुर, संगड़ाह, शिमला (शहरी), सोलन, सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना

¹⁰ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

तालिका 5.2: वाहनों का विवरण जिनसे सांकेतिक कर की वसूली नहीं की गई

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी	पंजीयन एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/ राज्य परिवहन प्राधिकरण के नाम	अवधि	वाहनों की कुल संख्या	वाहन की संख्या जिन्होंने कर का भुगतान नहीं किया	वसूली योग्य राशि (₹ करोड़ में)	
1.	(यात्री वाहन) बसें/ मिनी बसें/मैट्रेसी कैब/ टैक्सी	पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी- बंजार, बड़सर, चम्बा, डलहौजी, धर्मशाला, हमीरपुर, ज्वाली, कण्डाघाट, केलांग, कुल्लू, नाहन, नालागढ़, नूरपुर, पांचटा साहिब, रामपुर, शिमला, सोलन, सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी- बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला, सोलन तथा ऊना राज्य परिवहन प्राधिकरण - शिमला	2015-16 से 2016-17	6,167	1,549	2.91	
				13,690	3,857	1.87	
				19,857	5,406	4.78	
2.	(माल वाहन) भारी/मध्यम/लुक्के माल वाहन/ ट्रैक्टर	पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी - बंजार, बड़सर, चम्बा, डलहौजी, धर्मशाला, गोहर, हमीरपुर, जयसिंहपुर, ज्वाली, कण्डाघाट, केलांग, कुल्लू, नाहन, नालागढ़, नूरपुर, पांचटा साहिब, रामपुर, सांड़ाह, शिमला, सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी - बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला तथा सोलन राज्य परिवहन प्राधिकरण - शिमला		17,533	7,249	2.32	
				5,537	3,328	0.62	
				23,070	10,577	2.94	
3.	(निर्माण वाहन) क्रैन, रिकवरी वैन आदि	पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी - बंजार, ज्वाली, कुल्लू, नालागढ़, नूरपुर, पांचटा साहिब, रामपुर, शिमला (शहरी), सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी - बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, शिमला तथा ऊना राज्य परिवहन प्राधिकरण - शिमला		932	232	0.43	
				1,301	373	0.35	
				2,233	605	0.78	
		योग (क) + (ख) + (ग)		45,160	16,588	8.50	

विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2018) कि सात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, 18 पंजीकरण एवं लाइसेंस अधिकारियों तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण, शिमला ने ₹36.19 लाख वसूल कर लिए थे; तथा शेष कराधान प्राधिकारियों ने बताया कि चूककर्ताओं को कर जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किए जाएंगे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

5.5 यात्री एवं माल कर की गैर-वसूली

2015-16 से 2016-17 की अवधि हेतु ₹1.74 करोड़ की राशि के यात्री एवं माल कर का न तो 2,320 व्यावसायिक वाहनों के मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई थी।

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत वाहन मालिकों से सभी किराये एवं भाड़े पर निर्धारित दर पर यात्री एवं माल कर का भुगतान त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से किया जाना अपेक्षित है तथा वाहन

मालिक, जैसे ही वाहन उपयोग में नहीं लाया जाता उस अवधि हेतु कर के भुगतान में छूट के लिए सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारियों को सूचित करेंगे ।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा में 12 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई जिनमें कुल 10,112 पंजीकृत व्यावसायिक वाहन शामिल थे । लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 इकाइयों में से सात इकाइयों में 2015-16 तथा 2016-17 की अवधि में आबकारी एवं कराधान विभाग में पहले से ही पंजीकृत 2,320¹¹ व्यावसायिक वाहनों के वाहन मालिकों द्वारा ₹1.74 करोड़ की राशि के यात्री एवं माल कर का भुगतान नहीं किया था । व्यावसायिक वाहन मालिकों द्वारा कर अवधि के दौरान वाहनों के गैर उपयोग हेतु कर से छूट की मांग भी नहीं की गई थी । लेखापरीक्षा छानबीन से यह भी पता चला कि निर्धारण प्राधिकारियों ने न तो मालिकों को मांग नोटिस जारी किए थे और न ही इन मामलों को भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली हेतु समाहर्ता को भेजा गया था । इसके परिणामस्वरूप ₹1.74 करोड़ के यात्री एवं माल कर की वसूली नहीं हुई, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 5.3: वाहन जिनसे यात्री एवं माल कर की वसूली नहीं की गई का विवरण

क्रमांक	वाहन की श्रेणी	यात्री एवं माल कर का भुगतान न करने वाले वाहनों की संख्या	वसूली योग्य राशि				₹ लाख में न्यूनतम शास्ति @ 500/- प्रति वाहन
			यात्री कर	माल कर	कुल वसूली योग्य राशि		
1.	यात्री वाहन (मैकरी कैब/टैक्सी)	565	47.10	-	47.10	2.83	
2.	यात्री वाहन (शैक्षणिक संस्थान बसें)	59	13.20	-	13.20	0.30	
3.	माल वाहन (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन /हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	1,696	-	113.92	113.92	8.48	
जोड़		2,320	60.30	113.92	174.22	11.61	
अथवा ₹1.74 करोड़							

इसके अतिरिक्त, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला एवं सोलन के यात्री एवं माल कर के अभिलेखों के लेखापरीक्षा विश्लेषण में देखा गया कि यद्यपि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने कोषागार से चालान की प्रतियां प्राप्त कर ली थी, इनका इन्द्राज व्यावसायिक वाहन मालिकों के सम्बन्धित यात्री एवं माल कर खातों में नहीं किया गया था; यात्री एवं माल कर अभिलेखों को केवल व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय अद्यतन किया जा रहा था ।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 316 वाहन मालिकों¹², से ₹22.58 लाख वसूल कर लिए थे तथा बचे हुए चूककर्त्ताओं को शेष राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी किए जा रहे थे । सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019) ।

¹¹ चम्बा: 163 वाहन: ₹12.14 लाख, हमीरपुर: 1,097 वाहन: ₹67.38 लाख, किन्नौर: 120 वाहन: ₹11.30 लाख, कुल्लू: 428 वाहन: ₹43.78 लाख, मण्डी: 222 वाहन: ₹20.96 लाख, नूरपुर: 124 वाहन: ₹5.76 लाख तथा ऊना: 166 वाहन: ₹12.90 लाख

¹² यात्री कर: 106 वाहन, ₹9.20 लाख, चार शैक्षणिक संस्थान बसें, ₹2.60 लाख, माल कर: 206 वाहन, ₹10.78 लाख

5.6 आबकारी एवं कराधान विभाग के पास व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण न करवाना

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के मध्य सम्बन्ध के अभाव के कारण व्यावसायिक वाहनों के मालिकों ने अपने वाहनों को सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान विभाग में पंजीकृत नहीं करवाया था जिसके परिणामस्वरूप ₹1.23 करोड़ राशि के यात्री एवं माल कर की वसूली नहीं की गई।

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत स्टेज/संविदा कैरिज तथा माल वाहन मालिकों को अपने वाहनों का पंजीकरण सम्बद्ध आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के पास करवाया जाना एवं निर्धारित दरों पर यात्री एवं माल कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। वाहनों का पंजीकरण क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों के द्वारा संभाला जाता है तथा यात्री एवं माल कर का संग्रहण विभिन्न सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा संभाला जाता है। कोई भी वाहन मालिक राज्य में तब तक अपना वाहन नहीं चला सकेगा जब तक उसके पास आबकारी विभाग द्वारा जारी पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र नहीं है। यदि वाहन मालिक अपने वाहन का पंजीकरण करने के लिए आवेदन करने में अथवा कर या अधिभार का भुगतान करने में विफल रहता है तो शास्ति निर्धारित कर राशि की पांच गुणा से अधिक न हो तथा न्यूनतम ₹500, भी उद्ग्राहय होगी।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 48 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई जिनमें कुल 2,13,977 व्यावसायिक वाहन शामिल थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015-16 से 2016-17 के दौरान पांच पंजीकरण एवं लाइसेंस अधिकारियों¹³ तथा दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों¹⁴ के पास 8,681 व्यावसायिक वाहनों में से 2,947 पंजीकृत वाहनों को सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा आबकारी कराधान अधिकारी, किनौर के पास पंजीकृत नहीं किया था जैसा कि हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम में अपेक्षित था। लेखापरीक्षा छानबीन से यह भी पता चला कि आबकारी विभाग के पास सभी व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु सहायक आबकारी कराधान आयुक्तों/आबकारी कराधान अधिकारियों तथा सम्बन्धित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के मध्य अथवा इसके विपरीत क्रम से कोई समर्जस्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, इन वाहन मालिकों से ₹1.23 करोड़ के यात्री एवं माल कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, ₹14.74 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राहय योग्य थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 5.4: आबकारी एवं कराधान विभाग में पंजीकृत न किए गए वाहनों का विवरण

क्रमांक	वाहन की श्रेणी	पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत वाहनों की संख्या	आबकारी एवं कराधान विभाग में पंजीकृत न किए गए वाहनों की संख्या	वसूली योग्य राशि				₹ लाख में न्यूनतम शास्ति @ 500/- प्रति वाहन
				यात्री कर	माल कर	वसूली योग्य कुल राशि		
1.	यात्री वाहन (मैक्सी कैब/टैक्सी)	2,570	684	25.34	--	25.34		3.42
2.	यात्री वाहन (शैक्षणिक संस्थान बसें)	522	162	16.40	--	16.40		0.81
3.	माल वाहन (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	5,589	2,101	--	81.22	81.22		10.51
जोड़		8,681	2,947	₹41.74	₹81.22	₹122.96		₹14.74
अथवा ₹1.23 करोड़								

¹³ पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी हमीरपुर, किनौर, कुल्लू, नूरपुर तथा ऊना

¹⁴ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबा तथा मण्डी

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि छ: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 442 व्यावसायिक वाहन मालिकों से ₹23.03 लाख (यात्री कर ₹6.23 लाख + माल कर ₹11.31 लाख + यात्री कर (शैक्षणिक संस्थान बसें: ₹5.49 लाख) वसूल कर लिए थे तथा शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

सरकार देय यात्री एवं माल कर की वसूली हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए विभाग को निर्देश जारी करे।

उजागर किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना जांच पर आधारित है। विभाग ऐसे सभी मामलों की विस्तृत जांच हेतु कार्रवाई शुरू करे तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे।

अध्याय-*VI*
वन प्राप्तियां

अध्याय-VI

वन प्राप्तियाँ

6.1 कर प्रशासन

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग का अध्यक्ष है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल को 37 क्षेत्रीय मण्डलों के आठ वन अरण्यपाल सहयोग प्रदान करते हैं। प्रत्येक अरण्यपाल वन मण्डल अधिकारियों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन किये जा रहे वन दोहन कार्यकलापों एवं पुनरुत्पत्ति का नियंत्रण करता है। प्रत्येक वन मण्डल अधिकारी अपने क्षेत्रीय मण्डल में वन सम्बन्धी सौंपे गये कार्यकलापों का प्रभारी होता है।

6.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2017-18 के दौरान वन प्राप्तियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा योग्य 38 इकाइयों जिनमें ₹3.09 करोड़ की प्राप्तियाँ हैं में से, 11 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि ₹78.05 करोड़ से अंतर्गत 42 मामलों में रॉयल्टी की गैर-वसूली/अल्प वसूली, व्याज/विस्तार फीस का उद्ग्रहण न करना, जब्त की गई इमारती लकड़ी के कारण राजस्व का अवरोधन/हानि तथा अन्य अनियमितताएं ध्यान में आई जो कि नीचे दर्शाई गई हैं:


तालिका 6.1: लेखापरीक्षा परिणाम

₹ करोड़ में			
क्रम संख्या	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	रॉयल्टी की गैर-वसूली/अल्प वसूली	14	27.49
2.	व्याज/विस्तार फीस का उद्ग्रहण न करना	10	0.85
3.	जब्त की गई इमारती लकड़ी के कारण राजस्व का अवरोधन/हानि	8	1.20
4.	अन्य अनियमितताएं	10	48.51
योग		42	78.05

श्रेणी-वार लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

ग्राफ - 6.1

लेखापरीक्षा परिणाम



2017-18 के दौरान विभाग ने 14 मामलों में ₹1.82 करोड़ के अवनिधारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जो कि वसूल कर ली गई थी तथा विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थी।

₹2.43 करोड़ के महत्वपूर्ण मामलों को निम्नलिखित परिच्छेदों में विवेचित किया है।

6.3 जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटान न करना

2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 225.916 घन मीटर जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.18 करोड़¹ के राजस्व का अवरोधन हुआ तथा इसकी निगरानी पर व्यय हुआ साथ ही इमारती लकड़ी का क्षय हुआ।

भारतीय वन अधिनियम में अधिग्रहण योग्य सम्पत्ति को जब्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। अप्रैल 1951 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार जब्त की गई इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पाद को या तो सुपुरदार² की सुपुरदग्धी (सुरक्षित अभिरक्षा) में रखा जाना चाहिए अथवा फार्म-17 में लेखाबद्ध करने के पश्चात सम्बन्धित क्षेत्रीय स्टॉफ के पास रखा जाना चाहिए। लेखाबद्ध की गई इमारती लकड़ी/उत्पाद का निपटारा या तो अपराध प्रशमन होने अथवा न्यायालय के निर्णय के उपरान्त किया जाना अपेक्षित है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने सभी अरण्यपालों को निर्देश दिए (अप्रैल 1999) कि जहां पर वन उत्पादों की सुपुरदग्धी अत्यधिक लम्बी अवधि हेतु ली गई है वहां सम्बन्धित जांच अधिकारी को ऐसे उत्पादों की निगरानी पर व्यय को कम करने तथा क्षय/चोरी से बचाव के लिए 15 दिनों के भीतर जब्त सम्पत्ति की नीलामी करवाने हेतु सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त करने को कहा जाना चाहिए।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 11 वन मण्डल अधिकारियों में अन्तर्गत 48 मामलों के इमारती लकड़ी के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। इनमें से, सात वन मण्डलों के 35 मामलों में इमारती लकड़ी को जब्त किया गया था। लेखापरीक्षा ने 30 मामलों की नमूना जांच की तथा पाया कि वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 22 मामलों में ₹1.18 करोड़² मूल्य की 225.916 घन मीटर इमारती लकड़ी को विभाग ने जब्त किया था। जब्त की गई इमारती लकड़ी का विभाग के विभिन्न डिपुओं में बिना किसी अभिलेख के रखा होना यह दर्शाता है, कि क्या सम्बन्धित वन अधिकारियों/जांच अधिकारियों ने जब्त की गई इमारती लकड़ी के निपटान हेतु कोई ठोस कदम उठाए थे अथवा न्यायालय के आदेशों को प्राप्त किया गया था। अतः जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक न केवल राजस्व का अवरोधन हुआ बल्कि इसकी निगरानी करने पर भी व्यय हुआ तथा इमारती लकड़ी के क्षय (खराब होने) की सम्भावना भी बनी रही।

विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2018) कि हमीरपुर में वन मण्डल अधिकारी द्वारा इमारती लकड़ी के निपटानार्थ कार्रवाई की जा रही थी; अन्य वन मण्डल अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई इमारती लकड़ी की नीलामी हेतु प्रयास किए जा रहे थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

¹ लम्बरदार अथवा उस जगह का कोई विश्वसनीय व्यक्ति

² बंजार: आयतन: 24.190 घनमीटर: ₹13.06 लाख, चंबा: आयतन: 0.944 घनमीटर: ₹0.53 लाख, चौपाल: आयतन: 84.044 घनमीटर: ₹39.37 लाख, चुराह रिथत सलूणी: आयतन: 72.453 घनमीटर: ₹39.76 लाख, देहरा: आयतन: 12.891 घनमीटर: ₹8.61 लाख, कुल्लू (वन्य जीवन): आयतन: 7.523 घनमीटर: ₹4.21 लाख तथा पार्वती स्थित शमशी: आयतन: 23.871 घनमीटर: ₹12.67 लाख

6.4 बरोजा निःस्त्रवण हेतु वृक्षों को कम सौंपना

विभाग ने निःस्त्रवण मौसमों 2014 एवं 2015 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को 1,22,618 वृक्षों को बरोजा निःस्त्रवण हेतु नहीं सौंपा जिसके परिणामस्वरूप ₹82.90 लाख के राजस्व की हानि हुई।

वन मण्डलों की कार्य-योजना (राजगढ़ एवं रोहडू वन मण्डलों को शामिल करके) में प्रावधान है कि केवल श्रेणी-III³ एवं उससे बड़े वृक्ष ही बरोजा निःस्त्रवण हेतु अनुमत हैं तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को बरोजा निःस्त्रवण हेतु सौंपा जाना अपेक्षित है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल के सितम्बर 2001 के अनुदेशों द्वारा पहली बार बरोजा निःस्त्रवण हेतु वृक्षों के सम्बन्ध में न्यूनतम व्यास बरोजा निःस्त्रवण हेतु 35 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया तथा उन वृक्षों के लिए जिनका निःस्त्रवण पहले भी किया गया है, के लिए निःस्त्रवण व्यास कंधे की ऊँचाई तथा इससे ऊपर के वृक्षों के लिए 30 सेंटीमीटर रहेगा। मूल्य निर्धारण समिति के फरवरी 2016 के निर्णयानुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड क्रमशः निःस्त्रवण मौसम 2014 एवं 2015 के लिए ₹75.30 तथा ₹65.00 प्रति ब्लोज भुगतान करेगा।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 11 वन मण्डल अधिकारियों में अन्तर्ग्रस्त 59 मामलों में बरोजा ब्लोजों हेतु सौंपी गई सूची की नमूना जांच की तथा पाया गया कि दो वन मण्डलों के 48 मामले हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को बरोजा निःस्त्रवण हेतु वृक्ष सौंपे गए थे। 48 मामलों में से नमूना जांचित 31 मामलों की लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि राजगढ़ मण्डल में निःस्त्रवण मौसम 2014 के लिए 77,839 चील वृक्ष तथा रोहडू मण्डल में निःस्त्रवण मौसम 2014 एवं 2015 के लिए 62,096 चील वृक्ष गणना हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को सौंपें जाने के लिए उपलब्ध थे। तथापि, राजगढ़ मण्डल ने केवल 17,317 वृक्षों को सौंपा तथा 2014 एवं 2015 के निःस्त्रवण मौसम के दौरान रोहडू मण्डल ने कोई भी वृक्ष बरोजा निःस्त्रवणार्थ नहीं सौंपा। बरोजा ब्लोजों⁴ (जो कि मण्डलों के कार्ययोजना के अनुसार बरोजा निःस्त्रवणार्थ अनुमत थे) हेतु 1,22,618 वृक्षों को न सौंपने से इन वृक्षों का निःस्त्रवण नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप दो वर्षों तक ₹82.90 लाख⁵ के राजस्व की हानि हुई।

मामला विभाग तथा सरकार को अप्रैल 2017 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

6.5 विस्तार फीस का अनुदग्रहण

विभाग ने 62 इमारती लकड़ी के लाट्स में विस्तार फीस का उद्ग्रहण नहीं किया जहां पट्टा अवधि के दौरान इमारती लकड़ी/वृक्षों का दोहन पूर्ण नहीं हुआ था तथा दोहनार्थ समय का विस्तार भी प्रदान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹29.86 लाख के राजस्व की अल्प बसूली हुई।

इमारती लकड़ी/वृक्षों के दोहन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के साथ मानक पट्टा विलेख अनुबन्ध के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को पट्टा अवधि की समाप्ति पर ऐसे वृक्षों जो कि पट्टे पर दिए वन में खड़े बचे थे, गिरे हुए वृक्षों तथा पट्टे पर दिए गए वन से हटाए नहीं गए,

³ कंधे की ऊँचाई तथा इससे ऊपर 30 घनमीटर व्यास वाले वृक्ष

⁴ राजगढ़: 60,522 ब्लोजों: ₹39.34 लाख तथा रोहडू: 62,096 ब्लोजों: ₹43.56 लाख

⁵ 91,570 X ₹65 प्रति ब्लोज + 31,048 X ₹75.30 प्रति ब्लोज

बिखरी हुई/देर लगी हुई इमारती लकड़ी पर कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मूल्य निर्धारण समिति के सितम्बर 2007 के निर्णय के अनुसार, पट्टा अवधि के बाद कार्यावधि के विस्तार के लिए कुल रॉयल्टी, चाहे उसका भुगतान किया गया हो अथवा नहीं, का 0.20 प्रतिशत प्रति मास की दर पर विस्तार फीस उद्गृहीत की जाएगी।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 11 वन मण्डल अधिकारियों को सौंपी गई वृक्षों/इमारती लकड़ी के लॉट्स की सूची जिसमें 545 इमारती लकड़ी के लॉट्स शामिल थे की नमूना जांच की तथा पाया गया कि चौपाल वन मण्डल में 175 इमारती लकड़ी के लॉट्स को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को सौंपा था। इनमें से, लेखापरीक्षा में 130 मामलों की नमूना जांच की गई तथा पाया गया कि वन मण्डल अधिकारी, चौपाल में 62 मामलों में विस्तार फीस को उद्गृहीत नहीं किया था जहां पट्टा अवधि 31 मार्च 2016 तथा 31 मार्च 2018 के मध्य दोहन कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका था। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने पट्टा अवधि के भीतर इन लॉट्स के दोहन कार्य को पूर्ण नहीं किया तथा तीन से 24 महीनों के मध्य के विलम्ब सहित कार्यावधि के विस्तार की मांग की। तथापि, ₹29.86 लाख की विस्तार फीस की न तो विभाग द्वारा मांग की गई और न ही हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा इसका भुगतान किया गया था। अतः विस्तार फीस के दावे हेतु विभाग के स्तर पर कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप सरकार को ₹29.86 लाख की राजस्व हानि को बहन करना पड़ा।

वन मण्डल अधिकारी ने बताया कि मामले को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के साथ उठाया जाएगा।

मामला विभाग तथा सरकार को जनवरी 2018 में प्रतिवेदित किया गया था। उत्तर अभी तक प्रतीक्षित थे (अगस्त 2019)।

6.6 बरोजा ब्लेज़ों का निःस्वरण न करना

विभाग ने वृक्षों की श्रेणी के बावजूद चील वृक्षों में दो ब्लेज़ों के बदले केवल एक ब्लेज़ ही लगाया जिसके परिणामस्वरूप 18,385 वृक्षों का निःस्वरण नहीं हुआ तथा ₹12.04 लाख के राजस्व की अल्प वसूली हुई।

हिमाचल प्रदेश वन विभाग की नियम पुस्तिका के खण्ड-IV तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अप्रैल 2007 की अधिसूचना में प्रावधान है कि प्रति चील वृक्ष जिसकी परिधि 1.90 मीटर (60 सेमी0 व्यास) तथा इससे ऊपर है, पर दो ब्लेज़ लगानी होती है। पुनः मूल्य निर्धारण समिति ने जुलाई 2014, फरवरी 2016 तथा मार्च 2018 में आयोजित बैठक में निःस्वरण मौसम 2013 से 2017 तक क्रमशः ₹58.78, ₹75.30, ₹65.00 तथा ₹51.00 प्रति ब्लेज़ अंतिम/अस्थाई दरें⁶ निर्धारित की जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा वन विभाग को भुगतान करनी थी।

⁶ वर्ष 2013 से 2016 के दोहनार्थ मौसम हेतु अंतिम दरें क्रमशः ₹58.78, ₹75.30, ₹65.00, ₹51.00 तथा वर्ष 2017 के लिए अस्थाई दरें ₹51.00 प्रति ब्लेज़ हैं।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 11 वन मण्डल अधिकारियों की बरोजा निःस्त्रवणार्थ सौंपी गई वृक्षों की सूची की नमूना जांच की जिसमें 59 मामले अन्तर्गत थे तथा पाया गया कि तीन वन मण्डलों⁷ में 45 मामलों में बरोजा निःस्त्रवणार्थ वृक्षों को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम को सौंपा गया था। इनमें से, 28 मामलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विकास निगम लिमिटेड ने अपेक्षित दो ब्लेजों के प्रति 18,385 चील वृक्षों पर केवल एक ही ब्लेज लगाया जबकि वृक्ष का व्यास 60 सेंटीमीटर से अधिक था। अतः 18,385 ब्लेजों का निःस्त्रवण न करने के परिणामस्वरूप ₹12.04⁸ लाख के राजस्व की अल्प वसूली हुई।

वन मण्डल अधिकारी नालागढ़ ने बताया कि मामले की जांच-पड़ताल की जाएगी जबकि दो वन मण्डल अधिकारियों ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

मामला विभाग तथा सरकार को मार्च 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

उजागर किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के मामलों की विस्तृत जांच हेतु कार्रवाई शुरू करे तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे।

शिमला

दिनांक : 11 अक्टूबर 2019

(आई.डी.एस.धारीबाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 18 अक्टूबर 2019

(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

⁷ चौपाल: 13,443 ब्लेज़: ₹8.73 लाख, नाचन स्थित गोहर: 1,685 ब्लेज़: ₹0.86 लाख तथा नालागढ़: 3,257 ब्लेज़: ₹2.45 लाख

⁸ 3,987 x ₹58.78 प्रति ब्लेज़ + 7,244 x ₹75.30 प्रति ब्लेज़ + 4,229 x ₹65.00 प्रति ब्लेज़ + 2,925 x ₹51.00 प्रति ब्लेज़

अनुलग्नक

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

संदर्भ परिच्छेद 1.1 (1.1.2) राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

क्रमांक	मुख्य प्राप्ति शीर्ष	अन्य गैर कर राजस्व प्राप्तियों का ब्लौरा		₹ करोड़ में
		बजट अनुमान	वास्तविक राशि	
1.	0050-लाभांश एवं लाभ	111.06	255.58	
2.	0051-लोक सेवा आयोग	10.90	10.46	
3.	0056-कारागार	0.22	0.31	
4.	0057-आपूर्ति एवं निपटान	0.03	0.02	
5.	0058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	7.04	10.18	
6.	0071-ऐंशन एवं अन्य के प्रति अंशदान एवं वसूली	6.15	8.49	
7.	0075-विविध सामान्य सेवाएं	2.51	5.46	
8.	0202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	232.88	180.76	
9.	0210-विकितसा एवं जन स्वास्थ्य	9.11	10.27	
10.	0211-परिवार कल्याण	0.03	0.00	
11.	0215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	55.39	52.95	
12.	0216-आवास	4.77	3.99	
13.	0217-शहरी विकास	8.00	11.26	
14.	0220-सूचना एवं प्रचार	1.95	1.96	
15.	0230-श्रम एवं रोजगार	8.28	6.84	
16.	0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8.22	8.01	
17.	0250-अन्य सामाजिक सेवाएं	0.37	0.13	
18.	0401-फसल पालन	10.58	12.28	
19.	0403-पशुपालन	1.07	1.16	
20.	0405-मत्स्य	2.55	3.38	
21.	0407-पौधारोपण	0.02	0.01	
22.	0408-खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार	0.07	38.43	
23.	0425-सहकारिता	3.35	5.26	
24.	0435-अन्य कृषि कार्यक्रम	0.61	0.39	
25.	0515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2.96	2.76	
26.	0575-अन्य सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम	0.53	0.07	
27.	0701-मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	1.07	0.09	
28.	0702-लघु सिंचाई	1.76	1.44	
29.	0851-ग्राम एवं लघु उद्योग	0.35	0.63	
30.	0852-उद्योग	3.43	4.80	
31.	1054-सड़कें एवं पुल	16.69	40.64	
32.	1055-पथ परिवहन	0.42	0.83	
33.	1425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.01	0.04	
34.	1452-पर्यटन	1.93	3.27	
35.	1456-नागरिक आपूर्ति	0.07	0.09	
36.	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	6.41	5.48	
जोड़		520.79	687.72	

अनुलग्नक-II

संदर्भ परिच्छेद - 1.7.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष	अथशेष			वर्ष के दौरान जमा			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अन्तर्शेष			₹ करोड़ में
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	
2008-09	607	1,181	15.43	82	194	2.63	92	374	4.77	597	1,001	13.29	
2009-10	597	1,001	13.29	81	207	1.59	62	167	1.95	616	1,041	12.93	
2010-11	616	1,041	12.93	37	148	28.19	72	121	6.05	581	1,068	35.07	
2011-12	581	1,068	35.07	78	170	143.99	65	73	129.72	594	1,165	49.34	
2012-13	594	1,165	49.34	62	112	3.32	75	123	6.22	581	1,154	46.44	
2013-14	581	1,154	46.44	51	100	6.15	20	75	0.20	612	1,179	52.39	
2014-15	612	1,179	52.39	59	118	26.80	102	136	19.15	569	1,161	60.04	
2015-16	569	1,161	60.04	77	124	3.58	54	56	3.04	592	1,229	60.58	
2016-17	592	1,229	60.58	30	144	3.93	17	103	7.55	605	1,270	56.96	
2017-18	605	1,270	56.96	66	295	13.03	25	116	10.50	646	1,449	59.49	

अनुलग्नक-III

संदर्भ परिच्छेद - 1.7.2: स्वीकृत मामलों की वसूली

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल परिच्छेदों की संख्या	परिच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत परिच्छेदों की संख्या	स्वीकृत परिच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	₹ करोड़ में	
						1	2
2007-08	6	5.01	5	4.93	0.02	0.18	
2008-09	2	1.87	2	1.87	0.01	0.22	
2009-10	2	1.51	2	1.51	0.00	0.00	
2010-11	2	0.65	2	0.33	0.02	0.04	
2011-12	5	132.81	5	132.81	0.12	0.09	
2012-13	5	2.83	5	2.83	0.03	0.22	
2013-14	3	5.08	1	2.47	0.10	0.14	
2014-15	4	17.59	4	17.59	0.91	0.91	
2015-16	5	103.59	5	103.58	1.06	1.06	
2016-17	4	2.18	3	1.57	0.16	0.16	
जोड़	38	273.12	34	269.49	2.43	3.02	

अनुलग्नक -IV

संदर्भ- परिच्छेद 2.4.7.1- अयोग्य घोषित फार्मों की स्वीकृति (फार्म-सी)

सहायक आबकारी एवं कारधान आयुक्त का नाम	निर्धारण वर्ष/निर्धारण तिथि	निर्धारिती की सकल कुल बिक्री	अमान्य फार्म-'सी' में दर्शाये कुल बिक्री पर उद्ग्राहय कर की राशि में अंतर	हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19(i) के अन्तर्गत उद्ग्राहय व्याज	योग	फार्म को अस्वीकृत करने का कारण
फार्म- 'सी'						
बद्री	2011-12 24.07.15	70,22,44,425	11,13,672	9,80,032	20,93,704	तिमाही में दो फार्म नहीं थे
	2011-12 10.02.16	163,34,17,224	6,120	5,386	11,506	एक फार्म में कटिंग एवं ओवरराइटिंग थी।
	2011-12 27.04.15	3,80,94,205	49,952	43,957	93,909	दो फार्म के प्रतिपर्ण थे।
	2010-11 29.01.16	2,70,82,065	74,702	79,184	1,53,886	एक फार्म पर गलत पता था।
	2010-11 10.06.15	17,36,26,365	9,995	10,595	20,590	एक फार्म में प्रतिपर्ण था।
	2008-09 16.03.16	2,98,35,602	2,956	4,198	7,154	दो फार्म पर गलत पता था।
	2008-09 02.07.15	10,21,78,788	76,317	1,08,370	1,84,687	म्यारह फार्म में गलत पता था।
	2007-08 13.04.15	69,52,45,230	33,611	53,777	87,388	एक फार्म में प्रतिपर्ण था।
	2009-10 18.04.15	154,51,94,951	14,79,196	18,34,203	33,13,399	चालीस फार्म में गलत पता था।
	2011-12 08.01.16	4,98,36,123	28,640	25,203	53,843	चार फार्म में गलत पता था।
	2013-14 24.09.15	4,99,82,561	13,488	7,014	20,502	एक फार्म की छायाप्रति थी।
	2008-09 17.11.15	18,36,96,238	2,71,352	3,85,320	6,56,672	चार फार्म में गलत पता था।
	योग	523,04,33,777	31,60,001	35,37,239	66,97,240	70 फार्म
नाहन	2009-10 31.11.15	16,27,53,906	23,472	29,105	52,577	चार फार्म में गलत पता था एवं एक फार्म में प्रतिपर्ण था।
	2011-12 20.02.16	6,44,84,257	2,93,250	2,58,060	5,51,310	एक फार्म में गलत पता था।
	2010-11 17.09.15	2,63,62,619	39,215	41,568	80,783	एक फार्म में बिलों के योग में अन्तर था एवं पांच फार्मों में बिल एवं तिथि अंकित नहीं थी।
	योग	25,36,00,782	3,55,937	3,28,733	6,84,670	12 फार्म
तूरपुर	2009-10 16.10.15	45,60,62,168	3,01,102	3,73,366	6,74,468	एक फार्म की छायाप्रति थी।
	2011-12 09.06.15	11,02,96,622	44,458	39,123	83,581	एक फार्म की छायाप्रति थी।
	योग	56,63,58,790	3,45,560	4,12,489	7,58,049	2 फार्म
सोलन	2011-12 09.06.15	2,26,27,920	2,154	1,895	4049	एक फार्म में कटिंग एवं ओवरराइटिंग थी।
	2012-13 20.10.15	4,78,58,408	3,964	2,775	6,739	दो फार्म में प्रतिपर्ण थे।
	2012-13 05.10.15	8,73,22,935	28,311	19,818	48,129	चार फार्म की छायाप्रति थी।
	2011-12 20.10.15	20,60,53,675	29,759	26,188	55,947	चार फार्म में कटिंग एवं ओवरराइटिंग थी।
	2008-09 12.01.16	1,70,79,163	6,598	9,369	15,967	एक फार्म में कटिंग एवं ओवरराइटिंग थी।
	2011-12 18.06.15	5,36,42,024	35,310	31,072	66,382	दो फार्म में गलत पता था।

राजस्व क्षेत्र पर वर्ष 2017-18 के लिए लेखायरीक्षा प्रतिवेदन


	2010-11 15.01.16	12,61,96,775	1,58,470	1,67,978	3,26,448	एक फार्म में प्रतिपर्ण था
	योग	56,07,80,900	2,64,566	2,59,095	5,23,661	15 फार्म
अन्ना (2015-16)	2009-10 09.04.15	5,37,63,331	39,584	49,084	88,668	चार फार्म में कटिंग एवं ओवराइटिंग थी
	2008-09 01.03.16	28,11,40,844	20,61,607	29,27,483	49,89,090	दो फार्म में कटिंग एवं ओवराइटिंग थी
	2010-11 18.11.15	3,42,79,703	4,838	5,128	9,966	दो फार्म में प्रतिपर्ण था
	2010-11 18.09.15	11,78,14,020	1,23,926	1,31,362	2,55,288	एक फार्म में प्रतिपर्ण था।
	योग	48,69,97,898	22,29,955	31,13,057	53,43,012	09 फार्म
अन्ना (2016-17)	2005-06 16.06.16	55,31,222	3,495	6,850	10,345	तिमाही में एक फार्म नहीं था।
	2012-13 14.06.16	1,35,42,788	41,451	2,87,667	3,29,118	एक फार्म खाली था।
	2014-15 08.09.16	90,33,021	3,31,570	1,12,734	4,44,304	तीन फार्म में गलत पता था।
	2008-09 09.12.16	3,16,54,287	2,04,942	2,91,018	4,95,960	तिमाही में एक फार्म नहीं था।
	2013-14 07.03.17	40,97,17,716	1,26,591	65,828	1,92,419	एक फार्म खाली था।
	योग	46,94,79,034	7,08,049	7,64,097	14,72,146	सात फार्म
	सकल योग	756,76,51,181	70,64,068	84,14,710	154,78,778	115 फार्म
अर्थात् ₹		₹70.64 लाख	₹84.15 लाख	₹1.55 करोड़		

अनुलग्नक-V

संदर्भ- परिच्छेद 2.4.7.2- अयोग्य घोषित फार्मों की स्वीकृति (फार्म-एफ)

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त का नाम	निर्धारण वर्ष/निर्धारण तिथि	छूट प्राप्त कुल बिक्री पर उद्ग्राहय कर की राशि में अन्तर	हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19(i) के अन्तर्गत उद्ग्राहय ब्याज	योग	फार्म-एफ को अस्वीकृत करने का कारण
फार्म - 'एफ'					
बद्री	2009-10 02.05.15	11,67,115	14,47,223	26,14,338	ग्यारह फार्म में एक से अधिक केलेन्डर माह शामिल थे।
	2009-10 18.08.15	3,674	4,555	8,229	एक फार्म में एक से अधिक केलेन्डर माह शामिल तथा फार्म दुप्लीकेट था।
	2 मामले	11,70,789	14,51,778	26,22,567	12 फार्म
शिमला	2012-13 18.08.15	3,50,478	2,45,335	5,95,813	दो फार्म में एक से अधिक केलेन्डर माह शामिल थे।
	2013-14 18.08.15	3,50,438	1,82,228	5,32,666	
	1 मामले	7,00,916	4,27,563	11,28,479	2 फार्म
सोलन	2012-13 27.06.15	55,705	38,994	94,699	दो फार्म में एक से अधिक केलेन्डर माह शामिल थे।
	2013-14 27.06.15	48,769	25,360	74,129	
	2011-12 30.10.15	7,00,590	6,16,519	13,17,109	एक फार्म में एक से अधिक केलेन्डर माह शामिल थे।
	3 मामले	8,05,064	6,80,873	14,85,937	3 फार्म
अन्ना	2009-10 30.03.16	1,38,822	1,72,139	3,10,961	आठ फार्म में एक से अधिक केलेन्डर माह शामिल थे।
	2010-11 01.10.15	2,45,855	2,60,606	5,06,461	चार फार्म में एक से अधिक केलेन्डर माह शामिल थे।
	2 मामले	3,84,677	4,32,745	8,17,422	12 फार्म
सकल जोड़	8 मामले	30,61,446	29,92,959	60,54,405	29 फार्म

बकायों की वसूली की प्रक्रिया



हिमाचल प्रदेश सरकार – वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-2

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in